# HRA AN USIUS The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग [[—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 2012/कार्तिक 8, 1934

No. 554

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 2012/KARTIKA 8, 1934

भारतीय रिज़र्व बैंक

(बिदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 19 अक्तूबर, 2012

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2012

सा.का.नि. 795(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद मूल विनियमावली के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :---

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथङा নিৰ্गम) (छठा संशोधन) विनियमावली, 2012 कहलाएंगे।
- (ii) इस विनियमावली में किसी उपबंध विशेष के लागू होने के संबंध में अन्यथा उपबंधित को छोड़दार, इस विनियमावली के उपबंध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे।

#### 2. विनियम 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 2 में, खंड (viii) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि उसे अगस्त, 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है अर्थात्;

"(viiiए) अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक का अर्थ---

- (ए) अगस्त 2011 के नौवें दिन से जुलाई 2012 के 15वें दिन तक की अवधि के दौरान कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित मानदंड संबंधित समय पर पूरे करता है;
- (i) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) के मानदंडों का पालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु-पक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है; और

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वास विनिर्दिष्ट अपने ग्राहक को जानने संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत न हो।

- (बी) जुलाई 2012 के 16वें दिन से जो व्यक्ति निम्नलिखित मानक संबंधित समय पर पूरे करता है:
  - (i) ऐसे देश का निवासी है जो कि वित्तीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य अथवा उस समूह का सदस्य है जो वितीय कार्रवाई कार्य दल का सदस्य है; और
  - (ii) उस देश का निवासी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहु-पक्षीय समझौता जापन का हस्ताक्षरकर्ता है (और जिसे परिशिष्ट ए में हस्ताक्षरकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) अथवा सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौता जापन का हस्ताक्षरकर्ता है;

बशर्त कि ऐसा व्यक्ति उस देश का निवासी न हो जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्यदल द्वारा जारी सार्वजनिक वक्तव्य/विवरण में उस देश के रूप में सूचीबद्ध किया गया है जो धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के प्रतिरोध संबंधी रणनीतिक कमियों के क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया है, जिनके लिए प्रति उपाय लागू हैं अथवा जिसने संबंधित कमियों के निवारण के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं की है अथवा कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यदल के साथ कार्रवाई योजना विकसित करने का वादा नहीं किया है;

बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति भारत में निवास नहीं करता है;

बशर्ते यह भी कि ऐसा व्यक्ति सेबी के पास विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी संस्थागत निवेशक के उप-खाते अथवा विदेशी जोखिम पूँजी निवेशक के रूप में पंजीकृत नहीं है।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए:

1. "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन" का अर्थ सेबी और समुद्रापारीय विनियामक के साथ हुए ऐसे द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से है जिसमें कि, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचना आदान-प्रदान करने का उपबंध होता है।

2. वितीय कार्रवाई कार्यदल के सदस्य का अर्थ वितीय कार्रवाई कार्यदल के सहयोगी (एसोसिएट) से नहीं है। "

## 3. विनियम 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 5 में,

- (i) उप-विनियम 4 में, "अथवा एक विदेशी केंद्रीय बैंक" शब्दों के बाद 'अथवा एक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक अथवा भारत के बाहर का कोई निवासी अन्य व्यक्ति शब्द जो अनुसूची 5 में शामिल है' जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है।
- (ii) उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा आएगा और यह समझा जएगा कि वह जनवरी 2012 के तेरहवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात:
- "(7ए) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक किसी भारतीय कंपनी के ईक्विटी शेयरों को अनुसूची 8 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकता है।"
- (iii) उप-विनियम (7ए) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात,

"स्पष्टीकरण: उल्लिखित उप-विनियम (1) से (7) के प्रयोजनों के लिए इन उप-विनियमों में संदर्भित, श्रेणी के निवेशक विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत पूँजी खातेगत लेनदेन) विनियमावली, 2000, समय समय पर यथा संशोधित, के विनियम 4 के उप-विनियम (बी) के अंतर्गत विदेशी निवेश के लिए निषद्ध गतिविधियों में संलग्न अथवा संलग्न होने के लिए प्रस्तावित किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी, किसी प्रतिभूति, में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निवेश नहीं करेंगे"।

# 4.विनियम 10 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 10 में,

(1) शीर्षक में, 'पूर्व अनुमित' से प्रारंभ शब्दों के लिए 'अनुमित' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से प्रतिस्थापित किया गया है।

- (2) उप-विनियम ए में, खंड (बी) और (सी) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से प्रतिस्थापित किया गया है, अर्थात:-
  - "बी) किसी भारतीय कंपनी, जिसकी गतिविधियां अनुसूची 1 के संलग्नक बी के दायरे में आती हैं, उसमें विनिर्देष्ट क्षेत्रगत (सेक्टोरल) सीमा के अधीन, के किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अंतरण रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमित के बिना शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर की बिक्री के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:
  - (i) कि संबंधित पार्टियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे अंतरणों के लिए विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों, प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन करती हों।
  - (ii) जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो: (ए) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो; और (बी) शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों, प्रलेखन और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।
  - (iii) जहाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स ऐण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 लागू हो, वहाँ कीमत निर्धारण और प्रलेखन, रिपोर्टिंग अपेक्षाएं सेबी के विनिर्देशानुसार अनुपालित की जाएं।

बशर्ते कि जब कभी उल्लिखित सेबी के दिशानिर्देश न अनुपालित होते हों, इस विनियम के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबधी दिशानिर्देशों, रिपोर्टिंग और प्रलेखन अपेक्षाओं का अनुपालन करना पर्याप्त होगा।

- (iv) जहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश निम्नलिखित मामलों में पूरे न होते हाँ -
  - (ए) परिणामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुसूची 1 की अपेक्षाओं, कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों को छोड़कर, के अनुपालन में हो; और
  - (बी) लेनदेन संबंधी कीमत लागू सेबी विनियमावली/दिशानिर्देशों को पूरा करती हो; और

- (सी) सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाणपत्र कि लागू सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन होने के बाबत उसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फाइल किए जाने वाले एफसीटीआरएस के साथ संलग्न किया गया है।
- (v) जहाँ निवेशिती(इन्वेस्टी) कंपनी वितीय सेवा क्षेत्र से है
  - (ए) संबंधित वितीय क्षेत्र के विनियामकों/निवेशिती कंपनी के विनियामकों के साथ-साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों से अनापित प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं और उन्हें प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फार्म एफसीटीआरएस के साथ फाइल किया जाए।
  - (बी) अनुसूची 1 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाए।

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए "वितीय सेवाओं" का अर्थ रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियों, बीमा विनायामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन फंड, किसी अन्य वितीय विनियामक द्वारा विनियमित अन्य कंपनियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं और समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निदेशित अन्य सेवाओं से हैं।

- "(सी) बिक्री के मार्फत किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर के अंतरण के लिए, अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाएगा, यदि -
  - (i) अंतरण उस कीमत पर होना हो जो भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट कीमत संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप न हो, अथवा
  - (ii) उल्लिखित खंड (बी) के दायरे में न आता हो।"
- (3) उप-विनियम ए में, खंड (सी) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2009 के 22वें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,
  - "(डी) बिक्री के द्वारा किसी शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर के ऐसे मामले में अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन किया जाएगा जहां प्रतिफल की राशि के भुगतान के लिए अनिवासी शेयर अर्ज़क आस्थगित करने का प्रस्ताव करता है।"
- (4) उप-विनियम बी में, खंड (2) के बाद, निम्नितिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि वह नवंबर 2011 के चौथे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

- "(3) जहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो पाता है, वहाँ भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति, किसी भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का बिक्री के मार्फत किसी भारतीय निवासी को अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमित के बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकता है
  - (ए) मूल और परिणामी निवेश अनुसूची 1 की अपेक्षाओं, कीमत निर्धारण संबधी दिशानिर्देशों को छोड़कर, के अनुरूप हों; और
  - (बी) लेनदेन हेतु कीमत निर्धारण लागू सेबी विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुपालन में हों; और
  - (सी) सनदी लेखाकार का इस आशय का प्रमाणपत्र कि लागू सेबी विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन होने के बाबत उसे प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास फाइल किए जाने वाले एफसीटीआरएस के साथ संलग्न किया गया है।"

## 5. विनियम 12 में संशोधन

मूल विनियमावली में, विनियम 12 में, उप-विनियम (ii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, और यह समझा जाएगा कि उसे मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात;:-

- "(iii) भारत में पंजीकृत कंपनी (निवासी निवेशिती कंपनी) का अनिवासी निवेशक कोई व्यक्ति संबंधित कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को भारत में किसी बैंक के पास संबंधित कंपनी के सदाशयी प्रयोजनों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गिरवी रख सकता है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस संबंध में, समय समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिदिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है।
- "(iv) भारत में पंजीकृत कंपनी (निवासी निवेशिती कंपनी) का अनिवासी निवेशक कोई व्यक्ति संबंधित कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को समुद्रपारीय बैंक के पास अनिवासी निवेशक अथवा निवासी निवेशिती कंपनी के अनिवासी प्रवर्तक अथवा कंपनी के समुद्रपारीय समूह को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गिरवी रख सकता है, बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस संबंध में, समय समय पर, रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है।

# 6. अनुसूची 1 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 1 में,

- (I) पैराग्राफ 3 में, खंड (डी) में, 'पुरानी मशीनरी सहित' शब्दों को 'पुरानी मशीनरी को छोड़कर' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2012 के 10 वें दिन से प्रतिस्थापित किया गया है।
- (II) पैराग्राफ 5 के बाद, निम्नितिखित पैराग्राफ जोड़ा जाएगा कि और यह समझा जाएगा कि वह सितंबर 2012 के 26 वें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

"5बी. उल्लिखित पैराग्राफ 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुपालन के तहत भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को भारतीय कंपनी के शेयर संस्था के बहिर्नियम के अंतर्गत अंशदान के रूप में जारी किए जाते हैं, ऐसे निवेश इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश की पात्रता के अधीन अंकित मूल्य पर किए जा सकते हैं "

## (III) पैराग्राफ 8 में,

- (ए) खंड (ii) के बाद, निम्निलिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,
  - "(iii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार रखे गये ब्याज रहित एस्क्रो खाते (भारतीय रुपये में) नामे करके।"
- (बी) स्पष्टीकरण में, "अनुसूची में अन्यत्र दिए गए" शब्दों के बाद "विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा पूँजीगत माल के आयात भुगतान" शब्द जोड़े जाएंगे और यह समझा जाएगा कि वे अप्रैल 2003 के पहले दिन से जोड़े गये हैं।
- (सी) प्रथम परंतुक में, "एनआरई-एफसीएनआर(बी) खाते" को नामे शब्दों को "एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एस्क्रो खाते" को नामे शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वे मई 2011 के दूसरे दिन से जोड़े गये हैं।

## (IV) पैराग्राफ 9 में,

- (ए) उप-पैराग्राफ (1) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मई 2008 के 30वें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात:-
- " भारतीय कंपनी के शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंग:

- 9 (1) इन विनियमों के अमुसार शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने वाली भारतीय कंपनी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के मार्फत रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय कार्य करता है,
- (ए) भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के लिए प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट इस अनुसूची के संलग्नक सी के विनिर्दिष्ट फार्म में विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी), अनिवासी निवेशक के बारे में अपने ग्राहक को जानने संबंधी रिपोर्ट और सरकारी अनुमोदन, यदि कोई हो, की प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत की जाए।
- (बी) शेयर जारी करने की तारीख से 3● दिनों के भीतर निम्नतिखित सहित फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए,
- (i) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति से निवेश स्वीकार करने वाली कंपनी के कंपनी संचिव द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र कि-
- (ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
- (बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है;
- (सी) कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा
- (डी) इस अनुसूची के पैराग्राफ 8 के अनुसार कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी वैंक द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं;
- (ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

[बशर्ते कि, उपर्युक्त के अलावा, कंपनी बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट, बाह्य वाणिज्यिक उधार के पूर्ण परिवर्तन होने से संबंधित माह की विवरणी ईसीबी-2 में करेगी। बाह्य वाणिज्यिक उधार के आंशिक परिवर्तन के मामले में परिवर्तित अंश फार्म एफसी-जीपीआर में रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय को रिपोर्ट किया जाएगा और अपरिवर्तित अंश फार्म ईसीबी-2 में।]

- (बी) उप-पैराग्राफ (1) के बाद, निम्नितिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के 15वें दिन से जोड़ा गया है।
  - "(2) ऐसी सभी भारतीय कंपनियां, जिन्होंने चालू वर्ष सहित विगत वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है, इस अनुसूची के संलग्नक ई में "विदेशी देयताओं और परिसंपितयों पर वार्षिक विवरणी" नामक विनिर्दिष्ट फार्म में प्रत्येक वर्ष जुलाई के 15 वें दिन से पूर्व या तक एक रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगी।
  - (3) इस अनुसूची के संलग्नक ई में दिए गए "विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों पर वार्षिक विवरणी" नामक रिपोर्ट के फार्मेंट को रिज़र्व बैंक, समय समय पर, अधिसूचना के मार्फत संशोधित कर सकता है।
- (V) पैराग्राफ 9 के बाद निम्नितिखित जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2009 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात

## भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण की रिपोर्टिंग:

- 10.(i) भारत में निवासी किसी व्यक्ति से भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को अथवा उसरो उलट भारतीय कंपनी के शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के बिक्री के मार्फत अंतरण के मामले में भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती शेयरों के प्रतिफल के रूप में राशि की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस अनुसूची के संलग्नक एफ में विनिर्दिष्ट फार्म एफसी-टीआरएस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। विनिर्दिष्ट समय सीमा में फार्म एफसी-टीआरएस के प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती की होगी।
- (ii) इस अनुसूची के संलग्नक एफ में दिए गए "फार्म एफसी-टीआरएस" को रिज़र्व बैंक, समय समय पर, अधिसूचना के मार्फत संशोधित कर सकता है।
- (iii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक के आईबीडी/एफईडी/या की नोड़त शाखा अपनी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये ऐसे सभी लेनदेनों के संबंध में समेकित मासिक विवरण रिज़र्व बैंक, को उस फार्म और तरीके से प्रस्तुत करेंगे जैसा कि रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कायालय, समय समय पर, विनिर्दिष्ट करे ।
- (iv) शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के बिक्री-प्रतिफल के रूप में सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत भारत में किए गए विप्रेषण का प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त निधियों की प्राप्ति के समय उनकी परख अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों के अनुपालन के लिए करेगा। यदि विप्रेषण प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी बैंक अंतरण संबंधी लेनदेनों करने

वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक से मिन्न हो तो अपने ग्राहक को जानने संबंधी जाँच विप्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा की जाएगी और लेनदेन करने के लिए ग्राहक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंक को अपने ग्राहक को जानने संबंधी रिपोर्ट फार्म एफसी-टीआरएस के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

- (v) यदि आस्थिगित प्रतिफल के भुगतान के आधार पर निवासी से अनिवासी को शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण की पूर्वानुमित रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गयी हो, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक विधिवत प्रमाणित एफसी-टीआरएस फार्म में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"
- (VI) मौजूदा पैराग्राफ 10 को पैराग्राफ 11 के रूप में अंकित किया जाएगा ।
- (VII) मौजूदा संलग्नक ए को इसमें दिए गए "संलग्नक ए" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह सितंबर 2012 के बीसवें दिन से प्रतिस्थापित है।
- (V!!!) मौजूदा तंलग्नक बी को इसमें दिए गए "संलग्नक बी" से इस अधिसूचना की तारीख से प्रतिस्थापित किया जाएगा, जब तक कि उसमें दी गयी किसी मद के लिए लागू होने की कोई भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है।
- (IX) मौजूदा संलग्नक सी को इसमें दिए गए "संलग्नक सी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (X) मौजूदा संलग्नक डी को इसमें दिए गए "संलग्नक डी" से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के पंद्रहवें दिन से प्रतिस्थापित है।
- (XI) संलग्नक डी के बाद इसमें दिए गए "संलग्नक ई" को जोड़ा जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह मार्च 2011 के पंद्रहवें दिन से जोड़ा गया है।

# 7. अनुसूची 2 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 2 में,

- (i) पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ 5 में, परंतुक में, खंड (बी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह अप्रैल 2010 के इक्कीसवें दिन से प्रतिस्थापित है, अर्थात:-
  - "(बी) यदि निजी नियोजन के तहत निर्गम होता है, तो कीमत सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार आकित कीमत से कम नहीं होगी अथवा सेबी के पास पंजीकृत मर्चंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार, जैसा लागू हो, द्वारा विधिवत प्रमाणित बहागत नकद प्रवाह (डीसीएफ) के तरीके के अनुसार आकितित उचित मूल्य से कम न हो।"

- (ii) पैराग्राफ 2 में, खंड (iii) के बाद, निम्नितिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात:-
  - "(iv) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक के विदेशी मुद्रा खाते और विशेष अनिवासी रुपया खाते ब्याज रहित खाते होंगे ।"

# 8. अनुसूची 5 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 5 में,

(i) पैराग्राफ 1 में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

# "प्रतिभूतियाँ की खरीद के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति

- (1) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, ऐसी प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टाक ब्रोकर से निम्निलिखित प्रतिभूतियां, सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत खरीद सकता है;
- (ए) दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां/खजाना बिल;
- (बी) भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड;
- (सी) किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर);
- (डी) घरेलू म्युच्युअल निधियों की यूनिटें;
- (ई) परिसंपत्ति वित्त कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदें, बशर्ते कि किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा प्रतिभूति रसीद योजना की प्रत्येक शृंखला में कुल होल्डिंग प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की एक साथ मिलाकर कुल होल्डिंग परिसंपत्ति वित्त कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों की योजना के अंतर्गत प्रत्येक शृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (एफ) टियर । पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र शाश्वत कर्ज लिखत तथा भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी ऊपरी टियर ॥ पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र कर्ज पूंजी लिखत (रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित तथा समय-समय पर आशोधित टियर । पूंजी और टियर ॥ पूंजी) बशर्ते कि सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शाश्वत कर्ज लिखतों (टियर । पूंजी) में निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगा और किसी

एक विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होगा। कर्ज पूंजी लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश (टियर II) सेबी द्वारा निर्धारित कंपनी कर्ज में विदेशी संस्थागत निवेशक की निवेश सीमा के भीतर होगा।

- (जी) इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की किसी भारतीय कंपनी द्वारा 29 अप्रैल 2011 से जारी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिलेंचर/बांड, जहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित हैं, बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अविध और अवरुद्धता अविध, समय समय पर, रिज़र्व बैंक के विनिर्देशान्सार हो;
- (एच) रिज़र्व बैंक द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर वित कंपनी के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वितीय कंपनी/यों द्वारा 3 नवंबर 2011 से जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड, बशर्ते उनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि और अवरुद्धता अवधि, समय समय पर, सेबी और रिज़र्व बैंक के विनिर्देशान्सार हो;
- (आई) इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा 22 नवंबर 2011 से जारी रुपये में मूल्यवर्गीकृत बांड/यूनिट, बशर्ते वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा, समय समय पर, जारी अवरुद्धता अविध और अविशिष्ट परिपक्वता अविध की शर्त के तहत हों, यह भी कि विदेशी संस्थागत निवेशक अवरुद्धता अविध में इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों के लिए पात्र अनिवासी निवेशकों के बीच ऐसे बांडों/यूनिटों का व्यापार कर सकते हैं;
- "(जे) 1 मार्च 2012 से अपरिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों के प्रारंभिक निर्गम में, बशर्त ऐसे परिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों को ऐसे निवेश की तारीख से 15 दिनों में सूचीबद्ध किए जाने का वादा किया गया हो। यदि ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड, किसी कारणवंश, 15 दिनों में सूचीबद्ध न हो सकें, तो विदेशी संस्थागत निवेशक इन अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों का तत्काल निपटान कर दें, या तो बिक्री के मार्फत निपटान तीसरे पक्ष को अथवा निर्गमकर्ता को और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए प्रस्ताव की शर्तों में यह उपबंध भी समाविष्ट होना चाहिए कि ऐसी कर्ज प्रतिभूति का जारीकर्ता उक्त परिस्थित में ऐसी प्रतिभूति को तत्काल मोचित करेगा/फिर से खरीद लेगा।

बशर्ते कि विदेशी संस्थागत निवेशक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत ऐसी प्रतिभूतियां विनियम 5 के उप विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में अपने लेनदेनों के लिए भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में कोलेटरल के रूप में रख सकते हैं।

- (v) पैराग्राफ 2 में, उप पैराग्राफ 1(ए) में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि उसे नवंबर 2011 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,
  - "iv) रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा, समय समय पर, विनिर्दिष्ट अवरुद्धता अविध और अविशिष्ट परिपक्बता अविधि की शर्त के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों द्वारा जारी बांड/यूनिट,

बशर्ते कि अनिवासी भारतीय अवरुद्धता अविध में इन्फ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों के लिए पात्र अनिवासी निवेशकों के बीच ऐसे बांडों/यूनिटों का व्यापार कर सकते हैं;"

(vi) पैराग्राफ 1 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और यह माना जाएगा कि वह अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

# "प्रतिभूतियाँ की खरीद के लिए अर्हता-प्राप्त विदेशी निवेशकों के लिए अनुमति

- 1ए((i) सेबी तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन अर्हता-प्राप्त विदेशी निवेशक, प्रत्यावर्तन आधार पर, रुपये में मूल्यवर्गीकृत निम्नलिखित यूनिटें खरीद सकता है:
- (ए( सेबी द्वारा पंजीकृत घरेलू (देशी) म्यूच्युअल फंडों की इक्विटी स्कीमें।
- (बी) सेबी द्वारा पंजीकृत देशी म्यूच्युअल फंडों की डेट स्कीम, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर (मूलभूत संरचनाओं) में निवेश करती हैं।
- (सी) सेबी द्वारा पंजीकृत देशी म्यूच्युअल फंडों की ऐसी कोई स्कीम जो अपनी परिसंपतियों (ऋण में या इक्विटी में या दोनों में) का कम-से-कम 25 प्रतिशत इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगाती है।

ऊपर उप-खंड (बी) तथा (सी) के प्रयोजन के लिए 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' का अर्थ वह होगा जैसा ईसीबी दिशा-निर्देशों में परिभाषित है।

- (ii) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन निम्नलिखित मार्गों के तहत उपर्युक्त उप-खंड (ए) से (सी) तक में निहित प्रतिभूतियां खरीद सकता है:
  - (ए) प्रत्यक्ष मार्ग से सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी (क्यूडीपी) मार्ग
  - (बी) परोक्ष मार्ग से यूनिट कन्फरमेंशन रसीद (यूसीआर) मार्ग
- (vii) पैराग्राफ 1 ए में, खंड (ii) के बाद,(vii) पैराग्राफ 1ए में, खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे जुलाई 2012 के सोलहवें दिन से जोड़ा गया है।

## "(iii) कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक :

- (ए) सेबी के पास पंजीकृत अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी (क्यूडीपी) (जैसा कि सेबी के वर्तमान विनियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है) के माध्यम से प्रत्यावर्तन आधार पर सीधे जारीकर्ता से या किसी पंजीकृत स्टाक ब्रोकर के जरिए भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से भारतीय कंपनियों के सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, सूचीबद्ध बांड और म्यूच्युअल फंड डेट स्कीम की सूचीबद्ध यूनिट खरीद सकता है और भारत के किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर किसी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के जरिए बेच या जारीकर्ता द्वारा बाय-बैंक अथवा मोचन के माध्यम से इनका भुगतान प्राप्त कर सकता है।
- (बी) अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड के प्राथमिक निर्गम में निवेश कर सकता है बशर्ते ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड निवेश के 15 दिनों के भीतर अवश्य सूचीबद्ध हो जाएं। अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक को निर्गमित ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड यदि किसी कारण से अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक को निर्गम होने के 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध नहीं हो पाते हैं तब अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक तत्काल किसी तीसरी पार्टी या जारीकर्ता को अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड बेचकर निपटान कर देगा और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के प्रस्ताव शर्त में इस बाबत एक उपबंध होगा कि ऐसी कोई संभाव्य स्थिति होने पर डेट प्रतिभूतियों का जारीकर्ता तत्काल अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से इन प्रतिभूतियों का मोचन कर देगा/वापसी खरीद कर लेगा।
- (viii) पैराग्राफ 1 ए में, खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है।
  - "(iv) इस विनियमन के तहत प्रतिभूति खरीदने वाला कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक भारत के किसी अर्हताप्राप्त डिपॉजिटरी सहभागी के पास एकल डीमैट खाता खोल सकता है।
- (ix) पैराग्राफ 1 ए के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे नवंबर 2011 के बाईसवें दिन से जोड़ा गया है।"

# "अन्य अनिवासी निवेशकों को प्रतिभूतियां खरीदने की अनुमति

1बी (i) सरकारी धन निधियां (एसडब्ल्यूएफ), बहुपक्षीय एजेंसियां, एन्डॉमेंट निधियां, बीमा निधियां, पेंशन निधियां और उच्च मालियत वाले व्यक्ति, जैसे दीर्घकालिक निवेशक जो सेबी के पास पंजीकृत हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि में निवेश हेतु अनिवासी भारतीय निवेशक के रूप में पात्र हैं, वे रिज़र्व बैंक और सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट लॉक-इन अविध और अविशिष्ट परिपक्वता अविध के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि द्वारा निर्गमित रुपए में मूल्यवर्गीकृत बांड/यूनिट प्रत्यावर्तन आधार पर खरीद सकते हैं, बशर्त ये उपर्युक्त निवेशक ऐसे

बांड/यूनिट की खरीद-बिक्री लॉक-इन अविध के भीतर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधि हेतु पात्र अनिवासी निवेशक के बीच ही करें।"

- (x) पैराग्राफ 1 बी में, खंड (i) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे जून 2012 के पच्चीसवें दिन से जोड़ा गया है।
  - "(ii) सेबी के पास पंजीकृत सरकारी धन निधियां,"(ii) सरकारी धन निधि, बहुपक्षीय एजेंसियां, एन्डॉमेंट निधियां, बीमा निधियां, पेंशन निधियां और सेबी के पास पंजीकृत विदेशी केंद्रीय बैंक जैसे दीर्घकालिक निवेशक सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं।"
- (xi) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (4) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि इसे अगस्त 2011 के नौवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,
  - "(5) इस अनुसूची के तहत (परोक्ष मार्ग से किए जाने वाले के अलावा) प्रतिभूतियां खरीदने वाला कोई अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 की शर्तों के अनुरूप किसी प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक में खोले गए एकल ब्याज-रहित रूपया खाता में धारित निधियों से भुगतान करेगा"।

# 9. अनुसूची 6 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 6 में, पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (2) के अंत में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि उसे मार्च 2012 के उन्नीसवें दिन से जोड़ा गया है, अर्थात,

"पंजीकृत एफवीसीआई रिज़र्व बैंक द्वारा समय-सम्य पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन निजी व्यवस्था/िकसी तीसरी पार्टी से खरीद के जिरए पात्र प्रतिभूतियों (िकसी आईवीसीय या वीसीएफ की इक्विटी, इक्विटी संबद्ध लिखत, ऋण, ऋण लिखत, डिबेंचर, िकसी जोखिम पूंजी निधि द्वारा स्थापित योजना/िनिधि की यूनिटों) में निवेश कर सकता है। पंजीकृत एफवीसीआई समय-समय पर संशोधित सेबी (एफवीसीआई) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों और उनमें निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के जिरए प्रतिभूतियों में निवेश कर सकता है।"

# 10. अनुसूची 7 में संशोधन

मूल विनियमावली में, अनुसूची 7 में, पैराग्राफ 2 में, खंड (बी) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसा समझा जाएगा कि ये प्रतिस्थापन अगस्त 2012 के अञ्चाईसर्वे दिन से किया गया है। "(बी) रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्दिष्ट नियम व शर्तों के अधीन भारतीय डिपॉजिटरी रसीद में सीमित दोतरफा प्रतिमोच्यता (fungibility) की अनुमति होगी।

> [सं. फेमा. 242/2012-आरबी] रुद्र नारायण कर, मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : @(i) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्व प्रभावी होने से किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी निदेश ए.पी. (डीआईआर) सीरीज परिपन्नों के द्वारा विभिन्न तारीखों को जारी किए गए थे जिनका इस अधिसूचना में प्रभावी होने की तारीख के रूप में उल्लेख है।

(ii) मूल विनियमावली, सरकारी राजपत्र के भाग ।।, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में 8 मई, 2000 के जी.एस.आर.सं.406 (ई) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये थे:

02 मार्च 2001 के जीएसआर सं.158 (ई) 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.505 (ई) 29 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.513 (ई) 13 मार्च 2001 के जीएसआर सं.175 (ई) 22 दिसंबर 2005 के जीएसआर सं.738 (ई) 14 मार्च 2001 के जीएसआर सं.182 (ई) 19 जनवरी 2006 के जीएसआर सं.29 (ई) 02 जनवरी 2002 के जीएसआर सं.4 (ई) 11 ज्लाई 2006 के जीएसआर सं.413 (ई) 19 अगस्त 2002 के जीएंसआर सं.574 (ई) 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.712 (ई) 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं.223 (ई) 18 मार्च 2003 के जीएसआर सं 225 (ई) 14 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.713 (ई) 29 नवंबर 2007 के जीएसआर सं.737 (ई) 22 जुलाई 2003 के जीएसआर सं.558 (ई) 05 अगस्त 2008 के जीएसआर सं.575 (ई) 23 अक्तूबर 2003 के जीएसआर सं.835 (ई) 30 दिसंबर 2008 के जीएसआर सं.896 (ई) 22 नवंबर 2003 के जीएसआर सं. 899 (ई) 01 दिसंबर 2009 के जीएसआर सं.851 (ई) 07 जनवरी 2004 के जीएसआर सं.12 (ई) 23 अप्रैल 2004 के जीएसआर सं 278 (ई) 21 अप्रैल 2010 के जीएसआर सं.341 (ई) 16 जुलाई 2004 के जीएसआर सं.454 (ई) के जीएसआर सं.\_ 03 अगस्त 2012 के जीएसआर सं.606 (ई) 21 सितंबर 2004 के जीएसआर सं.625 (ई) 08 दिसंबर 2004 के जीएसआर सं.799 (ई) \_ के जीएसआर सं.\_\_ \_\_\_\_\_ के जीएसआर सं.\_\_\_\_ और 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.201 (ई) 01 अप्रैल 2005 के जीएसआर सं.202 (ई) के जीएसआर सं.\_\_\_\_ 25 जुलाई 2005 के जीएसआर सं.504 (ई)

# अनुसूची 8

## [देखें विनियम 5 (7ए]

## अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए योजना

## 1. पात्र निवेशकः

इन विनियमों में यथापरिभाषित अनुसूची विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू होगी।

#### 2. पात्र लिखत और पात्र लेनदेन -

- (ए) खरीद: अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत डिपाजिटरी सहभागियों के माध्यम से निम्नलिखित में निवेश करने की अनुमति होगी-
- (i) सेबी के पास मान्यताप्राप्त स्टाक ब्रोकरों के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों में ।
- (ii) सेबी के संगत और लागू दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार, भारतीय कंपनियों द्वारा भारत में पब्लिक को ऑफर किये गए ईक्विटी शेयरों में।
- (iii) राइट्स शेयरों, बोनस शेयरों या (शेयरों के) स्टॉक के विखंडीकरण (स्प्लिट)/समेकन या कंपनी/ कंपनियों द्वारा समामेलन, पुनः अलग-अलग (डिमर्जर) होने या इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही के तहत जारी हुए ईक्विटी शेयरों में।
- (बी) बिक्री: अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को इस प्रकार अर्जित ईक्विटी शेयरों को निम्नवत बेचने की अनुमति होगी-
- (i) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों पर मान्यताप्राप्त ब्रोक्रों के माध्यम से; अथवा
- (ii) सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विजिशन आफ शेयर्स एण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 2011 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा
- (iii) सेबी (डीलिस्टिंग आफ सिक्युरिटिज़) दिशानिर्देश, 2009 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा
- (iv) सेबी (बाइबैंक) विनियमावली, 1998 के अनुसार सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के माध्यम से।
- 3. कीमत निर्धारण इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) द्वारा सभी पात्र लेनदेनों और सभी पात्र लिखतों में निवेश के कीमत निर्धारण सेबी के संगत और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे।
- 4. अगुतान/प्रत्यावर्तन का तरीका इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QF!s) द्वारा सूचीबद भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की खरीद और बिक्री से संबंधित लेनदेनों की प्राप्ति और भुगतान करने के सीमित प्रयोजन हेतु भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के पास एक एकल (सिंगल) ब्याज रहित रूपया खाता निम्नतिखित शर्तों के तहत खोला जाएगा:
  - (ए) सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिये विदेशी आवक विप्रेषणों और अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक की पात्र प्रतिभूतियों की बिक्री/मोचन/बायबैकगत आगम राशि (कर घटाकर) और प्राप्त ब्याज/ लाभांश के जमा होने से खाते का निधीयन किया जाएगा।
  - (बी) इस खाते में जमा निधियों का उपयोग अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के लिए पात्र प्रतिभूतियों की खरीद के लिए अथवा भारत से बाहर विप्रेषण (कर घटाकर) के लिए किया जाएगा।
  - (सी) अर्हताप्राप्त डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के अनुदेश पर ऐसे ब्याज रहित रुपया खाते का परिचालन करेगा।

5. डीमैंट खाते - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए भारत में किसी डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास केवल इसी कार्य के लिए डीमैंट खाता खोलने की अनुमित दी जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFI) भारत में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के लिए पात्र प्रतिभूतियों में सभी निवेशों के लिए अर्हताप्राप्त डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास एकल डीमैंट खाता रखेगा।

## 6. सीमाएं और इसकी निगरानी:

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) हेतु एकल तथा सकल निवेश सीमा किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूँजी की क्रमश: 5% और 10% होगी । ये सीमाएं भारत में संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होंगी। इसके अलावा, मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत जहाँ कहीं संयुक्त सैक्टोरेल उच्चतम सीमाएं विनिर्दिष्ट हैं, वहाँ ईक्विटी शेयरों में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के निवेश के लिए ये सीमाएं ऐसी समग्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सैक्टोरेल उच्चतम सीमाओं के भीतर भी होंगी।

इन सीमाओं की निगरानी तथा अनुपालन का संयुक्त तथा अलग-अलग उत्तरदायित्व संबंधित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs), डिपाजिटरी सहभागियों (डीपीएस) तथा (ऐसे निवेश प्राप्त करने वाली) संबंधित भारतीय कंपनियों का होगा।

#### 7. अन्य शर्ते

- (i) पात्रता अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता मानकों (मानदण्डों) को पूरा करना होगा।
- (il) अपने ग्राहक को जानना (केवाईसी) -डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्हताप्रास विदेशी निवेशक (QFIs) सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट 'अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदंडों का
  - ' अनुपालन कर रहे हैं। प्राधिकृत व्यपारी श्रेणी । बैंक भी अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के लिए एकल ब्याज रहित रुपया खाता खोलने एवं रखने के संबंध में 'अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मौजूदा मानदंडों' का अनुपालन होना सुनिश्चित करेंगे।
- (iii) अनुमत मुद्राएं अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIS) सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये किसी अनुमत मुद्रा (मुक्त रूप से परिवर्तनीय) में विदेशी आवक विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के पास रखे गये अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के एकल (सिंगल) रुपया खाते में सीधे प्रेषित करेंगे ।
- 8. रिपोर्टिंग सेबी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार उन्हें रिपोर्टिंग करने के अतिरिक्त, डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित किये गये तरीके और फॉर्मेंट में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे ।

#### संलग्नक ए

# प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र

- ए. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार
- बी. कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी
- सी. चिटफंड का कारोबार
- डी निधि कंपनी
- ई. अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार
- एफ. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण
- जी. तंबाक् अथवा तंबाक् जैसे पदार्थ के सिगार. चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का निर्माण
- एच. निजी क्षेत्रगत निवेश के लिए न खोले गए कार्यकलाप/क्षेत्र अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेलवे ट्रांसपोर्ट (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर)

टिप्पणी: फ्रेंचाइजी, ट्रेंडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी निषिद्ध है।

संलग्नक बी

## विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीति

निम्नितिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र/गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमित दी गई है जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। जिन क्षेत्रों/गतिविधियों को नीचे नहीं दिया गया है उनमें 100 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमित प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है, इसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त कर लिया गया हो। न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा की गणना करते समय शेयर जारी करने की कीमत के अलावा शेयर-निर्गम के बाद अंतरित करने की अविधि के दौरान इसमें अंतरिती द्वारा भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का | प्रवेश मार्ग  |
|---------|---|---------------------------|---------------|
|         |   | प्रतिशत                   |               |
| कृषि    |   |                           |               |
| 1       | कृषि और पशुपालन   |                           |               |
|         | ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पाद्न, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सिंद्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सिंत), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी कृषि | 100%                      | स्वचालित      |
|         | क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।   |                           |               |
| 1.1     | अन्य शर्ते:   |                           |               |
|         | <ol> <li>ट्रांसजेनिक बीजों/ सब्जियों के विकास से संबंधित के<br/>लागू होंगी:-</li> </ol>   | पिनयों के लिए नि          | म्नलिखित शर्त |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि एफडीआई कैंप प्रवेश मार्ग  |
|---------|---|
|         | /ईक्विटी का   |
|         | प्रतिशत   |
|         | (i) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के संबंध में विचार करते समय,  |
|         | कंपनी को जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण(सुरक्षा) अधिनियम के तहत  |
|         | बनाई गई विधियों के अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा   |
|         | (ii) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री का आयात करना हो तो  |
|         | वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमम) अधिनियम, 1992 के तहत जारी  |
|         | अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई शर्ती के अधीन होगा।   |
|         | (iii) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में समय-समय पुर लागू किए   |
|         | गए किसी अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी।  |
|         | (iv) जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का उपयोग करने में शामिल  |
|         | व्यापारिक गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एपूवल कमिटी (औईएसी) और   |
| 1       | रिट्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन  |
|         | होंगी।  |
|         | (v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार किया जाएगा।   |
|         | II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावती निम्नलिखित को कवर करती है:-  |
|         | <ul> <li>पुष्प उत्पादन, बागवानी, सिंड्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए</li> </ul>                                     |
|         | 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है और जिसमें   |
|         | वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप  |
|         | से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन   |
|         | हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं -   |
|         | जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता  |
|         | [F]   |
|         | <ul> <li>पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता</li> </ul>                                    |
|         | है:   |
|         | o स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन।<br>गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी |
|         | (वंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड  |
|         | पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन  |
|         | प्रणालियां अपेक्षित होंगी।  |
|         | o मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-  |
|         | रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित  |
| '       | किया जाता है।   |
|         | וין אווער נפידו   |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप           | प्रवेश मार्ग |  |  |  |  |
|---------|--|----------------------|--------------|--|--|--|--|
| }. ·    |  | /ईक्विटी का          |              |  |  |  |  |
|         |  | प्रतिशत              |              |  |  |  |  |
|         | <ul> <li>मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'निः</li> </ul>   | यंत्रित परिस्थितियों |              |  |  |  |  |
|         | के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है:   |                      |              |  |  |  |  |
|         | o मछलीघर (अक्वेरियम)   |                      |              |  |  |  |  |
|         | o हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली   |                      |              |  |  |  |  |
|         | के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम   |                      |              |  |  |  |  |
|         | जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज्ःड) वातावरण में उन्हें<br>सेया जाता है।                              |                      |              |  |  |  |  |
|         | <ul> <li>मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर</li> <li>करता है:</li> </ul> |                      |              |  |  |  |  |
|         | o कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धाः  | रेत स्थानों पर जंग   | <i>ਜ਼/</i>   |  |  |  |  |
|         | वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के सा   | •                    |              |  |  |  |  |
|         | घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फी  |                      |              |  |  |  |  |
|         | पालन से शहद का उत्पादन।  | ,                    |              |  |  |  |  |
| 2       | चाय बागान  |                      | ·            |  |  |  |  |
| 2.1     | चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र   | 100%                 | सरकार        |  |  |  |  |
|         | टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के  |                      |              |  |  |  |  |
|         | क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।  | -                    | ·            |  |  |  |  |
| 2.2     | अन्य शर्तै:  |                      |              |  |  |  |  |
|         | (i) पांच वर्ष के भीतर किसी भारतीय भागीदार/भारती  | य जन सामान्य के      | पक्ष में     |  |  |  |  |
|         | कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का अनिवार्य विनिवेश  | ,                    |              |  |  |  |  |
|         | (ii) भविष्य में किसी प्रकार के भूमि उपयोग परिक   | र्तन के मामले में    | संबंधित      |  |  |  |  |
|         | राज्य सरकार की पूर्वानुमति।  |                      |              |  |  |  |  |
| 3       | <u> ए</u> न्ट्र  |                      |              |  |  |  |  |
| 3.1     | खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,  | 100%                 | स्वचालित     |  |  |  |  |
|         | 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का,  |                      |              |  |  |  |  |
|         | जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क  |                      |              |  |  |  |  |
|         | शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए  |                      |              |  |  |  |  |
|         | जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें  | 1                    |              |  |  |  |  |
|         | शामिल नहीं किया गया है।  |                      |              |  |  |  |  |
| 3.2     | कोयला और लिग्नाइट  |                      |              |  |  |  |  |
|         | (1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के  | 100%                 | स्वचालित     |  |  |  |  |

| क्र.सं.   | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का<br>प्रतिशत | प्रवेश मार्ग |
|-----------|---|--------------------------------------|--------------|
|           | प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के<br>अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट       |                                      |              |
|           | इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध<br>उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन                  |                                      |              |
|           | (2) वाशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित<br>करना बशर्ते केपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और       | 100%                                 | स्वचालित     |
| -         | धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयत्र से<br>प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं |                                      |              |
|           | करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन<br>पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला      |                                      |              |
| ,         | प्रकोस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे   |                                      |              |
| 3.3,      | टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और ख  | <br>निज पृथक्करण, इस                 | का           |
|           | मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां  | <u>.</u>                             |              |
| 3.3.<br>1 | क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास  | 100 प्रतिशत                          | सरकारी       |
| _         | और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के  |                                      |              |
|           | अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का  |                                      |              |
|           | खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन   |                                      |              |
|           | करना और एकीकृत गतिविधियां   |                                      |              |
| 3.3.      | अन्य शर्तेः   |                                      |              |
|           | भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बा   | लू खनिजों का बड़                     | । भंडार है।  |
|           | टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज नामतः इल्मेनाइट,   |                                      | 1            |
|           | जिरकोनियम पाए जाने वाले खनिज जिनमें जिरकॉन  |                                      | _            |
| ٠         | खनिजों में से हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962  | ? के तहत ' <mark>निर्धा</mark> रित   | । पदार्थ' के |
|           | रूप में वर्गीकृत किया गया है।   |                                      |              |
|           | औयोगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों  |                                      | i            |
|           | 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया और  |                                      |              |
|           | उपयोग नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची के रूप में र  |                                      |              |
| İ         | के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है   | •                                    |              |
|           | अक्तूबर 1998 को जारी किए गए संकल्प संख्या 8/1(1<br>बाल् खनिजों के अन्वेषण के लिए नीति बनाई गई           |                                      |              |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप           | प्रवेश मार्ग     |  |  |  |  |
|---------|--|----------------------|------------------|--|--|--|--|
|         |  | /ईक्विटी का          |                  |  |  |  |  |
|         |  | प्रतिशत              | €                |  |  |  |  |
|         | (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और ज़िरकोनिय                                    | म खनिजों (ज़िरकों    | न) के खनन        |  |  |  |  |
|         | और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की  | अनुमति प्रदान की     | गई।              |  |  |  |  |
|         | परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 18.1.2006 की               |                      |                  |  |  |  |  |
|         | अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.61(ई) द्वारा'निर्धारित पदार्थी' की सूची को पुनः अधिसूचित |                      |                  |  |  |  |  |
|         | किया। टाइटेनियम वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन)  |                      |                  |  |  |  |  |
| ļ       | तथा ज़िरकोनियम, इसकी मिश्रधातु और यौगिकों और वि                                    | रकॉन सहित खनि        | जों/सांद्रकों को |  |  |  |  |
|         | 'निर्धारित पदार्थी' की सूची में से हटा दिया गया।                                   | •                    |                  |  |  |  |  |
|         | (i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करन                                   | ने के लिए एफडीआई     | ,                |  |  |  |  |
|         | निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामत:                                     |                      | ·                |  |  |  |  |
|         |  |                      |                  |  |  |  |  |
|         | (क) प्रौदागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं                                    | भारत के भीतर स्थ     | गापित की         |  |  |  |  |
|         | जाएंगी;  |                      |                  |  |  |  |  |
|         | (ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का  |                      |                  |  |  |  |  |
|         | संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडि                                      |                      |                  |  |  |  |  |
|         | निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा वि  | नियामक बोर्ड द्वार   | ा बनाए गए        |  |  |  |  |
|         | विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा।   |                      |                  |  |  |  |  |
|         | (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी                                   | की गई अधिसूचन        | ा सं. एस.ओ.      |  |  |  |  |
|         | 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थी' के खनन में एफडी3                            | गई की अनुमति नर्ह    | ों दी जाएगी।     |  |  |  |  |
|         | स्पष्टीकरणः (1) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन                                   | जैसे टाइटेनियम वार   | त्रे अयस्कों के  |  |  |  |  |
|         | लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम                                      | •                    |                  |  |  |  |  |
|         | होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाः                               |                      |                  |  |  |  |  |
|         | मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है।                              |                      |                  |  |  |  |  |
|         | (2) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में                                  | उपलब्ध कच्चे मा      | ल का उपयोग       |  |  |  |  |
|         | निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए अ                                   | ौर अंतरराष्ट्रीय स्त | र पर उपलब्ध      |  |  |  |  |
|         | प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के                          | लिए उपलब्ध हो स      | के। इस प्रकार,   |  |  |  |  |
|         | यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को                               | प्राप्त किया जा स    | के तो उपर्युक्त  |  |  |  |  |
|         | (i) (क) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।                               |                      |                  |  |  |  |  |
| 4       | नेन और गास्तिक ग्रेप   | <del> </del>         | 1                |  |  |  |  |
| ļ       | तेल और प्राकृतिक गैस   | 1000/                |                  |  |  |  |  |
| 4.1     | तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां,                                | 100%                 | स्वचालित         |  |  |  |  |
|         | पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन                                      | 1                    | ,                |  |  |  |  |
|         | संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम                                |                      |                  |  |  |  |  |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप  | प्रवेश मार्ग                          |
|---------|---|-------------|---------------------------------------|
|         |   | /ईक्विटी का | ,<br>                                 |
| -       | उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की   | प्रतिशतः    |                                       |
|         | पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी  |             |                                       |
|         | पुन:गैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और  |             |                                       |
|         | फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग,  |             |                                       |
|         | जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और   |             |                                       |
|         | विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय  |             |                                       |
|         | तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी  |             | ·                                     |
|         | सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन   | ·           |                                       |
|         | होगी।   |             |                                       |
| 4.2     | मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के   | 49%         | सरकारी                                |
|         | विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना   |             |                                       |
|         | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।  |             |                                       |
|         | विनिर्माण   |             | <u> </u>                              |
| 5       | सूक्म और लघु उद्यमों में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्त्   |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 5.1     | सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (सूक्ष्म, लघु और म   |             |                                       |
|         | 2006 (एमएसएमईडी, अधिनियम, 2006) में यथापि   |             |                                       |
|         | सीमाओं, प्रवेश मार्गों और अन्य संगत क्षेत्रगत विनिय   |             |                                       |
|         | और्योगिक उपक्रम, जो न तो सूक्ष्म है न तयु स्तर का   |             |                                       |
|         | आरिक्षत वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके लि<br>जहां विदेशी निवेश 24 प्रतिशत से अधिक होगा। इस प्रव |             |                                       |
|         | उत्पादन के लिए औद्योगिक (विकास और विनियमन) 3  |             |                                       |
|         | औद्योगिक लाइसेंस भी लेना अपेक्षित होगा। औद्योगिक ल  |             |                                       |
|         | शर्तों के अधीन होगा और इस विशिष्ट शर्त के अधीन ह  |             |                                       |
|         | वर्षों की अधिकतम अविधि के भीतर एमएसई के लिए   |             |                                       |
|         | अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के   |             |                                       |
|         | निर्यात उत्तरदायित्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने   |             |                                       |
|         | उद्योग( विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की ध  |             |                                       |
|         | होगा।   |             |                                       |
| 6       | रक्षा   |             |                                       |
| 6.1     | रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,  | 26%         | सरकार                                 |
|         |   |             |                                       |

| क्र.सं.  | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप                                | प्रवेश मार्ग                       |
|----------|--|---|------------------------------------|
| M'. \1.  |  | /ईक्विटी का                               |                                    |
|          |  | प्रतिशत                                   |                                    |
|          | 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।   |   |                                    |
| 6.2      | अन्य शर्तैः  |   |                                    |
|          | (i) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और   | क्षा मत्रालय से पर                        | मिशे के बाद                        |
|          | औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय  | द्वारा लाइसेंस दिए ज                      | ाएगे।<br>- ^ ′                     |
| į        | (ii) आवेदक भारतीय कंपनी/भागीदारी फर्म हो।(iii)   | आवेदक कंपनी/ भा                           | गीदारी फर्म का                     |
| ;        | प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी/ भागीदारी प   | नर्म के बोर्ड में बहुर                    | नत प्रतिनिधित्व                    |
|          | भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य क  | ार्यकारी भारतीय नि                        | ग्रसी हो।                          |
|          |  | कों का पर विवस्प                          | ग प्रस्तत किया                     |
|          | (iv) आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपाल<br>जाए।(v) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घ | का का पूर, स्वरूर<br>जिल्लामार्थ की विस्  | । अरसुर । । । ।<br>राग्न स्थिति और |
|          | विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके   | रित्य की जांच कर                          | ने का अधिकार                       |
|          | सुरक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने  | ,प्रयूर, या जाय या.<br>ताओं या हिजाहन     | भधिष्ठानों और                      |
|          | ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सश   | . पाला पा ।उजाइः।<br>इ.स. सत्य भंतरिक्ष ए | वं परमाण ऊर्जा                     |
|          | अनुभागों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छ                                   | र न परा, जारारदा २<br>घटो और जिलके प      | ास एक स्थापित                      |
|          | अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो।(vi) विदेशी प्रत्यक्ष निर्                                    | भ में कोई न्यनतम                          | । पंजीकरण नहीं                     |
|          | होगा। तथापि, उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर 3   | गवेटक कंपनी के प्रव                       | ्र<br>धन द्वारा उचित               |
|          | मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधि   | <br>हारी निर्माण हेत प्रश                 | स्तावित हथियारों                   |
|          | और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिव  | ासी निवेशक की नि                          | वल मालियत की                       |
| 1.       | पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।   |   |                                    |
|          | (vii) एक अनिवासी निवेशक से दूसरे अनिवासी निवेश   | क (अनिवासी भारती                          | य और पूर्व में                     |
|          | 60 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी भारतीय हिस्से  | वाली विदेशी कंपनी                         | निकाय) को                          |
|          | इक्विटी हस्तांतरित करने में तीन वर्ष की लॉक-इन अ   | वधि होगी और ऐसा                           | कोई हस्तांतरण                      |
|          | सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा।(viii) रक्षा म   | त्रालय निर्मित होनेव                      | ाले उत्पादों की                    |
|          | खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि, उ  | नहां तक संभव हो, ऐ                        | से उपकरणों के                      |
|          | लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उ   |   |                                    |
|          | में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों  |   |                                    |
|          | क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार व   |   |                                    |
| <b>{</b> | क्षमताओं पर विचार करेगा।(x) आवेदक कंपनी को उत  |   |                                    |
|          | उपकरण के आयात. जिसमें नमूने का विकास शामिल   | हो, की अन्मति हो                          | गी।                                |
|          | (xi) एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू ह   | होने के बाद लाइसेंसी                      | ों के लिए पर्याप्त                 |
|          | संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया जाना अपेक्षित ह  | ोगा। यह अधिकृत                            | सरकारी एजेंसिय                     |

| क्र.सं.   | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का                                       | प्रवेश मार्ग    |  |  |  |
|-----------|---|---|-----------------|--|--|--|
|           |   | प्रतिशत   |                 |  |  |  |
|           | द्वारा सत्यापन के अधीन होगा।  | AICINE!   |                 |  |  |  |
|           | (xii) लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से                       | या स्वदेशी अनसंध  | न एवं विकास     |  |  |  |
|           | के जरिए उत्पादन किए जानेवाले उपकरण की गुणवता                            | <del>-</del>  |                 |  |  |  |
|           | गोपनीयता खंड के तहत, सरकार द्वारा नामित गुणव                            |   | •               |  |  |  |
|           | •   | गा। नामित की गई गुणवता आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी अ |                 |  |  |  |
|           | लाइसेंसी के गुणवता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखा-परीक्षा करेगी। |   |                 |  |  |  |
|           | मंत्रालय मामला-दर-मामला आधार पर स्व-प्रमाणन की उ                        |   |                 |  |  |  |
|           | अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा निर्मित वस्तुओं के                 | _   |                 |  |  |  |
|           | अवधि के लिए होगी और ये नवीकरण के अधीन होंगे।                            | Α, ,  | 3               |  |  |  |
|           | (xiii) सार्वजानिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार                  | र खरीद की तरजीह   | और मृल्य की     |  |  |  |
|           | तरजीह सार्वजिनक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है।                    |   | <b>`</b>        |  |  |  |
|           | (xiv) निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबा                  |   | सा मंत्रालय को  |  |  |  |
|           | बेचे जाएंगे। ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन र               | •   |                 |  |  |  |
|           | के नियंत्रण के अधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी                          | -   |                 |  |  |  |
|           | ऐसी कोई भी वस्त् किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को व                       |   |                 |  |  |  |
|           | का निर्यात आयुध कारखाने और सार्वजानिक क्षेत्र के रक्ष                   |   | _               |  |  |  |
|           | दिशानिर्देश के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमो                 |   |                 |  |  |  |
| •         | सरकार से इतर व्यक्तियों/संस्थाओं को गैर-प्राणघातक व                     |   |                 |  |  |  |
|           | जाएगी। लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह                            |   |                 |  |  |  |
|           | हटाने के लिए एक सत्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन                         | प्रावधानों का उल्ल  | ांघन करने पर    |  |  |  |
|           | लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।   |   |                 |  |  |  |
|           | (xv) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोग          | नन से विदेशी निवे   | श संवर्धन बोर्ड |  |  |  |
|           | (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार व                               | न निर्णय सामान्यत   | ाया पावती की    |  |  |  |
|           | तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित                        | कर दिया जाएगा।  | · .             |  |  |  |
| सेवा क्षे | 3   |   |                 |  |  |  |
| सूचना     | सेवा  |   |                 |  |  |  |
| 71        | प्रसारण   |   |                 |  |  |  |
| 7.1       | प्रसारण वाहक सेवा   |   |                 |  |  |  |
| 7.1       | ואול יבולוא ו-נולע  |   |                 |  |  |  |

<sup>&#</sup>x27;सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू

| क्र.सं.        | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप                   | प्रवेश मार्ग  |
|----------------|--|------------------------------|---------------|
|                |  | /ईक्विटी का                  |               |
|                | ě  | प्रतिशत                      |               |
| 7.1.1          | (1) टेलीपोर्ट (अप-लिंकिंग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना)   | 74 प्रतिशत                   | 49 प्रतिशत    |
|                |  |                              | तक            |
|                | (2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)                             |                              | स्वचातित      |
|                | (3) केंबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर    |                              | मार्ग         |
|                | परिचालन करनेवाले और डिजिटलाइजेशन एवं                     |                              | 49 प्रतिशत    |
|                | अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम             |                              | से अधिक       |
|                | करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ)                     |                              | और 74         |
|                | (4) मोबाइल टीवी  |                              | प्रतिशत तक    |
|                | (5) हेडएंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग                      |                              | सरकारी मार्ग  |
|                | <b>सर्विस</b> (एचआईटीएस)                                 |                              |               |
| 7.1.2          | केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन                | <b>49 प्रतिशत</b>            | स्वचालित      |
|                | और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य       |                              |               |
|                | नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)             | ,                            |               |
| 7.2            | प्रसारण विषयक सेवाएं                                     |                              |               |
| 7.2.1          | क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो), एफ एम रेडियो       | 26 प्रतिशत                   | सरकारी        |
|                | स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम           |                              |               |
|                | व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण          |                              |               |
|                | मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।        |                              |               |
| 7.2.2          | ''समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शाने वालें' टी           | <b>26 प्रतिशत</b>            | सरकारी        |
|                | वी यैनलों की अपलिंकिंग                                   |                              |               |
| 7.2.3          | ''गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामला दर्शानेवाले''           | 100 प्रतिशत                  | सरकारी        |
| !              | टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/टीवी चैनलों की डाउन-           |                              |               |
|                | लिंकिंग<br>-   |                              |               |
| 7.3            | टीवी चैनलों की अप-लिकिंग/डाउन-लिकिंग में विदेशी प्र      | त्यक्ष निवेश सूचना           | एवं प्रसारण   |
| 1              | मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुसंगत अ             | <b>ग-लिंकिंग/डाउन-लिं</b> वि | कंग नीति के   |
| ļ <del>-</del> | अनुपालन के अधीन होगी।                                    | <del> </del>                 |               |
| 7.4            | उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदे |                              | - 1           |
|                |  |                              |               |
|                | विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना      | एवं प्रसारण मंत्रालय         | य द्वारा समय- |
| 7.5            |  |                              |               |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप         | प्रवेश मार्ग             |
|---------|---|--------------------|--------------------------|
|         |   | /ईक्विटी का        |                          |
|         |   | प्रतिशत            |                          |
|         | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा. विदेशी संस्थागत वि   | नेवेशकों (एफआईअ    | ई). अनिवासी              |
|         | भारतीयों (एनआरआई). विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (  | एफसीसीबी). अमेरि   | की डिपॉजिटरी             |
|         | रसीद (एडीआर). वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्व   | ारा किए गए निवेध   | श और विदेशी              |
|         | संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जि   | ए किए गए निवेश     | शामिल हैं।               |
| 7.6     | उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश नि<br>अधीन होगा:                                      | म्मिलिखित सुरक्षाः | शर्तीं/नियमों के         |
|         | कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्ष   | T .                |                          |
|         | (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक   | होंगे।             |                          |
|         | (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ). तकनीकी नेत   | टवर्क परिचालन के   | प्रभारी म्ख्य            |
|         | अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक ह  |                    | J                        |
|         |   |                    |                          |
|         | कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन  |                    | ¥ 44 \$ :-               |
|         | (iii) कंपनी. निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे वि   |                    |                          |
|         | निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी. मुख्य वित्तीय अ   |                    |                          |
|         | अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटी   | _                  |                          |
|         | (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उस<br>शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वा | •                  | •                        |
|         | अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त  |                    | ाबाद <sup>ु</sup> ट ।कसा |
|         | जान मना रा जानाबारा हाणा भाग व सुरक्षा जानुसादण आत  | 47()               |                          |
|         |   |                    |                          |
|         | कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और   | र प्रबंध निटेशक/मर | य कार्यपालक ।            |
|         | अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सु  | _                  |                          |
|         | तकनीकी अधिकारी (सीटीओ). मुख्य परिचालन अधिका   |                    | -                        |
|         | कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में, सूचना एवं प्रसारण   |                    | 9                        |
|         | निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की   |                    |                          |
|         | कंपनी के लिए बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड मे   | में कोई परिवर्तन व | जरने से पहले             |
|         | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे   |                    |                          |
|         | (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा   |                    |                          |
|         | रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन र   |                    |                          |
|         | कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभि   | नियोजित होने वाले  | सभी विदेशी               |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि |  |  | एफडीआ    | ई कैप | प्रवेश | मार्ग |
|---------|-----------------|--|--|----------|-------|--------|-------|
|         |                 |  |  | /ईक्विटी | का    |        |       |
|         |                 |  |  | प्रतिशत  |       |        |       |

कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

# अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन

- (v) यह अनुमति अनुमति धारक/ लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता-अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है।
- (vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर. अनुमित धारक/लाइसेंसी यह सुनिधित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए. और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमित/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमित/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

## इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा

- (vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं,(vii) विधिसम्मत हस्तक्षेप सेवाओं के कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के अधिकारी/पदधारक (officials) भारतीय नागरिक होंगे।
- (viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबंद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी।
- (x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।

## सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

|                     | —खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण  |                           |                            |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| <del>क्र</del> .सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का | प्रवेश मार्ग               |
|                     |  | प्रतिशत                   |                            |
|                     | (xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण   |                           |                            |
|                     | (हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वार<br>केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी कें |                           | क्षेत हो किर्स             |
|                     | वाद्रावृद्धि स्वयः स्व विविद्धाः अवस्यवः अस्य अस्य   |                           |                            |
|                     | (xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों  |                           | _                          |
|                     | अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनर  |                           |                            |
| ÷                   | निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान(नों)  | नर् आवश्यकः उपक           | रण, सवा आ                  |
|                     | सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।  |                           |                            |
|                     | (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या   |                           |                            |
|                     | प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार ह  |                           |                            |
|                     | प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग  |                           |                            |
|                     | अनुमति/सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार य<br>अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिच            |                           |                            |
|                     | सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्र  |                           |                            |
|                     | उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा   |                           |                            |
|                     | जिसमें आपतिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है।  |                           |                            |
|                     | (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण   | मंत्रालय, भारत सर         | कार या इन <sup>्</sup>     |
|                     | अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने  | के बाद, ऐसी प             | रिस्थितियों व              |
|                     | छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक  | उद्देश्य को खत्म व        | <b>करता हो,</b> कि         |
|                     | जाएंगे।  |                           | •                          |
|                     | (xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित  | होने पर कंपनी अ           | पनी सेवाओं                 |
|                     | संबंधित ऐसी कोई सूचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए   |                           |                            |
|                     | (xvi) अनुमतिधारक/ लाइसेंसधारी भारत सरकार या उस   | रके प्राधिकृत प्रतिनि     | ाधि या ट्राइ र             |
|                     | उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्ट, खाते, प्राक्कलन, रि   | ववराणया या एस।            | अन्य प्रासाग<br>करने के वि |
|                     | जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित<br>उत्तरदायी होंगे।                                       | מחש אל אלימה              | नार्था भाः।(प              |
|                     | (xvii) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारि   | यों/ट्राई के पदाधिका      | रियों या उस                |
|                     | प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को अपनी प्रणालियों के प  |                           |                            |
|                     | न्या नेपा।   |                           |                            |

प्रशिक्षित करना होगा।

| क्र.सं.     | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप               | प्रवेश मार्ग |
|-------------|---|--------------------------|--------------|
|             |   | /ईक्विटी का              |              |
|             |   | प्रतिशत                  |              |
|             | राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें   |                          | · · ·        |
|             | (xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक/ लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। (xix) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कान्नी और/ या |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             |   |                          |              |
|             | नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो।  |                          |              |
|             | अन्य शर्ते  |                          |              |
|             | (xx) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता वे   | हित में या प्रसार        | ण सेवाओं के  |
|             | उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने य   | । आवश्यक समझी :          | जाने वाली नई |
|             | शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा।  |                          |              |
|             | (xxi) लाइसेंसधारी यह सुनिश्वित करेंगे कि उसके द्वारा  | स्थापित किए गए           | प्रसारण सेवा |
|             | संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या  |                          |              |
|             | विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता  |                          |              |
| 8.          | प्रिंट मीडिया   |                          |              |
| 8.1         | समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने  | 26 100                   |              |
| 0.1         | वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का  | 26 प्रतिशत<br>(एफडीआई और | सरकार        |
|             | प्रकाशन   | (रपाडाजाइ जार<br>एनआरआई/ |              |
|             | प्रथमराम  | पीआईओ/                   |              |
|             |   | एफआईआई द्वारा            |              |
|             |   | निवेश)                   |              |
| 8.2         | समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने  | 26 प्रतिशत               | सरकार        |
|             | वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन  | (एफडीआई और               |              |
|             |   | एनआरआई/                  |              |
|             |   | पीआईओ/                   |              |
|             |   | एफआईआई द्वारा            |              |
|             |   | निवेश)                   |              |
| <del></del> |   |                          |              |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप         | प्रवेश मार्ग      |
|---------|--|--------------------|-------------------|
|         |  | /ईक्विटी का        |                   |
|         |  | प्रतिशत            |                   |
| 8.2.1   | अन्य शर्ते:  |                    |                   |
|         | (i) इन दिशा-निदेशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या   |                    |                   |
|         | सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने  |                    |                   |
|         | वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है।  |                    |                   |
|         | (ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी   |                    |                   |
|         | पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन   | के संबंध में सूचना | और प्रसारण        |
|         | मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देश   |                    | गा।               |
| 8.3     | वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले  | 100%               | सरकार             |
|         | जर्नल/नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू   |                    |                   |
|         | वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी  |                    |                   |
|         | दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा   |                    |                   |
| 8.4     | विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन   | 100%               | सरकार             |
| 8.4.1   | अन्य शर्ते   |                    |                   |
|         | (i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका  |                    |                   |
|         | प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। (ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 1956 |                    |                   |
|         |  |                    |                   |
|         | के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा   |                    |                   |
| ų.      | सकता है। (iii)विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक  |                    |                   |
| •       |  |                    |                   |
|         | मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र   |                    | ,                 |
|         | प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति  |                    |                   |
|         | सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.200   | 6 को जारा आर्स     | मय समय पर्।       |
|         | यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा।  |                    |                   |
| 9.      | नागरिक उड्डयन  |                    |                   |
|         | नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और   | गैर-अनुसूचित घरेत  | रू यात्री सेवाएं. |
|         | हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग   | सेवाएं, रख-रखाव    | और मरम्मत         |
|         | संगठनः उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं।  |                    |                   |
| ·       | नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए :  |                    |                   |
|         | (i) 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां   |                    |                   |
|         | सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधा होती है और एयरक्राफ्ट   |                    |                   |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि | एफडीआई कैप  | प्रवेश मार्ग |
|---------|-----------------|-------------|--------------|
|         |                 | /ईक्विटी का |              |
|         |                 | प्रतिशत     |              |

अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है।

- (ii) "एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं।
- (iii) "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक आ अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो।
- (iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है।
- (v) "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है।
- (vi) "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुत: ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटार की मदद से उड़ान भरने वाला विमान से भारी यान से है।
- (vii) "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित शृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए इपलब्ध हो।
- (viii) "गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है।
- (ix) "कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;
- (x) "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो;
- (xi) "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।

| क्र.सं.          | क्षेत्रगतिविधि  | एफडीआई कैप<br>/ईक्चिटी का<br>प्रतिशत                      | प्रवेश मार्ग   |  |
|------------------|---|---|--|--|
| 9.2              | हवाईअङ्डा   |   |  |  |
| <u>.</u>         | (क) नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं  | 100 प्रतिशत   | स्वचालित   |  |
|                  | (ख) मौजूदा परियोजनाएं   | 100 प्रतिशत   | 74 प्रतिशत<br>तक   |  |
|                  |   |   | स्वचालित   |  |
|                  |   |   | 74 प्रतिशत   |  |
|                  |   |   | से अधिक  |  |
|                  |   |   | सरकारी मार्ग   |  |
| 9.3 <sup>2</sup> | हवाई परिवहन सेवाएं  |   |  |  |
|                  | (1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित<br>हवाई यात्री सेवा  | 49 प्रतिशत<br>एफडीआई<br>(एनआरआई के                        | स्वचालित   |  |
|                  |   | ਜਿ <b>ਦ 100</b><br>ਸ਼ਰਿशत)                                |  |  |
|                  | (2) गैर-अनुस्चित हवाई परिवहन सेवा   | 74 प्रतिशत<br>एफडीआई<br>(एनआरआई के<br>लिए 100<br>प्रतिशत) | 49 प्रतिशत तक<br>स्वचालित<br>49 प्रतिशत से<br>अधिक और 74<br>प्रतिशत तक<br>सरकारी मार्ग |  |
|                  | (3) हेलीकॉप्टर सेवा/ समुद्री विसान के लिए डीजीसीए<br>की मंजूरी आवश्यक   | 100 प्रतिशत   | स्वचालित   |  |
| 9.3.1            | अन्य शर्ते  |   |  |  |
|                  | (क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित याजी एयरलाइन: गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं। (ख) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी मई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गों एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचाबित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है। |   |  |  |
|                  | (ग) विदेशी एयरलाइनों को क्षत से अनुस्चित और गैर-  | -अनुसूचित विमान <b>्</b>                                  | गरिवहन सेवाओं  |  |

² सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप           | प्रवेश मार्ग              |  |
|---------|--|----------------------|---------------------------|--|
| -       |  | /ईक्विटी का          |                           |  |
|         |  | प्रतिशत              |                           |  |
|         | को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूजी में उनके चुकता पूजी के   |                      |                           |  |
|         | प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के<br>अधीन होंगे :   |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         | (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।   |                      |                           |  |
|         | (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशको निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना औ   |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         | प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनिय   | मों/शेयरों के पर्योप | त अजेन और                 |  |
|         | अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों   |                      |                           |  |
|         | का पालन करना आवश्यक होगा।  | ·                    |                           |  |
|         | (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परिमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:  क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में हैं:  ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो। |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         | (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित  | और गैर अन्स्चित      | हवाई परिवहन               |  |
|         | सेवाओं के साथ जुड़े हुए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से<br>अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा।<br>(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों  |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         |  |                      |                           |  |
|         | के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिक  | तरियों से अनापति     | प्रमाणपत्र लग             |  |
|         | अपेक्षित होगा।   | ~ ` ^ ^ `            |                           |  |
|         | टिप्पणी: उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित  | प्रत्यक्ष विदेशी निव | श सामा/ प्रवश             |  |
|         | मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइन  | ो द्वारा कोई भी नि   | वश नहा किया               |  |
|         | गया हो।  |                      | ·<br>•                    |  |
|         | (घ) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर उक्त (ग) में वर्णि  | ति नीति लागू नहा     | ह।                        |  |
| 9.4     | नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं   | <del></del>          | 1                         |  |
|         | (1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं,   | 74 प्रतिशत           | 49 प्रतिशत तक<br>स्वचालित |  |
|         | क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के  | एफडीआई<br>(एनआरआई के | 49 प्रतिशत से             |  |
|         | अधीन   | (रनजारजाइ क          | अधिक और 74                |  |
|         |  | प्रतिशत)             | प्रतिशत तक                |  |
|         | ·  |                      | सरकारी मार्ग              |  |
| L       |  |                      |                           |  |

| क्र.सं. | क्षेत्रगितिविधि  | एफडीआई कैप   | प्रवेश मार्ग                    |
|---------|--|--|---------------------------------|
|         |  | /ईक्विटी का  |                                 |
|         |  | प्रतिशत  |                                 |
|         | (2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण  | 100 प्रतिशत  | स्वचालित                        |
|         | संस्थानः और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान   |  |                                 |
| 10      | पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली क्रियर  | 100 प्रतिशत  | सरकार                           |
|         | सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे  | •  |                                 |
|         | में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित   | •  |                                 |
|         | गतिविधियाँ को छोड़कर   |  |                                 |
| 11      | निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियार्द  | । संरचना   | ·                               |
| 11.1    | टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी सुविधाएं और   | 100 प्रतिशत  | स्वचालित                        |
|         | निर्माण-विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास  | ,  |                                 |
|         | वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षिव   | 7  |                                 |
|         | संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्त   |  |                                 |
|         | की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन जो इन तव   | 5  |                                 |
|         | ही सीमित नहीं हैं)   |  |                                 |
| 11.2    | निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः  |  | <u> </u>                        |
|         | (1) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित रि   | कया जॉन वाला ६                                     | सत्र ।जम्मालाखः                 |
|         | होगा:  | × 40 >->   | · • • •                         |
|         | (i) सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंड के विकास के मामले  | म, 10 हक्टयर व                                     | मा न्यूनतम न्                   |
|         | क्षेत्र  | · <del></del>                                      | क्ता दिन्द्र भ                  |
|         | (ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,00   | १ वंगमाटर का न्य                                   | Malca 1016-21.                  |
|         | क्षेत्र  | रू <del>के के बोर्च</del> एक '                     | तर्गाम होती                     |
|         | (iii) संयोजन परियोजना के मामले में, ऊपर की दो शत   | ॥ म स काइ रक                                       | Adict Civil                     |
|         | (2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए न्यू<br>भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम के लिए 5 | ्नतम 10 लाख अ<br>लाख अमेरिकी इ                     | मेरिकी डालर अँ<br>इलर का न्यूनत |
|         | पूंजीकरण। कंपनी के कारोबार के प्रारंभ होने के छह   | हीने के भीतर ही                                    | निधियों को ला                   |
|         | होगा।  |  |                                 |
| 1       |  | ਹਵਕੇ ਸ਼ੁਕ ਜ਼ਿਰੇਆ ਰ                                 | ने प्रत्यावर्तित न              |
|         | (3) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने के तीन साल से  | न्दरा जूरा शबरा न<br>निटेशी निवेश के               | रूप में लायी ग                  |
|         | किया जा सकता है। मूल निवेश का तात्पर्य प्रत्यक्ष   | प्रत्यक्ष विदेशी                                   | <br>निवेश की प्रत्ये            |
| 1       | पूरी राशि से है। तीन वर्ष की लॉक-इन-अवधि के  | ्त्राच्याः व्यवसा<br><del>च्याः ने</del> सम्बद्धाः | की व्यक्तिया जो                 |

किस्त/शृंखला की प्राप्ति की तारीख या न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से लागू किया जाएगा। हालांकि, निवेशकों के लिए एफआईपीबी के माध्यम से

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि                             | एफडीआई कैप प्रवेश मार्ग |
|---------|---|-------------------------|
|         |   | /ईक्विटी का             |
|         |   | प्रतिशत                 |
|         | सरकार के पर्व अनमोदन से पहले बाहर निकलने की | अनुमति दी जा सकती है।   |

- (4) सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी सभी परियोजना का कम से कम 50% विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक/निवेशिती कंपनी को अविकसित भूखंडों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा-निर्देशों के प्रयोजन के लिए, 'अविकसित भूखंडों का तात्पर्य ऐसे भूखंडों से है जहां निर्धारित विनियमों के तहत सड़क, पानी की आपूर्ति, सड़क पर रोशनी, जल निकासी, सीवरेज, और अन्य स्विधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंडों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशक इस ब्नियादी ढांचे को उपलब्ध कराए और संबंधित स्थानीय निकाय/ सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे।
- (5) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार/ नगरपालिका/ संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग संबंधी अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अन्रूप होना चाहिए।
- (6) निवेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें इमारत/ले-आउट योजना, आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों और अन्य बुनियादी स्विधाओं का विकास, विकास,बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित स्थानीय राज्य सरकार/नगरपालिका/निकाय के लागू नियमों/उप विधियों/विनियमों के तहत सभी अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
- (6) निवेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिनके अंतर्गत भवन/खाका, आंतरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य बुनियादी संरचनागत स्विधाओं का विकास, डेवलपमेंट, बाहरी विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमावली/उप नियमावली/विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का पूरा किया जाना शामिल है।
- (7) भवन/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/नगरपालिका/ स्थानीय निकाय यह निगरानी करेगा कि डेवलपर उपर्युक्त शर्ती का अनुपालन करता है कि नहीं। नोट :

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप              | प्रवेश मार्ग      |
|---------|--|-------------------------|-------------------|
|         |  | /ईक्विटी का             |                   |
|         |  | प्रतिशत                 |                   |
|         | (i) होटलों और पर्यटन, अस्पतालों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ए                                 | सईज़ेड), शिक्षा क्षेत्र | , वृद्धाश्रमों और |
|         | अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर   | _                       |                   |
|         | बताई गई शर्तें लागू नहीं होंगी।  |                         |                   |
|         | (ii) रियल एस्टेट कारोबार में एफडीआई की अनुमति नहीं   | है।                     |                   |
| 12      | औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा  | 100 प्रतिशत             | स्वचालित          |
| 12.1    | (i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डे  | वलप की गई भूमि          | ने प्लॉटों या     |
|         | इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से  | युक्त क्षेत्रों के तौर  | पर उच्च कोटि      |
|         | की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और  | इन्हें सभी आबंटित       | ती इकाइयों को     |
|         | औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जात   | ा है।                   | ·                 |
|         | (ii) ''बुनियादी संरचना'' का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से                                       | है जो औद्योगिक          | पार्क में स्थित   |
|         | इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं। इनके  | अंतर्गत सड़कें (पहुं    | चने का मार्ग),    |
|         | जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचा  | <del>-</del>            | 1                 |
|         | नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं।                               |                         |                   |
|         | (iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को            |                         |                   |
|         | उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं। इनके अंतर्गत बिजली, सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल          |                         |                   |
|         | आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य                       |                         |                   |
|         | टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक   | सुविधा भवन, और          | योगिक कैंटीन      |
|         | कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सं                                  | ोवा, प्रथमोपचार केंद्र  | , एंबुलेंस और     |
|         | अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगि  | क पार्क में स्थित       | । इकाइयों के      |
|         | सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुवि  | धाएं शामिल हैं।         |                   |
|         | (iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :                                 | <del></del>             |                   |
|         | (ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में -   | इकाइयों को आबटन         | न हेत् उपलब्ध     |
|         | निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र                                      |                         |                   |
|         | (ती) हमान्त्रसम् क्षेत्र के गामके में क्शी केन और  | मतंत्रा=म सविश्वानं ः   |                   |
|         | (बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और<br>के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र। | त्तामान्य सुविधार       | असल्य करान        |
|         | אי ועול אבוינו איוונוטוג מואן  |                         |                   |
|         | (सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र  | के संयुक्त रूप के       | मामले में -       |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप             | प्रवेश मार्ग      |  |  |
|---------|---|------------------------|-------------------|--|--|
|         |   | /ईक्चिटी का            |                   |  |  |
|         | •   | प्रतिशत                |                   |  |  |
|         | इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट  | और फर्शी क्षेत्र, वि   | जेसमें सामान्य    |  |  |
|         | सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है।            |                        |                   |  |  |
|         | (v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक  |                        |                   |  |  |
|         | और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपू                                  | •                      |                   |  |  |
|         | गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवित                                    |                        |                   |  |  |
|         | गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान,                           |                        | <b>I</b>          |  |  |
|         | पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व                                     |                        | संबंधी परामश      |  |  |
|         | गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तब                                  |                        |                   |  |  |
| 12.2    | औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युव                              | -                      | <b>I</b>          |  |  |
|         | विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पा                                 | लन करने के लिए         | बाध्य नहीं        |  |  |
|         | किया जाएगा, बशर्त कि औद्योगिक पार्क निम्नतिखित श                                  | र्तों को पूरा करते हैं | Ť:                |  |  |
|         | (i) उनमें कम-से-कम 10 इकाइयां शामिल हों और कोई                                    | भी एकल इकाई आ          | वंटनीय क्षेत्र    |  |  |
|         | का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेरी                                 | ो;                     | *                 |  |  |
|         | (ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनत                             | म प्रतिशत कुल आ        | बंटनीय क्षेत्र के |  |  |
| ·       | 66 प्रतिशत से कम न हो।  |                        |                   |  |  |
| 13      | उपग्रह - स्थापना और परिचालन   |                        |                   |  |  |
| 13.1    | उपग्रह – स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष                                       | 74 प्रतिशत             | सरकार             |  |  |
|         | विभाग/ आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष दिशा-निर्देशों के                                 | ·                      | •                 |  |  |
|         | अधीन है।  |                        |                   |  |  |
| 14      | निजी सुरक्षा एजेंसियां  | 49 प्रतिशत             | सरकार             |  |  |
| 15      | दूरसंचार सेवाएं   |                        |                   |  |  |
|         | विनिदिष्ट सेवाओं के लिए निवेश की उच्चतम सीमा और                                   | अन्य शर्तें नीचे दश    | र्गई हैं।         |  |  |
|         | तथापि, सभी सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंसिंग और स्रक्षा के संबंध में |                        |                   |  |  |
|         | अधिस्चित अपेक्षाओं का अन्पालन किया जाना आवश्यक है।                                |                        |                   |  |  |
| 15.1    | (i) दूरसंचार सेवाएं   | 74 प्रतिशत             | 49 प्रतिशत        |  |  |
|         |   |                        | तक स्वचालित       |  |  |
|         |   | :                      | 49 प्रतिशत से     |  |  |
|         |   |                        | अधिक और           |  |  |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का<br>प्रतिशत | प्रवेश मार्ग                     |
|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|         |                 |                                      | 74 प्रतिशत<br>तक सरकारी<br>मार्ग |

### 15.1.1 अन्य **श**र्ते :

## (1) सामान्य शर्ते :

- (i) मूलभूत, सेल्युलर, युनिफाइड ऐक्सेस सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, वी-सैट, पब्लिक मोड रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित सेवाओं पर यह लागू है।
- (ii) लाइसेंसधारी कंपनी में किए जाने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई संबंधी उच्चतम सीमा के प्रयोजन से परिकलित किया जाएगा। विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल हैं। किसी भी स्थित में 'भारतीय' शेयर धारिता 26 प्रतिशत से कम न हो।
- (iii) लाइसंसधारी कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों, जिनमें उनकी धारक कंपनियां शामिल हैं, में किए जाने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उस स्थिति में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है जब उसका असर 74 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पड़ता हो। निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन देते समय एफआईपीबी यह ध्यान में रखेगा कि इस प्रकार के निवेश चिंताजनक देशों और/या अमैत्रीपूर्ण संस्थाओं से न आते हों।
- (iv) निवेश को दिए जाने वाले एफआईपीबी के अनुमोदन में यह शर्त विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबंधित कंपनी लाइसेंस संबंधी करार का पालन करेगी।
- (v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कानूनों के अधीन होंगे और वे विदेशी देश/देशों के कानूनों के अधीन नहीं होंगे।

## (2) सुरक्षा संबंधी शर्ते :

- (i) तकनीकी नेटवर्क के परिचालनों का मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक हो।
- (ii) बुनियादी सरचना/नेटवर्क के आरेख के ब्योरे (नेटवर्क के तकनीकी ब्योरे) आवश्यकता पड़ने पर केवल दूरसंचार उपस्करों के पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसधारी कंपनी के संबद्ध/मूल संस्था को दिए जा सकेंगे। यदि इस प्रकार की सूचना किसी और को दी जानी है तो उसके लिए लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) से मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि |   | एफडीआई कैप                          | प्रवेश मार्ग        |
|---------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| ••••    |                 |   | /ईक्विटी का                         |                     |
|         |                 |   | प्रतिशत                             |                     |
|         | (iii) सुरक्षा   | के कारणवश, लाइसेंसदाता द्वारा इन सर   | थाओं के राष्ट्र स्तरी               | ाय ट्रैफिक की       |
|         | पहचा            | न की जा सकती है/उनके संबंध में विनिर्देश                                      | ा देकर यह देखा जा                   | सकता है कि          |
| ħ       |                 | भारत के बाहर कहीं न ले जाया जाएगा/भैज   |                                     |                     |
|         | (iv) लाइसे      | सिधारी कंपनी यह सुनिश्वित करने के लि  | ोए पर्योप्त और सम                   | याचित उपाय          |
|         |                 | कि अभिदाताओं द्वारा अमुक नेटवर्क  | क माध्यम स सध                       | ारत का गया          |
| -       |                 | ा सुरक्षित और संरक्षित है।  | <del>जरे जाटाउँग्रह</del> ागी       | कंपनियों के         |
|         |                 | ां के विधि-सम्मत अवरोधन से  |                                     | 4,410141 4,         |
|         |                 | कारी/पदाधिकारी निवासी भारतीय नागरि<br>नी के बोर्ड के अधिकांश निदेशक भारत      |                                     |                     |
|         |                 | ना के बाड के आयकारा निदर्शक नार्रा<br>अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपा   |                                     | र्विभो) भौर/या      |
|         | (vii) यदि       | ् अध्यक्ष, प्रबंध किंदराय, मुख्य पायपा<br>य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के पदों प   | म तिटेशी नागरि                      | क हों तो उस         |
|         | મુહ             | य में गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अ  | सम्मित बेनी <b>भपे</b> क्षि         | त होगी। इस          |
|         | सब              | य में गृह मेत्रालय से सुरक्षा समया उर<br>र की सुरक्षा संबंधी अनुमति वार्षिक उ | पुरात एर लेनी 3<br>भंतराज पर लेनी 3 | भपेक्षित होगी।      |
|         |                 | सुरक्षा संबंधी अनुमति देने के दौरान   |                                     |                     |
|         | 100             | ति में गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने व  | ाता निर्देश लाइसेंस                 | धारी के लिए         |
|         | •               | यकारी होगा।   |                                     | ·                   |
|         |                 | ना निम्नलिखित मदों को भारत के ब   | ।।हर रहने वाले व्य                  | कि/स्थान को         |
|         |                 | रित नहीं करेगी:   |                                     |                     |
|         |                 | दाता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना   | (अंतरराष्ट्रीय रोगि                 | नंग/बिलिंग को       |
|         |                 | (नोट : इससे सांविधिक रूप से अप  |                                     |                     |
|         | i               | ण प्रतिबंधित नहीं होगा); तथा  |                                     |                     |
| -       | <b>I</b>        | क्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के दौरान भ  | ारतीय परिचालकों                     | के नेटवर्क का       |
|         | •               | रने वाले विदेशी अभिदाताओं से संबंधित  |                                     |                     |
|         |                 | नी को अपने अभिदाताओं के संबंध   |                                     |                     |
|         | पह              | वान की जानकारी देनी चाहिए। तथा  | पि, विदेशी कंपनि                    | यों के रोमिंग       |
| -       | ्री अधि         | भेदाता को दी जाने वाली सेवा के मामत   | में भारतीय कंपन                     | ो रोमिंग करार       |
|         | के              | एक अंग के रूप में विदेशी कंपनी से रं  | मिंग अभिदाताओं व                    | <b>ति पता लगाने</b> |
|         | ,               | य स्थिति में पहचान की जानकारी प्राप्त   |                                     |                     |
|         |                 | इसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत की गई                                      |                                     |                     |
|         |                 | ए जाने पर दूरसंचार सेवाप्रदाता कभी ।  |                                     |                     |
|         |                 | गोलिक अवस्थिति की जानकारी देने की   |                                     |                     |
|         | (xi) केव        | ल भारत में स्थित अनुमोदित स्थल  | (स्थलों) के माध्यम                  | से विदेशों में      |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि               | 1                           | एफडीआई कैप        | प्रवेश मार्ग   |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|
|         | 1                             |                             | /ईक्विटी का       |  |
|         |                               |                             | प्रतिशत           |  |
|         | स्थित अनुमोदित स्थल           | (स्थलों) में ही नेटवर्क     | का रिमोट ऐक्सेस   | (आरए) दिया   |
|         | जाएगा। स्थल(स्थलों)           | न अनुमोदन लाइसेंसदा         | ाता (दूरसंचार विभ | ाग) द्वारा गृह                                       |
|         | मंत्रालय के साथ पराम          | ं करके दिया जाएगा)।         |                   | ,  |
|         | (xii) किसी भी स्थिति में      | आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्मात    | ताओं और संबद्ध    | संस्थाओं को  |
|         | दिए गए रिमोट ऐव               | सेस के माध्यम से '          | विधिसम्मत अवर     | धिन सिस्टम   |
|         |                               | मत अवरोधन मॉनिटरि           |                   |  |
|         |                               | अन्य ऐसे किसी संवे          |                   |  |
|         | पाकर हस्तक्षेप न              | ों किया जाना चार्           | हेए, जिन्हें सम   | य-समय पर   |
|         | लाइसेंसदाता द्वारा औ          | प्रेस्चित किया जाता हो      | TI <sup>s</sup>   |  |
|         | (xiii) लाइसेंसधारी कंपनी      | <b>को कंटेंट की निगरानी</b> | में रिमोट ऐक्सेर  | स सुविधा का  |
|         | प्रयोग करने की अनु            | ाति नहीं है।                |                   |  |
|         | (xiv) भारत में विनिर्दिष्ट    | सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदा    | ाता के पास ऐसी    | एक समुचित  |
|         | तकनीकी व्यवस्था               | ोनी चाहिए जिसके 3           | भंतर्गत निगरानी   | के प्रयोजनार्थ                                       |
|         | रिमोट ऐक्सेस का ए             | ह मिरर इमेज हो।             |                   |  |
|         | (xv) भारत में परिचालित        | नेटवर्क से संबंधित          | रिमोट ऐक्सेस क    | ार्यों के संपूर्ण                                    |
|         | ऑडिट ट्रेल की जान             | नारी का रखरखाव छम           | ाही अवधि के लिए   | र किया जाना  |
| •       |                               | सेंसदाता या उसके द्वा       |                   | अन्य एजेसी   |
|         | को अनुरोध किए जा              | पर उपलब्ध कराना च           | चाहिए।            |  |
|         | (xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाता   | ओं को यह सुनिश्वित व        | करना चाहिए कि उ   | उनके उपकरण   |
|         |                               | यल से विधिसम्मत अ           |                   | रानी करने की   |
|         | आवश्यक व्यवस्था (             | तर्डवेयर/साफ्टवेयर) उपत     | नब्ध है।          | 0:0  |
|         | (x vii) दूरसंचार सेवा प्रदाता | ओं को विजिलेंस टेक्नि       | कल मॉनिटरिंग (व   | विटाएम)/सुरक्षा                                      |
|         |                               | यों/पदाधिकारियों को         |                   | क पारचालना/  |
|         | विशेषताओं के संबंध            | में जानकारी/प्रशिक्षण वि    | दिलाना चाहिए।     | <u>~ ~ ~ ~ </u>                                      |
|         | (xviii) लाइसेंसदाता को राष    | ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि स   | ने किसी लाइसंसध   | ारा कपना का  |
|         | परिचालन करने से               | तिबंधित करने का आ           | धेकार होगा।       | <del>-&gt;                                    </del> |
|         | (xix) आवाज और आंकड़ों         | की निजता को सुरक्षि         | त रखन का हाष्ट    | स कद्राय गृह   |
|         |                               | वंघ-शासित क्षेत्रों के व    | गृह साचवा द्वारा  | भागकीय ।कर   |
|         | जाने पर ही निगरान             | की जाएगी।                   | <u> </u>          | <del></del>  |
|         | (xx) ट्रैफिक की निगरार्न      | करने हेतु लाइसेसध           | ारा कपना सुरक्षा  | एजासया का<br><del>चि</del> रुमार्ग में               |
|         | अपने नेटवर्क के               | भलावा अपनी खाता-ब           | गहया आर अन्य      | ्रसुविधाजा म   |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप                 | प्रवेश मार्ग     |  |  |
|---------|---|----------------------------|------------------|--|--|
|         |   | /ईक्विटी का                |                  |  |  |
|         |   | प्रतिशत                    |                  |  |  |
|         | ऐक्सेस दिलाएगी।   |                            | 1                |  |  |
|         | (xxi) सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त शर्तें इस परिपत्र  | के अंतर्गत दूरसंग          | गर सेवा का       |  |  |
|         | परिचालन करने वाली सभी लाइसेंसधारी कंपनियों पर लागू होंगी, चाहे<br>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्तर कुछ भी हो। |                            |                  |  |  |
|         |   |                            |                  |  |  |
|         | (xxii) कॉल सेंटरों, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ), टेली-मार्केटिंग, टेली-                             |                            |                  |  |  |
|         | एजुकेशन आदि जैसी सेवा देने वाले अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) तथा   |                            |                  |  |  |
|         | दूरसंचार विभाग के पास ओएसपी के रूप  |                            | ľ                |  |  |
|         | लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा  | प्रदत्त दूरसंचार           | की बुनियादी      |  |  |
|         | संरचना का प्रयोग करके अपनी सेवा परि   | वालित करते हैं औ           | र उनके लिए       |  |  |
|         | 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 3   | <b>ानुमति दी जाती है</b>   | । चूंकि सभी      |  |  |
|         | लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर र  | मुरक्षा संबंधी ये श        | र्ते लागू होती   |  |  |
|         | हैं, अतः ओएसपी पर सुरक्षा संबंधी उप   | र्युक्त शर्ते अलग <b>ः</b> | से लागू नहीं     |  |  |
|         | होंगी।  |                            |                  |  |  |
|         | (3) उपर्युक्त सामान्य शर्ते और सुरक्षा संबंधी शर्ते दू  |                            |                  |  |  |
|         | वाली ऐसी कंपनियों पर भी लागू होंगी जो विदेशी प्रत्य   | क्ष निवेश संबंधी 4         | 9 प्रतिशत की     |  |  |
|         | उच्चतम सीमा के अधीन हों।  |                            |                  |  |  |
|         | (4) सभी दूरसंचार सेवाप्रदाता प्रति वर्ष 1 जुलाई और 1  | । जनवरी को लाइसें          | सदाता को         |  |  |
| 15.0    | उपर्युक्त शर्तों की एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।   |                            |                  |  |  |
| 15.2    | (ए) गेटवे युक्त आईएसपी  | 74 प्रतिशत                 | 49 प्रतिशत       |  |  |
|         | (बी) गेटवे उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी अर्थात्   |                            | तक स्वचालित      |  |  |
|         | गेटवे रहित (उपग्रह और समुद्री केबल दोनों)   |                            | 40               |  |  |
|         | <b>3</b>  |                            | 49 प्रतिशत से    |  |  |
|         | नोट : दूरसंचार विभाग के दिनांक 24 अगस्त 2007  | *                          | अधिक तथा         |  |  |
|         | के नए दिशा-निर्देशों में 74 प्रतिशत तक के   | ŀ                          | 74 प्रतिशत       |  |  |
|         | एफडीआई के लिए नए आईएसपी लाइसेंस देने का   |                            | तक सरकारी        |  |  |
|         | प्रावधान किया गया है।   |                            | मार्ग            |  |  |
|         | (सी) रेडियो पेजिंग  |                            |                  |  |  |
|         | (डी) एंड-टू-एंड बैंड विड्थ  |                            |                  |  |  |
|         |   | 100 -0                     |                  |  |  |
| 15.3    | (ए) डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर   | १०० प्रातशत ।              | 49 प्रतिशत       |  |  |
| 13.5    | (ए) डोक फोइबर, राइट आफ व, डक्ट स्पस, टावर<br>(आईपी श्रेणी I) प्रदान करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता      | -                          | 49 प्रतिशत<br>तक |  |  |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   |                                |                  |  |
|---------|---|--------------------------------|------------------|--|
| अग.रा.  | कात्र/•।।तावाय  | एफडीआई कैप                     | प्रवेश मार्ग     |  |
|         |   | /ईक्विटी का                    |                  |  |
|         |   | प्रतिशत                        |                  |  |
|         | (सी) वॉइस मेल   |                                | <b></b>          |  |
|         | टिप्पणी : उपर्युक्त सभी गतिविधियों में निवेश इन                                     |                                | 49 प्रतिशत       |  |
|         | शर्तों के अधीन है कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में भारतीय                                 |                                | से अधिक          |  |
|         | जनता के पक्ष में अपनी इक्विटी का 26 प्रतिशत   | i                              | सरकारी मार्ग     |  |
|         | डाइवेस्ट कर देंगी, यदि ऐसी कंपनियां विश्व के अन्य                                   |                                | •                |  |
|         | भागों में स्चीबद्ध हैं।   |                                |                  |  |
| 16.     | व्यापार   |                                |                  |  |
| 16.1    | (i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार (एमएसई                                    | 100 प्रतिशत                    | स्वचालित         |  |
|         | से सोसिंग सहित)   |                                |                  |  |
| 16.1.   | परिभाषा : कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार का                                  | अभिप्राय है कि खु              | दरा व्यापारियों, |  |
| 1       | औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिव                                    |                                |                  |  |
|         | थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को                                  |                                |                  |  |
|         | करना। तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा – व्या                                      |                                |                  |  |
|         | प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लि                                    | ·                              |                  |  |
|         | उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन                                  | प्रकार के ग्राहकों             | को की गई है,     |  |
|         | न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार                                       | में पुन: बिक्री, प्र           | संस्करण तथा      |  |
|         | उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी |                                |                  |  |
|         | बिक्री तथा बी2बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।  |                                |                  |  |
| 16.1.   | कैश एंड कैरी थोक व्यापार/ थोक व्यापार के संबंध में दिश                              | ग-निर्देश                      |                  |  |
| 2       | (ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य  | सरकार/सरकारी र्ा               | नेकाय/सरकारी     |  |
| •       | प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय   | के संबंधित                     | अधिनियमों/       |  |
|         | विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइ   | :<br>संस/पंजीकरण/परम्          | नेट प्राप्त किए  |  |
|         | जाएंगे।   |                                |                  |  |
|         | (बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़व                                       | हर, थोक व्यापारी <b>ह</b>      | द्वारा 'कैश एंड  |  |
| ļ       | कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारो   | बारी ग्राहकों के सा            | थ बिक्री तभी     |  |
|         | माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के   | साथ किया जाए:                  |                  |  |
|         | <ul><li>(I) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्ब</li></ul>                    | क पंजीकरण रखने                 | वाली संस्थाएं;   |  |
|         | अथवा  |                                |                  |  |
|         | (II) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय र                                       | <b>म्वशासन प्राधिकारी</b>      | द्वारा दुकान     |  |
|         | तथा स्थापना अधिनियम के अधीन उ   | गरी व्यापार ला                 | इसेंस अर्थात्    |  |
|         | लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणप  | ात्र/पंजीकरण <mark>रखने</mark> | वाली संस्थाएं    |  |
|         |   |                                | •                |  |

| क्र.सं.      | क्षेत्र/गतिविधि  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का   | प्रवेश मार्ग     |  |
|--------------|--|---|-----------------------------|------------------|--|
|              |  |   | प्रतिशत                     |                  |  |
|              | जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा  |   |                             |                  |  |
|              | भी मामला हो, रखनेवाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े |   |                             |                  |  |
|              | +  | कारोबार में लगे हों; अथवा   |                             |                  |  |
|              |  | सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकार्यों से खुदरा कारोबार करने के |                             |                  |  |
|              | 1 .  | स आदि (जैसे कि हॉकर्स   | के लिए तेहबजारी त           | था उसी प्रकार    |  |
|              | · · ·  | वाली संस्थाएं, अथवा   |                             |                  |  |
|              |  | र रखनेवाली संस्थाएं या  |                             | _                |  |
|              | ,  | जिनक न्यास के रूप में पंज   |                             |                  |  |
| ,            |  | ा, जिसके साथ थोक व्यापा<br><del>रोक्</del> र                            | र किया गया ह, क             | । 4 राता म स     |  |
|              | कोई एक शर्त पूरी करनी।<br>(सी) बिक्री का पूरा रिव                        | हागा :<br>गर्ड जैसे कि संस्था का न                                      | तम् संस्थाकास्य<br>स्थान    | क्रम एंडीक्स्स   |  |
|              |  | गड जस कि सस्या का स्<br>गदि संख्या, बिक्री की राशि                      |                             |                  |  |
| -            | दैनिक आधार पर  |   | , 31114 3141 [4 14          | 1011 101113      |  |
|              | 1  | रंपनियों <b>के बी</b> च वस्तुओं ब                                       | <sub>ज</sub> थोक व्यापार कर | ने की अनमति      |  |
|              | 1  | के रूप में ली गई कंपनिय   |                             |                  |  |
|              | 1  | के कुल टर्न ओवर के 2  |                             |                  |  |
|              | चाहिए।   | 3   | •                           |                  |  |
|              | (ई) लागू विनियमों के उ   | अधीन सामान्य कारोबारी प्र   | था के रूप में थोक           | व्यापार किया     |  |
| <del> </del> | जा सकता है, जिर  | तमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध   | कराना भी शामिल              | है।              |  |
|              | (एफ) उपभोक्ता को सी  | धे ही बिक्री करने के लिए,   | थोक/कैश एंड कैरी            | व्यापारी खुदरा   |  |
|              | दुकाने नहीं खोल  | सकेगा।  |                             |                  |  |
| 16.2         | ई-कॉमर्स गतिविधियां  | 100 प्रतिशत   | स्वचालित                    |                  |  |
|              | ई-कॉमर्स गतिविधियों का आ   | भेप्राय है - ई-कॉमर्स प्लैट   | फार्म के माध्यम सं          | किसी कंपनी       |  |
|              | द्वारा खरीदने और बेचने की  | ातिविधि। ऐसी कंपनियां के  | वल बी2बी ई-कॉमर             | र्नकरेंगीन कि    |  |
|              | खुदरा व्यापार। अन्य बातों वे   | h साथ-साथ, इसका यह 3  | ाभिप्राय होगा कि वे         | रेशी व्यापार में |  |
|              | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी व  | र्तिमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स प   | र भी लागू होंगे।            |                  |  |
| 16.3         | ऐसी मदों की टेस्ट मार्केटिं  |   | सरकार                       |                  |  |
|              | जिसके विनिर्माण के लि  | · ·   |                             |                  |  |
|              | कंपनी के पास अनुमोदन   | !   |                             |                  |  |
|              | बशर्त कि ऐसी टेस्ट मार्केटिं   | ग   |                             |                  |  |

| क्र.सं.           | क्षेत्र/गतिविधि                                   | एफडीआई कैप प्रवेश मार्ग<br>/ईक्विटी का   |
|-------------------|---|--|
|                   |   | प्रतिशत                                  |
|                   | सुविधा 2 वर्ष की अवधि के                          |  |
|                   | लिए होगी, तथा विनिर्माण                           |  |
|                   | सुविधा स्थापित करने के लिए                        |  |
|                   | निवेश टेस्ट मार्केटिंग के साथ-                    |  |
|                   | साथ ही प्रारंभ हो।                                |  |
| 16.4 <sup>3</sup> | सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा 100 प्रतिशत             | सरकार                                    |
|                   | व्यापार   | <u> </u>                                 |
|                   | (1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी  | निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथ        |
|                   | विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के         | <del>-</del>                             |
|                   | सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग क    |  |
| ٠.                | प्रौयोगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच         | के माध्यम से भारतीय उचमों की             |
|                   | प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।               |  |
|                   | (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्या | स विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्ती के       |
| ٠                 | अधीन किया जाएगा:                                  |  |
|                   | (ए) बेचे जानेवाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (जि     | सेंगल ब्रैंड) के होंगे।                  |
|                   | (बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्री     | _  |
|                   | अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों              | में उत्पाद एक ही ब्रैंड                  |
|                   | के अधीन बेचे जाने चाहिए।                          |  |
|                   | (सी) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार म     | नें वही उत्पाद शामिल होंगे               |
|                   | जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जात        | ग है।                                    |
|                   | (डी) केवल एक अनिवासी संस्था को. चा                | हे ब्रैंड का स्वामी हो अथवा अन्यथा       |
|                   | विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद   | खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के स्वामी के |
|                   | साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार               |  |
|                   | सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने व          | की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के           |
|                   | अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल              |  |
|                   | भारतीय संस्था की होगी। निवेश करनेवाली             | संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन          |
|                   | प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उप        |  |
|                   | दिखलाने वाले लाइसेंस/फ्रैन्चाइज/उप लाइसेंस        | <del>-</del>                             |
|                   | (ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी           | · ·                                      |

<sup>े</sup> सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लाग्

| क्र.सं.           | क्षेत्र/गतिविधि .  | एफडीआई कैप                    | प्रवेश मार्ग              |  |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|
|                   |  | /ईक्विटी का                   |                           |  |
|                   |  | प्रतिशत                       |                           |  |
|                   | गयी वस्त्ओं के मूल्य का 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भा                          | रत से किया जाएग               | ा, जिसके लिए              |  |
|                   | सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा क्टीर उच                          | ोगों, कारीगरों तथा            | शिल्पकारों को             |  |
| Ì                 | वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का                              | कंपनी द्वारा स्व-             | प्रमाणन किया              |  |
|                   | जाएगा, जिसकी सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से, जो |                               |                           |  |
|                   | कंपनी को रखने होंगे, जांच की जाएगी। खरीद की                              | यह अपेक्षा पहले 5             | वर्ष में खरीदी            |  |
|                   | गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; ख                                  | रीदे गए माल का व              | कुल मूल्य उस <sub>ी</sub> |  |
|                   | वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेश                     | ी निवेश की पहली               | खेप प्राप्त हुई           |  |
|                   | है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किय                               | ा जाएगा। सोर्सिंग             | की अपेक्षा के             |  |
|                   | निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भा                            | रत में निगमित <sup>ं</sup> वह | ह कंपनी होगी,             |  |
|                   | जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोज                        | ान के लिए प्रत्यक्ष           | विदेशी निवेश              |  |
|                   | प्राप्त किया हो।   | •                             |                           |  |
|                   | (एफ) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में,                             | •                             |                           |  |
|                   | खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली व                     | कंपनियों को अनुमत             | । नहीं होगा।              |  |
|                   | (3) 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विर           | देशी निवेश के लिए             | भारत सरकार                |  |
|                   | से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति तथ                         | ्रप्रवर्तन विभाग में          | एसआईए को                  |  |
|                   | किए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पादों/उत्पाद की श्रेणियों                    | का विशिष्ट रूप से             | उल्लेख किया               |  |
|                   | जाएगा जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित                     | है। 'सिंगल ब्रैंड' के         | अधीन विक्रय               |  |
|                   | किए जानेवाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी                     | जोड़ने के लिए स               | रकार का नया               |  |
|                   | अनुमोदन प्राप्त करना होगा।   |                               |                           |  |
|                   | (4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन                       | विभाग में की जाए              | गी, जिसमें यह             |  |
|                   | निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त                          | करने के लिए एफ                | आईपीबी द्वारा             |  |
|                   | विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित वि                     | देशा-निर्देशों को पूरा        | करते हैं।                 |  |
| 16.5 <sup>4</sup> | मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार 51 प्रतिशत                                    | सरकार                         |                           |  |
|                   | (1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष र्व        | वेदेशी निवेश की अ             | नुमति                     |  |
|                   | निम्नितिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी:                                     |                               |                           |  |
| -                 | (i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत              | स्यपालन तथा मांस              | उत्पाद सहित               |  |
|                   | ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।                                 |                               | - }                       |  |
|                   | (ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की न्यूनत               | म राशि 100 मिलि               | यन अमरीकी                 |  |

<sup>4</sup> सितंबर 2012 के बीसवें दिन से लागू

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का<br>प्रतिशत | प्रवेश मार्ग               |
|---------|---|--------------------------------------|----------------------------|
|         | डालर होगी।<br>(iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कम-से-क | म 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष वि       | वदेशी निवेश <del>क</del> ी |

- (iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कम-से-कम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहले खेप के 3 वर्ष के भीतर 'बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में की जाएगी, जहां बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा। लेकिन इसमें फ्रंट एंड यूनिटों पर व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजेस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर व्यय की गणना, यदि कोई हो, को बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iv) खरीद गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30 प्रतिशत भारतीय लघु उद्योगों से सोर्स किया जाएगा जिनका सयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय के मूल्य का है. जिसमें मूल्यहास का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी समय यह मूल्य बढ़ जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए उद्योग 'लघु उद्योग' के लिए पात्र नहीं होगा। खरीद की मात्रा की अपेक्षा, पहले. 5 वर्ष में खरीदी गयी विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पाद के कुल मूल्य औसत पर की जाएगी; यह उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा।
- (v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (ii), (iii) और (iv) की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे।
- (vi) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है और इसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/शहरी स्थानों के 10 किलोमीटर में आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर नहीं है, खुदरा बिक्री केंद्र उनकी पसंद के नगरों में स्थापित किए जा सकते हैं जो कि अधिमानत: सबसे बड़ा नगर हो सकता है और उसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/शहरी क्षेत्रों से 10 किलोमीटर के क्षेत्र शामिल होंगे। खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।

| क सं | क्षेत्र/गतिविधि ' | एफडीआई कैप         | प्रवेश मार्ग |
|------|-------------------|--------------------|--------------|
|      |                   | <i> ई</i> निवटी का |              |
|      |                   | प्रतिशत            |              |

- (viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, ख्दरा बिक्री केंद्र उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा सकते हैं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष दिदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहसति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनके नाम की व दिए गए हैं।
  - 1. आंध्र प्रदेश
  - असम
  - 3. दिल्ली
  - 4: हरियाणा
  - 5. जम्मू और कश्मीर
  - 4
     4
     5
     6
     4
     7
     8
     9
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     <l>1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
     1
  - 7. मणिप्र
- 8. राजस्थान
- 9. उत्तराखंड
- 10. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र)

इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए सहमति देने के इच्छुक राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी सहमति आँछोगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दे सकते हैं और तदनुसार उनके नाम शामिल किए जाएंगे। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अन्पालन में की जाएगी।

- (ix) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमित बहु-बैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।
- (x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिस्चित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं। वित्तीय सेवाएं

नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी:

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि                                       | स्थानिक विष         | वर्षसः सानं   |
|---------|---|---------------------|---|
|         |   | किरियदी स्थ         |   |
|         |   | प्रतिसत             |   |
| 17.     | परिसंपतियाँ (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)         | <del></del>         | <u> </u>  |
| 17.1    | आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से हैं जो       | एआसी की             | सरकार   |
|         | वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा      | प्रदत्त पूंजी का    |   |
|         | प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी       |                     |   |
|         | एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व वैंक के पास     |                     |   |
|         | पंजीकृत हो।   |                     |   |
| 17.2    | अन्य शर्तैः   |                     | Pro compressione, despoise compressed et influentière communication |
|         | (i) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को छोड़कर       | भारत के बाहर रह     | लेवाले निवासी   |
|         | व्यक्ति रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति प्नर्गठन कंपान | ोवों की प्रति में   | केवल सरकारी   |
| -       | माध्यम के तहत ही निवेश कर राकते हैं। ऐसे निवेश प      | मी तरह से विदेशी    | प्रत्यक्ष निवेश   |
| •       | के रूप में होने चाहिए। एआरसी की शेयर पूंजी में विदे   | सी संस्थानत निवेर   | कि को निवेश   |
|         | करने की अनुमति नहीं है।                               |                     |   |
|         |   |                     |   |
| •       | (ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत एफआईआई रिज़र्व बैंक में  | ~                   |   |
|         | गई प्रतिभृति रसीदौं (एसआर) में निवेश कर सकते हैं।     | f +                 |   |
|         | प्रत्येक शृंखला में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं.  |                     |   |
|         | एसआर की किसी एक श्रृंखला में किया गया निवेश उस        | इश्यू के 10 प्रतिशत | सं अधिक न   |
|         | होने पाए।   |                     |   |
|         | (iii) किसी एक व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक किया  |                     |   |
|         | प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रव    |                     | 002 (सरफेसी   |
|         | एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के प्रावधानों के अधीन होगा   | 1                   | ·<br>   |
| 18.     | बैंकिंग-निजी क्षेत्र                                  | ·                   | ,<br>I = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                        |
| 18.1    | बैंकिंग-निजी क्षेत्र                                  | एफआईआई द्वारा       | 1   |
|         |   | किए गए निवेश        | <u> </u>  |
|         |   | सहित 74             | स्वचालित  |
|         |   | प्रतिशत             | 49 प्रतिशत  |
|         |   |                     | से ज्यादा   |
|         |   |                     | और 74   |
| •       |   |                     | प्रतिशत तक  |
|         |   |                     | सरकारी  |
|         |   | •                   | मार्ग   |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप            | प्रवेश मार्ग      |
|---------|---|-----------------------|-------------------|
|         |   | /ईक्विटी का           |                   |
|         |   | प्रतिशत               |                   |
| 18.2    | अन्य शर्तै:   |                       |                   |
|         | (1) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे – पोर्टप  | गेलियो निवेश योजन     | ना (पीआईएस)       |
|         | के तहत एफआईआई व एनआरआई द्वारा किए गए  | नेवेश, पूर्ववर्ती ओर  | मीबी द्वारा 16    |
|         | सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपी   | भो, निजी तौर पर       | आबंटित शेयर,      |
|         | जीडीआर/एडीआर सहित मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे।                              |                       |                   |
|         | (2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होनेवाला विदेशी   |                       | • •               |
|         | अधिकतम 74 प्रतिशत तक ही अनुमत होगा। किसी र्र  |                       |                   |
| ٠       | सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त   | पूंजी का 26 प्रतिशत   | त हिस्सा सदैव     |
|         | निवासियों के पास रहेगा।   |                       |                   |
| ٠       | (3) ऊपर उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में 1                                   | केए जानेवाले सभी      | निवेशों पर भी     |
|         | लाग् होंगी।   |                       |                   |
| ·       | (4) एफआईआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज  |                       | फोलियो निवेश      |
|         | योजना के तहत किए जानेवाले निवेश की अनुमत सीमा   | •                     |                   |
|         | (i) एफआईआई के मामले में अब तक की परंपरा के अ  | -                     |                   |
|         | धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित   |                       |                   |
|         | समग्र सीमा प्रदत्त पूजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं  |                       |                   |
|         | बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूजी के 49 प्रतिशत तक बढाया   |                       |                   |
|         | अपने निदेशक मंडल से इस आशय का संकल्प पारित  |                       |                   |
|         | संपनी आम सभा में भी इस आशय का एक विशेष संकल   |                       |                   |
|         | (ए) इस तरह से एफआईआई द्वारा किए जानेवाले नि   | वेश की सीमा कुल       | प्रदत्त पूजी क    |
|         | 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी।   |                       |                   |
|         | (बी) एनआरआई के मामले में अब तक की परंपरा के   |                       |                   |
|         | और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पू  |                       |                   |
|         | और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोन   | . •                   |                   |
|         | 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, यदि   |                       |                   |
|         | सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित क   | _                     |                   |
|         | धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आ  | वारा पर पुरल प्रदत्त  | त पूजा क 24       |
|         | प्रतिशत तक रहने की अनुमति दी जा सकती है।<br>(सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम/सहायक संस्था | ग्रस्केताचे चित्री वे | क्षे में प्रज्ञां |
|         | विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को स  |                       |                   |
|         | पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (इरडा)   | _                     |                   |

| क्र.सं.             | क्षेत्र/गतिविधि                                      | एफडीआई कैप             | प्रवेश मार्ग                            |
|---------------------|--|------------------------|---|
| ж <sup>,</sup> .Хі. | distriction of                                       | /ईक्विटी का            | 744                                     |
|                     |  | प्रतिशत<br>प्रतिशत     |   |
| ·····               | यह सुनिधित करने में सुविधा होगी कि बीमा क्षेत्र में  | <del> </del>           | )<br>किलिए लाग                          |
|                     | 26 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं होने पाता।        | 199(11 (19(91)(1)      |   |
|                     | (डी) ऊपर पैरा 3.6.2 में दिए गए अनुसार एफडीअ          | गर्द के भंतर्गत कि     | सी निदासी से                            |
|                     | अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंव      |                        |   |
|                     | की अपेक्षा बनी रहेगी।                                |                        | 5 74                                    |
|                     | (ई) इन मामलों के संबंध में रिज़र्व बैंक और सेवी, व   | हंपनी मामले निदेश      | ालय एवं डरडा                            |
| *                   | जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की व       |                        |   |
|                     | रहेंगी।  |                        | ~                                       |
| à.                  | (एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शे    | यरों की खरीद अथ        | वा अन्यथा के                            |
|                     | द्वारा किया गया अर्जन इतना हो जाता है कि उससे        |                        |   |
|                     | पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व 3       |                        | _+                                      |
|                     | ें<br>ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथ   | •                      |   |
|                     | संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों | पर भी लागू होंगे।      | /                                       |
|                     | (ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था की स्थापना    | •                      | •                                       |
|                     | (ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दो      | नों में से किसी एव     | न को ही रखने                            |
|                     | की अनुमति दी जाएगी।                                  |                        | ·                                       |
|                     | (बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेध | प्तण प्राधिकारी द्वारा | विनियमित हैं                            |
| ٠.,                 | और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों व   | ना अनुपालन करते        | है. उन्हें 100                          |
|                     | प्रतिशत प्रदत्त पूजी को धारित करने की अनुमति व       | री जाएगी ताकि वे       | भारत में पूर्ण                          |
|                     | स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सके।           |                        |   |
|                     | (सी) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अ           |                        |   |
|                     | स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी        |                        |   |
|                     | समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था. में र       | विसी एक चैनल           | के माध्यम से                            |
|                     | ही परिचालन कर सकता है।                               |                        |   |
|                     | (डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं          |                        | (                                       |
|                     | परिवर्तित कर अथवा नए वैकिंग लाइसेंस के द्वारा प      |                        |   |
|                     | स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदे           |                        | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 |
|                     | मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक र         |                        | •                                       |
| .                   | दी जाएगी बशर्ते ऊपर पैरा (i)(ख) में दी गई शर्त व     |                        | _                                       |
|                     | बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूजी हमेशा       |                        |   |
|                     | (ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था को लाइसें       | स प्राप्त करन की       | सभा भतक्षाभा                            |

| 带节   | क्षेत्र <b>गतिवि</b> धि  | एएडीआई कैप                     | प्रवेश मार्ग  |
|------|--|--------------------------------|---------------|
|      |  | <i>रिहा<del>नि</del>वदी</i> का |               |
|      |  | प्रतिशत                        |               |
|      | के साथ ही निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए स्थूल रू  | प से निर्धारित शतीं            | का अनुपालन    |
|      | करला होगा।   |                                | _             |
|      | (एक) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववासी सहार  | पक संस्था की स्थाप             | ना से संबंधित |
|      | दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अतग से जारी किए जाएं   | में।                           |               |
|      | (जी) किसी विदेशी बैंक हारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथ<br>अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित स<br>आवेदन रिज़र्व बैंक को करने होंगे। |                                |               |
|      |  |                                |               |
|      |  |                                |               |
|      | (iii) इस समय वैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार  | दस प्रतिशत तकः                 | सीमित है और   |
|      | इसे संभावित निवेशकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें   | कोई भी परिवर्तन 3              | ांतिम नीतिगत  |
|      | निर्णय किए जाने और संसद का उचित अनुंभोदन प्राप्त   | करने के बाद ही वि              | न्या जा सकता  |
|      | <u></u>  |                                |               |
| 19.  | विकिय – सार्वजनिक क्षेत्र  |                                |               |
| 19.1 | वैकिश - सार्वजनिक क्षेत्र  | 20 प्रतिशत                     | सरकार         |
|      | वैंककारी कंपनी (उपक्रमाँ का अजेन और अंतरण)   | (एफडीआई और                     |               |
|      | अधिनियम, 1970/80 के अधीन। यह सीलिंग (20  | पोर्टफोलियो                    | ·             |
|      | प्रतिशत) भारतीय स्टेट वैंक और उसके सहयोगी वैंकों   | निवेश)                         | ,             |
|      | पर भी लागू है।   |                                |               |
| 20.  | पण्य बाजार (कमोडिटी एकसवेंज)   |                                |               |
| 20.1 | 1. पण्यों की पय्चसं ट्रेडिंग अग्रिम संविदा (विनियम   | ान) अधितियम, 19                | 352 के तहत    |
|      | विनियमित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह   |                                | · ·           |
|      | फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर  |                                |               |
|      | आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को 3  | पनाने के दृष्टिकोण             | से यह निर्णय  |
|      | लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमर्ति  | ते प्रदान की जाए।              |               |
|      | 2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,  | ·                              |               |
|      | (i) ''पण्य बाजार'' अग्रिम संविदा (विनियमन) अधि   | वियम, 1952, स                  | मय-समय पर     |
|      | यशासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा   |                                |               |
|      | संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध  |                                |               |
|      | (ii) ''मान्यता प्राप्त संस्था' से अभिप्राय एक ऐसी र  |                                |               |
|      | (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत के  | द्र सरकार द्वारा फिल           | महाल मान्यता  |
|      | प्रदान की गई है।   |                                |               |
|      | (iii) ''संस्था'' से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निर  | ामित अथवा अनिर्गा              | मेत, से है जो |

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप            | प्रवेश मार्ग    |
|---------|---|-----------------------|-----------------|
| -       |   | ।ईविसटी का            |                 |
|         |   | प्रतिशत               |                 |
|         | किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खर               | दि के कारोबार को वि   | वेनियमित और     |
| ļ       | नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया हो।                  |                       |                 |
|         | (iv) ''वायदा संविदा'' से अभिप्राय ऐसी संविदा से है              | जो वस्तुओं की सुपुर्व | ्गी के लिए हैं  |
|         | और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है।                       |                       |                 |
|         | (v) ''कमोडिटी डेरिवेटिव'' से अभिप्राय है                        |                       |                 |
|         | <ul> <li>वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल</li> </ul> | सुपुर्दगी संविदा नहीं | है;             |
|         | अथवा  |                       |                 |
|         | ं मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिस                         | का मूल्यन कीयतों      | अथवा ऐसी        |
|         | अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, उ                    |                       |                 |
|         | मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो जो केंद्र सरव                      |                       |                 |
|         | परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेवि                       | नन इसमें प्रतिभूतिय   | ं शामिल नहीं    |
|         | होंगी।  |                       |                 |
| 20.2    | पण्य बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति               | 49 प्रतिशत            | सरकार           |
|         |   | (एफडीआई और            |                 |
| 7       |   | एफआईआई)               | के लिए)         |
|         |   | [पंजीकृत              |                 |
|         |   | एफआईआई <b>द्वारा</b>  |                 |
|         |   | पोर्टफोलियो निवेश     |                 |
|         |   | योजना                 |                 |
|         |   | (पीआईएस) के           |                 |
|         |   | तहत निवेश की          |                 |
|         |   | सीमा 23 प्रतिशत       | ,               |
|         |   | और एफडीआई             |                 |
|         |   | योजना के तहत          | • .             |
|         | ·   | निवेश की सीमा         |                 |
|         |   | 26 प्रतिशत]           |                 |
| 20.3    | अन्य शर्ते:   |                       |                 |
|         | (i) एफआईआई द्वारा की जानेवाली ख                                 | ारीद को द्वितीयक ब    | ाजार तक ही      |
|         | सीमित रखा जाए, और   |                       |                 |
|         | (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था,                              | मिलकर कार्य करने      | वाले व्यक्तियों |

| <i>i</i> ईक्विटी का   | प्रवेश मार्ग   |
|---|----------------|
|   |                |
| प्रतिशत   |                |
|   | مرواح واست     |
| सहित, इन कपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से उ                            | भाषक संयर      |
| धारित नहीं कर सकते।   |                |
| 21. इत्य आसूचना कंपनियां (सीआईसी)   |                |
| 21.1 ऋण आसूचना कंपनियां 49 प्रतिशत  | सरकार          |
| (एफडीआई और  |                |
| एफआईआई)   |                |
| 21.2 अन्य शर्ते:  |                |
| (1) ऋण आसूचना कंपनियों में दिदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी       | (विनियमन)      |
| अधिनियम, 2005 के अधीन होगा।   | `              |
| (2) सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्त रिज़र्व बैंक द्वा | रा विनियामी    |
| मंजूरी प्रदान की गई हो।   |                |
| (3) किसी पंजीकृत एफआईआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 49 प्रतिश        | ात की समग्र    |
| सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सू         | ्चीबद्ध किसी   |
| सीआईसो में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी।           |                |
|   |                |
| (4) इस तरह के एफआईआई निवंश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते,                     | 10             |
| (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता      | 10             |
| प्रतिशत से अधिक नहीं हो।  | <del></del>    |
| (वी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इ                      | सका सूचना      |
| अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व वैंक को दी जाएगी; और                    |                |
| (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, अपनी शेयरधारिता वे                | <b>मधार</b> पर |
| उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।                |                |
| 22 प्रतिबृति वाजार में इस्मानदृष्ट्या कंपनी                               |                |
| 22.1 सेवी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की 49 प्रतिशत      | सरकार          |
| हन्क्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर वाज़ार, निक्षेपागार (एफडीआई एवं       | (एफडीआई        |
| और सनाशोधन निगम। एफआईआई)  | के लिए)        |
| [चुकता पूंजी की   |                |
| 26 प्रतिशत सीमा   |                |
| तक एफडीआई   |                |
|   |                |
| और 23 प्रतिशत   | - ;            |

57

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि  | एफडीआई कैप           | प्रवेश मार्ग                          |
|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
|         |  | /ईक्विटी का          |                                       |
|         |  | प्रतिशत              |                                       |
|         |  | एफआईआई ]             |                                       |
| 22.2    | अन्य शर्ते   |                      |                                       |
| 22.2.1  | एफआईआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्य  | पम से ही निवेश कर    | सकते हैं                              |
| 23      | बीमा   |                      |                                       |
| 23.1    | बीमा   | 26 प्रतिशत           | स्वचालित                              |
| 23.2    | अन्य शर्ते   |                      |                                       |
|         | 1) बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, बीम   | । क्षेत्र में एफडीआई | की अनुमति                             |
|         | स्वचालित मार्ग के अंतर्गत दी गई है।  |                      |                                       |
|         | 2) बशर्ते, एफडीआई लानेवाली कंपनियों ने बीमा  |                      | <b>गस प्राधिकरण</b>                   |
|         | से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंर   | । प्राप्त किया हो।   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 24      | गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)  |                      | · ·                                   |
| 24.1    | एनबीएफसी में स्वचालित मार्ग के तहत केवल  | । 100 प्रतिशत        | स्वचालित                              |
|         |  |                      | <u> </u>                              |
|         | निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश   |                      |                                       |
|         | निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश<br>की अनुमति होगी:  |                      |                                       |
|         |  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:<br>(i) व्यापार बैकिंग  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी: (i) व्यापार बैकिंग (ii) हामीदारी अंकन  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं   |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीय परामर्श   |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv)निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीच परामर्श  (vi) शेयर दलाली   |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv)निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीय परामर्श  (vi) शेयर दलाली  (vii) आस्ति प्रबंधन  |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीय परामर्श  (vi) शेयर दलाली  (vii) आस्ति प्रबंधन  (viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल)                                      |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीय परामर्श  (vi) शेयर दलाली  (vii) आस्ति प्रबंधन  (viii) जोखिम पूंजी (वैंचर केपिटल)  (ix) अभिरक्षक सेवाएं                |                      |                                       |
|         | की अनुमति होगी:  (i) व्यापार बैकिंग  (ii) हामीदारी अंकन  (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं  (iv) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  (v) वित्तीच परामर्श  (vi) शेयर दलाली  (vii) आस्ति प्रबंधन  (viii) जोखिम पूंजी (वैंचर केपिटल)  (ix) अभिरक्षक सेवाएं  (x) फैक्टरिंग |                      |                                       |

| क्र.सं.  | क्षेत्र/गतिविधि                     | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का<br>प्रतिशत | प्रवेश मार्ग |
|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <u>-</u> | (xiv) विदेशी मुद्रा दलाली           |                                      |              |
| ٠        | (xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार          |                                      |              |
|          | (xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार       |                                      |              |
|          | (xvii) सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट) |                                      |              |
|          | (xviii) ग्रामीण ऋण                  |                                      |              |

### <sup>24,2</sup> अन्य शर्तैः

- (1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:
- (i) 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे
- (ii) 51 प्रतिशत से अधिक परंतु 75 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे।
- (iii) 75 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन यूएस डालर. जिसमें से 7.5 मिलियन यूएस डालर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।
- (iv) एनबीएफसी जिनमें (i)75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन यूएस डालर है. वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित एफडीआई नीति पर डीआईपीपी द्वारा 10 अप्रैल 2012 को जारी परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
- (v) संयुक्त उद्यम के रूप में परिचालित होनेवाली एनबीएफसी भी जिनमें विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या उससे कम हैं. अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंश करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं बशर्त अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i). (ii) और (iii) तथा निम्निलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों।
- (vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना

अनटूबर 2012 के तीसरे दिन से लागू

| क्र.सं. | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप<br>/ईक्विटी का             | प्रवेश मार्ग           |
|---------|---|---------------------------------------|------------------------|
|         |   | प्रतिशत                               |                        |
|         | निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी   |                                       | एनबाएफसा               |
|         | को 0.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने  | हांग.                                 |                        |
|         | ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए व  | नोई अनुषंगी संस्थाप                   | ं गठित करने            |
|         | और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/ परिचालन कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की                        |                                       |                        |
|         | अनुमति नहीं होगी।   |                                       |                        |
|         | टिप्पणी: निम्नतिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप<br>में वर्गीकृत किया जाएगा: |                                       |                        |
|         | (क) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं  |                                       |                        |
|         | (ख)वित्तीय परामर्श  |                                       |                        |
|         | (ग) विदेशी मुद्रा दलाली   |                                       |                        |
|         | (घ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार   |                                       | •                      |
|         | (ङ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी   |                                       |                        |
|         | (vii) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश  | ों के अनुपायन के                      | ਪੁਰਮਾ                  |
|         | होंगे।  | ii ar sjegatejer ar                   | 7                      |
|         | <u>.</u> .  |                                       |                        |
|         | टिप्पणी: (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान:  |                                       |                        |
|         | कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य                                  | विधित कार्ड आदि                       | का निगमन,              |
|         | बिक्री, विपणन एवं अभिकल्पना शामिल है।   | 900                                   | <del>110-11-1</del> -1 |
|         | (ii) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही<br>लीज़ः इसमें शामिल नहीं होंगी।             | रामिल किया जाए                        | गा, पारचालन            |
|         | Charles Action Chiefel after Grant  |                                       |                        |
|         | (2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/को द्वारा   | जारी दिशानिर्देशों, ः                 | यथा लागू, का           |
|         | अनुपालन करना होगा।  |                                       |                        |
| 25      | फार्मास् <b>यूटिक</b> ल्स   |                                       |                        |
| 25.1    | नई (ग्रीनफील्ड)   | 100 प्रतिशत                           | स्वचालित               |
| 25.2    | वियमान कंपनियां   | 100 प्रतिशत                           | सरकार                  |
| 26      | पावर एक्सचेंज   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                        |
| 26.1    | केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट)   | 49 प्रतिशत                            | सरकार                  |

| क्र.सं.  | क्षेत्र/गतिविधि   | एफडीआई कैप                        | प्रवेश मार्ग   |
|----------|---|-----------------------------------|----------------|
|          | ·   | /ईक्विटी का                       |                |
|          |   | प्रतिशत                           |                |
|          | विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज                           | (एफडीआई एवं                       | (एफडीआई        |
| -        |   | एफआईआई)                           | के लिए)        |
| 26.2     | अन्य शर्तैः   |                                   |                |
| <u> </u> | (i) ऐसे विदेशी निवेश एफडीआई के लिए चुकता प                            | ्जी की 26 प्रतिश                  | त सीमा और      |
| i        | एफआईआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे।                          |                                   |                |
| <u>{</u> | (ii) एफआईआई निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमित होगी तथा एफडीआई |                                   |                |
|          | निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमित लेनी होगी;            |                                   |                |
|          | (iii) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही                          | धीमित होगी।                       |                |
|          | (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर                        | कार्य कर रहे व्यक्ति              | भी शामिल हैं,  |
|          | इन कंपनियों की 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारित                        | नहीं कर सकेंगे; और                |                |
|          | (v) विदेशी निवेश सेबी के विनियमनों, अन्य लागू क                       | जनूनों/विनियमनों, सु <sup>-</sup> | रक्षा एवं अन्य |
|          | शर्ती के अनुपालन के अधीन होंगे।                                       |                                   |                |

## संलग्नक सी

## प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयर जारी करने के लिए प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं 20/2000 आरबी. की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) में यथा विनिर्दिष्ट वह कंपनी अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए।)

| आयकर विभाग द्वारा   |   |      |  |  |  |
|---------------------|---|------|--|--|--|
| निवेशिती कंपनी को   |   | 1    |  |  |  |
| आबटित स्थायी खाता स |   |      |  |  |  |
| (पैन)               |   |      |  |  |  |
|                     | · | <br> |  |  |  |

| सं. ब्योरे             | (स्पष्ट अक्षरों में) |
|------------------------|----------------------|
| 1. भारतीय कंपनी का नाम |                      |
|                        |                      |

|    | नंजीकृत कार्यालय का पता  |                      |                   |   |
|----|--|----------------------|-------------------|---|
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                      |                   |   |
| ť  | फैक्स  |                      |                   |   |
| 3  | टेलीफोन  | ·                    |                   |   |
| {  | ई-मेल<br>  |                      |                   |   |
| 2. | विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे   |                      |                   |   |
| 7  | नाम  |                      |                   |   |
| ,  | पता  | ·<br>                | :                 |   |
| ;  | देश  |                      |                   |   |
| 3. | निधियां प्राप्ति की तारीख  | <u> </u>             |                   |   |
| 4. | राशि   | विदेशी मुद्रा में    | भारतीय रुपयों में |   |
|    |  |                      | · .               |   |
| 5. | क्या निवेश स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा   | स्वतः अनुमोदित मार्ग | / अनुमोदन मार्ग   |   |
|    | अनुमोदन मार्ग के तहत है ?  |                      |                   |   |
|    | यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया<br>ब्योरे दें ( अनुमोदन की संदर्भ संख्या और |                      |                   | - |
|    | दिनांक) दें ।  |                      |                   |   |
| 6. | प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से  |                      |                   |   |
|    | प्रेषण प्राप्त किया गया है ।   |                      |                   |   |
| 7. | प्राधिकृत व्यापारी का पता  |                      |                   |   |

तौर पर एफआईआरसी की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

| निवेशिती कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर | प्राधिकृत व्यापारी वे | के प्राधिकृत अधिक | री के |
|--|-----------------------|-------------------|-------|
| (मृहर)   | हस्ताक्षर             |                   |       |
|  | (मुहर)                |                   |       |

# केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

| प्रेषण  | प्राप्ति | हेतु          | (आबंटित) | यूनिक |  |  |  |  |              |
|---------|----------|---------------|----------|-------|--|--|--|--|--------------|
| आइडेंटि | फिकेशन   | <b>नंबर</b> : |          |       |  |  |  |  | <br><u> </u> |

# अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " फार्म

| प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम                   |          |              |
|---|----------|--------------|
| (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया     |          |              |
| जाए)  |          |              |
| पंजीकरण संख्या (यूनीक पहचान संख्या * यदि        |          |              |
| निवेशक कोई व्यक्ति हो )                         |          |              |
| पंजीकृत पता (स्थायी पता, यदि निवेशक कोई व्यक्ति |          |              |
| हो)   |          |              |
| प्रेषक के बैंक का नाम                           | ·        |              |
| प्रेषक का बैंक खाता संख्या                      |          | . <u>.</u> . |
| प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?       | <u> </u> |              |
|   |          |              |

\*पासपोर्ट नं., सोशियल सिक्योरिटी नं., अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक ः

स्थान :

मुहर

### संलग्नक डी

## एफसी-जीपीआर

(जब कभी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर /अन्य जारी किए जाएं तो इस फॉर्म के संलग्नक वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास. जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है. फाइल किया जाए। )

| आयकर विभाग द्वारा निवेशिती<br>कंपनी को आबंटित स्थायी खाता |  |
|---|--|
| सं (पैन)  |  |
| शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/<br>अन्य को जारी करने का      |  |
| दिनांक  |  |

| सं. | ब्योरे   | (स्पष्ट अक्षरों में)  |
|-----|--|-----------------------|
| 1.  | नाम  |                       |
|     | पंजीकृत कार्यालय का पता  |                       |
|     | राज्य  |                       |
|     | कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया<br>पंजीकरण नं  |                       |
|     | स्रौनूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है<br>(जो लागू न हो, उसे काट दें)   | मौज्दा कंपनी/नई कंपनी |
|     | मौजूदा कंपनी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी<br>निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा<br>आबंटित पंजीकरण सं अगर कोई हो तो. दें। |                       |
|     | टेलीफोन  |                       |
|     | फैक्स  |                       |
|     | ई-मेल ,  |                       |
| 2.  | मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा   |                       |
|     | एनआईसी कूट   |                       |

|    | परियोजना का स्थान और परियोजना जहां         | - '                                  |
|----|--|--------------------------------------|
|    | स्थित है, उस जिले का एनआईसी कूट            |                                      |
|    | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार      |                                      |
|    | अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत    | ·                                    |
|    | उल्लेख करें कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश | स्वतः अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग |
|    | स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन          |                                      |
| j  | मार्ग के तहत है ? (जो न लागू हो , उसे काट  |                                      |
|    | दें।)                                      |                                      |
| 3. | विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे*           |                                      |
|    | नाम  |                                      |
|    | पता  |                                      |
|    | देश  |                                      |
|    | निवेश करने वाली संस्था का गठन/ स्वरूप      |                                      |
|    | [ उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित         |                                      |
| İ  | में से कौन है:                             |                                      |
|    | 1 कोई व्यक्ति                              |                                      |
|    | 2 कंपनी                                    |                                      |
|    | 3.विदेशी संस्थागत निवेशक                   |                                      |
|    | 4 विदेशी जोखिम पूजी निवेशक                 |                                      |
|    | 5.विदेशी न्यास                             |                                      |
|    | 6.निजी ईक्विटी फंड                         |                                      |
|    | 7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड                     |                                      |
|    | 8.सरकारी धन –िनधि#                         |                                      |
|    | 9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म              |                                      |
|    | 10.वित्तीय संस्था                          |                                      |
|    | 11.अनिवासी भारतीय भारतीय मूल               |                                      |
|    | का ट्यक्ति                                 |                                      |
|    | 12. अन्य (कृपया उल्लेख करें)]              |                                      |
|    | संस्था के गठन की तारीख                     |                                      |

<sup>•</sup> यदि विदेशी निवेशक/सहयोगी एक से अधिक है तो, इस फार्म की मद सं. 3 और 4 के लिए अलग से अनुबंध (annex)शामिल किए जाए ।

<sup>ं</sup>सरकारी धन निधी का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुदागत परिसंपितयाँ द्वारा किया जाता हो, और जो मौद्रिक पाधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियाँ से अलग उन परिसंपितयों का प्रबंध करती हो।

| 4.   | जारी वि | केए गए शेयरॉ/ परिवर्तनीय डिबॅच  | रों /अन्य | । के ब्योरे | ···            |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del></del>                           |
|------|---------|---|-----------|-------------|----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (V)  | निर्गम  | का स्वरूप और तारीख  |           |             |                |  | ·                                     |                                       |
|      |         | निर्गम का स्वरूप  |           |             |                | शेयरॉ/परिवर्तनीय डिबेंच<br>/अन्य की संख्या |                                       |                                       |
| :    | 01      | प्रारंभिक सार्व<br>प्रस्ताव/एफपीओ   | जनिक      |             |                |  |                                       | · · · ·                               |
|      | 02      | अधिमानी आबंटन/निजी नियो   | जन        | ,           |                | <del>-  </del>                             |                                       |                                       |
|      | 03      | अधिकार/(राइट्स)   |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      | 04      | बोनस  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      | 05      | बाह्य वाणिज्यिक उधार का परि   | <br>वर्तन |             |                |  | <del> </del>                          |                                       |
|      | 06      | रॉयल्टी का परिवर्तन (ए<br>भुगतान सहित)                                    | कमुश्त    |             | <u> </u>       |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |
|      | 07      | विशेष आर्थिक क्षेत्र में<br>इकाइयों द्वारा प्रंजीगत म<br>आयात पर परिवर्तन |           |             | ·              |  |                                       |                                       |
|      | 08      | इएसओपी  | -         |             | ·              |  | ·                                     |                                       |
|      | 09      | शेयर स्वैप  |           |             | -              |  |                                       |                                       |
|      | 10      | अन्य (कृपया स्पष्ट करें)  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      |         | कुल   |           |             | <del></del>    |  |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| (बी) | जारी व  | ने गई प्रतिभूति का प्रकार   |           |             | <del></del>    | , ——L -—,                                  |                                       |                                       |
|      | संख्या  | प्रतिभूति का स्वरूप   | संख्या    | परिपक्दता   | अंकित<br>मूल्य | प्रीमियम                                   | निर्गम<br>मूल्य प्रति<br>शेयर         | आवक<br>*राशि                          |
|      | 01      | ईक्विटी   |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      | 02      | अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      |         | डिबेंचर   |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      | 03      | अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      |         | अधिमानी शेयर  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      | 04      | अन्य (कृपया स्पष्ट करें)  |           |             |                |  |                                       |                                       |
|      |         | कुल   |           |             |                |  |                                       |                                       |

i) यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) \* अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्ट्री अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूजीगत माल के आयात के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

| (सी) | प्रीमियम का ब्रेक-अप                            | राशि |
|------|---|------|
|      | कट्रोल प्रीमिथम                                 |      |
|      | गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क                          |      |
|      | अन्य@   |      |
|      | कुल   |      |
|      | @ कृपया प्रीमियम का प्रकार स्पष्ट करें          |      |
| (डी) | निम्नतिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयरों /  |      |
|      | परिवर्तनीय डिवेंचरों/अन्य को जारी करने से कुल   |      |
|      | आदक (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित)    |      |
|      | (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण    |      |
|      | (ii) बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी        |      |
|      | मुद्रा अनिवासी खाते /एस्क्रो खाते में नामे      |      |
|      | (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)                  |      |
|      | समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की              |      |
|      | अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची -ा     |      |
|      | के पैरा 9 (1) ए के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को  |      |
|      | उपर्युक्त (i) और (ii) रिपोर्ट करने की तारीख     |      |
| (ई)  | जारी किए गए शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण * | *    |
|      | हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक  |      |
|      | शेयर का बाज़ार मूल्य है*                        |      |
|      | हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित       |      |
|      | मूल्य है*                                       |      |

# \*\*शेयर के निर्गम से पहले

# \*(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायँ)

| 5.         | निर्ग | म के पश्चात शेयर धारिता क | ा स्वरूप | T                                     |              |        |             |   |                    |       |      |        |           | · · · · · ·       |
|------------|-------|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|--------|-------------|---|--------------------|-------|------|--------|-----------|-------------------|
|            |       |                           | ईकि      | बटी                                   |              |        |             |   | अनि<br>अधि<br>अन्य | मार्न |      | ोयर/   |           | र्तनीय<br>डेबेंचर |
|            | निवेश | शक वर्ग                   | शेयरों   | म् स                                  | राशि         | (अंकित | मूल्य) रु.  | % | शेयरों की          | सं.   | राशि | (अंकित | मून्य)रु. | %                 |
| <b>ए</b> ) | अनि   | वासी                      | -        |                                       |              |        |             | L | ,                  |       |      |        | 1         |                   |
|            | 01    | व्यक्ति                   |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |        |             |   |                    |       | ŀ    |        |           |                   |
|            | 02    | कंपनी                     |          |                                       | _            |        | <del></del> | ļ |                    |       |      |        | T         |                   |
|            | 03    | विदेशी संस्थागत निवेशव    | 5        | ———— <del>—</del>                     | <del> </del> |        |             |   |                    |       |      |        |           |                   |

|     | 04  | विदेशी जोखिस पूंजी निवेशक                |             |  | -           |            |              |      |
|-----|-----|--|-------------|--|-------------|------------|--------------|------|
|     | 05  | विदेशी न्यास                             |             |  |             |            |              | <br> |
|     | 06  | निजी ईक्विटी फंड                         |             |  |             |            |              | 1    |
|     | 07  | पॅशन/ प्रोविडेंट फंड                     |             |  |             |            |              |      |
|     | 08  | सरकारी धन- निधि                          |             | 7                                      |             |            |              |      |
|     | 09  | साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म              |             |  | -           |            |              |      |
|     | 10  | वितीय संस्थाएं                           |             |  |             |            |              |      |
|     | 11  | अनिवासी भारतीय/ भारतीय<br>मूल के व्यक्ति |             |  |             |            |              |      |
|     | 12  | अन्य (कृपया उल्लेख करें)                 |             |  |             |            |              |      |
|     |     | उप-जोड़                                  | <del></del> |  |             |            |              |      |
| बी) |     | निवासी                                   |             | - 1                                    | <del></del> |            | <del> </del> |      |
| कुल | जोइ |  |             | ······································ | <u> </u>    | <i>(</i> } |              |      |

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा : (जो लागू न हो उसे काट दें और हस्ताक्षर करके प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

- हम समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेला.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
- 2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरेल सीमा/ सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (निम्नलिखित में से जो लागू न हो उसे काट दें)
  - ए) अधिकार (राइट्स) के आधार पर अनिवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं 20 / 2000-आरर्बा के विनियम 6 के अन्रूप है।

#### अथवा

बी) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

#### अथवा

सी) दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन तथा समामेलन या एक कंपनी के अनेक में पृथक्करण या अन्य योजना जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, के तहत शेयर जारी किए गए हैं।

अथवा

- डी) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया है।
- 3. शेयर एसआईए/एफआईपीबी के दिनांक . . . . के अनुमोदन सं .-- के अनुसार जारी किए गए हैं।
- 4. अब प्राप्त और रिपोर्ट किए गए विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किया जाएगा। हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावितयों और विनियमावितयों की शर्ती (उपबंधों) के अनुरूप है।
- 5. हम 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (बी) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।
- (i) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र किः
  - (ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;
  - (बी) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन कर लिया गया है;
  - (सी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है; और
  - (डी) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।
- (ii) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चट बैंकर/सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र।
- 6. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य (उपर्युक्त ब्योरे के अनुसार) जारी करने हेतु सभी प्रकार के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त प्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआईनंबर।

| आर            |      |       |   |  |
|---------------|------|-------|---|--|
| [ <del></del> | <br> | <br>· |   |  |
| आर            |      |       | _ |  |

|                            | <br>L | · |      | L |   |   |
|----------------------------|-------|---|------|---|---|---|
|                            |       |   |      |   |   | _ |
| (आवेदक के हस्ताक्षर)* :    |       |   | <br> |   |   |   |
| (नाम स्पष्ट अक्षरों में) : |       | - |      | _ | • |   |
| (हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम)  |       |   |      |   |   |   |

दिनाकः

स्थान :

(\* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है)

# निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव\* द्वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र :

( 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)(i) के अनुसार) उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

- 1. कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।
- 2. सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है।
- 3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर/अन्य जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
- 4. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर) (मृहर)

| केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ       |    |  |   |             | • |       |          |  |
|---|----|--|---|-------------|---|-------|----------|--|
| एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:            |    |  |   |             |   |       |          |  |
|   |    |  | 1 | <del></del> | 1 | <br>1 | 1        |  |
| विप्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित | आर |  |   |             |   |       |          |  |
| यूआईएन                                      |    |  |   |             |   |       | <u> </u> |  |

<sup>•</sup> यदि कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी संचिव का कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्त् किया जाए।



संलग्नक ई

#### भारतीय रिज़र्व वैंक

### 31 मार्च 20- को विदेशी देयताओं और परिसंपतियाँ संबंधी वार्षिक विवरणी

( सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के लिए ———— के ए.पी.(डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. — के तहत भरी जाने वाली विवरणी)

कृपया विवरणी भरने से पूर्व दिशा-निर्देशी/परिभाषओं को ध्यानपूर्वक पढ़े

क्या कंपनी परिसंपति प्रबंधन कंपनी है (हाँ/नहीं)?
 क्या कंपनी विदेशी तकनीकी सहयोग प्राप्त है (हाँ/नहीं)?

12. विगत वितीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान क्या कंपनी की कोई कारोबारी गतिविधि रही है (हाँ।नहीं)?

(उत्तर देनवालों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस विवरणों का ई-फॉर्म प्रस्तुत करें, को अवतिए विवा**र्य देंक की देवसाइट** (www.rbi.org.in) पर फॉर्म्स बेणों के अंतर्गत फेमा फॉर्म्स खंड से इडिजनोड किया जा सकता है (ई-फॉर्म क्वां-क्वं है) जिपितत क्वां निरंतरता चेकों सहित सहज भरने योग्य हैं । विधितत भरे हुए ई-फॉर्म (la@rbi.org.in) यह पर ई-मेल करने चाहिए )

| 1.आरतीय कंपनी का नाम और पताः कंपनी का नाम पताः पताः पताः पताः पताः पताः पताः पताः   |                                   | साइट (यदि कोइ हो): |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| पता   | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| शहर:————————————————————————————————————  | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| शहर:————————————————————————————————————  | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| पिनः————————————————————————————————————  | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| डिजीटस)  3. कंपनी कार्य मञ्चलय, भारत सरकार द्वारा दी गयी एंजीकरण संख्या (सीआईएन) (21 डिजीटस)  संख्या (सीआईएन) (21 डिजीटस)  संपर्क करने के लिए ब्योरे: संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम:  टैलिफोन सं:  | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| संख्या (सीआईएन) (21 डिजीटस)  संपर्क करने के लिए ब्योरे: संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम:  टैलिफोन सं::   | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम:  टेलिफोन सं:  | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| टेलिफोन सं:   | फैक्स:<br>कंपनी की देव            | साइट (यदि कोइ हो): |
| ई-मेल:  खाता बंद करने की तारीख:  कारोबार का स्वरूप :  गिष्टीय और्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कूट 2008 के अनुसार)  यदि पिछले दितीय वर्ष (अप्रैल से मार्य) के दौरान कंपनी के नाम में कोई परिवर्ध हाँ, तो पुरानी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें :  पनी का पुराना नाम:  पंभ होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)  8. क्या आपकी कंपनी सूचीबद्ध है [ हॉ/नहीं ]  यदि हाँ, तो संदर्भापीन अवधि की समाप्ति की तारिख को शेयर कीमत प्रस्तुत करें | कंपनी की देव                      | साइट (यदि कोइ हो): |
| . खाता बंद करने की तारीख: (दिन/माह/वर्ष) कारोबार का स्वरूप :  गिष्टीय और्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कूट 2008 के अनुसार)  यदि पिछले वितीय वर्ष (अप्रैल से मार्थ) के दौरान कंपनी के नाम में कोई परिवर्त्य हों, तो पुरानी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें :  पनी का पुराना नाम:   |                                   | साइट (याद कोई हा): |
| कारोबार का स्वरूप :  गष्टीय और्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कूट 2008 के अनुसार)  यदि पिछले वितीय वर्ष (अप्रैल से मार्थ) के दौरान कंपनी के नाम में कोई परिवर्त यदि हाँ, तो पुरानी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें :  पनी का पुराना नाम:  पंभी होने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)  8. क्या आपकी कंपनी सूचीबढ हैं [हॉ/नहीं ]  यदि हाँ, तो संदर्भापीन अविध की समाप्ति की तारिख को शेयर कीमत प्रस्तुत करें                                |                                   |                    |
| ाष्ट्रीय और्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कूट 2008 के अनुसार) . यदि पिछले वितीय वर्ष (अप्रैल से मार्थ) के दौरान कंपनी के नाम में कोई परिवर्त यदि हाँ, तो पुरानी कंपनी का नाम विनिर्दिष्ट करें : पनी का पुराना नाम:  |                                   |                    |
| jihr un mi shan   | न हुआ है? ( हॉंं                  | नहीं }             |
|   | च्या गुल्लः (प्रति                | ahari ahari        |
| मौजूदा मार्च  | बाज़ार मूल्य (प्रति<br>विगत मार्च | मौजूदा मार्च       |
| सामान्य/इंनिवटी शेयर  | 14-14-14                          | रतिया गाप          |
|   |                                   |                    |
| 9. रिपोर्टिंग कंपनी की पहचान (आवक एफडीआई के अनुसार)   |                                   |                    |
| (ए) विदेशी एंटिटी की सहायक कंपनी (बी) विदेशी एंटिटी की सहयोगी (सी) पब्लिक प्राईवेट साझेदारी (डी) विशेष प्रयोजन संस्था   |                                   |                    |

#### खंड ह (वितीय स्योरे)

ब्लॉका: रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय ब्योरे

ध्यान दें. सभी संदर्भाधीन अवधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अवधि खाता 'समाप्ति अव से भिन्न है तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दी ाए।

ब्लॉक 1ए : भारतीय कंपनी की कुल प्रदत पूँजी

| मद   | पिछले वितीय वर्ष मार्च के अंत में |             |          |              |                                       | धालू वितीय वर्ष के मार्च के अंत में |             |          |             |  |  |  |
|--|-----------------------------------|-------------|----------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|-------------|--|--|--|
|  | शेयर्रा<br>संख्या                 | की          | वास्तविक | राशि लाख रु. | में शेयर<br>संख्य                     |                                     | वास्तविक    | राशि लाख | रु. में     |  |  |  |
| 1.0 कुल घदत पूँजी [(1.1)+(1.2)]                              |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 1.1 कुल ईक्यिटी तथा सहभागी अधिमानी                           |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| शेयर पूंजी (=1.1(ए)+1.1(बी)                                  |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| (ए) सामान्य / ईक्विटी शेयर•                                  |                                   |             | _        |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| (बी)सहभागी अधिमानी शेयर                                      |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 1.2 गैर-सहभागी अधिमानी शेयर #                                |                                   | •           |          |              |                                       |                                     | · · · · · · | ·        |             |  |  |  |
| 2.0 <b>अनिवासी होल्डिंग</b> (अंकित मूल्य पर ला               | ख रु. में)                        |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 2.1 ईक्विटी और सहभागी अधिमानौ शेयर                           |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| पूंजी ( मद -1 से मद-12 का जोड़)                              |                                   |             |          |              |                                       |                                     | ·//         |          |             |  |  |  |
| 1.व्यक्ति  |                                   |             |          | ·            |                                       |                                     |             | ·        |             |  |  |  |
| 2.कंपनियां   |                                   |             |          |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·~                                  |             |          |             |  |  |  |
| 3.विदेशी संस्थागत निवेशक                                     |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेश                                   |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 5.विदेशी ट्रस्ट  |                                   |             |          | •            |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 6.प्राइवेट ईक्विटी फंड                                       | ~~~                               |             |          |              |                                       |                                     |             | <u> </u> |             |  |  |  |
| 7.पेंशन/भविष्य निधि फंड                                      | ·                                 |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 8. सरकारी धन -निधि   |                                   | <del></del> |          | ····         |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 9.साझेदारी / स्वामित्व फर्म                                  |                                   | -           |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 10. वितीय संस्थाएं   |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 11. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के<br>व्यक्ति (एनआरआइ / पीआइओ) |                                   |             |          | •            |                                       | . <del>-</del> -                    |             |          | <del></del> |  |  |  |
| 12.अन्य अनिवासी होल्डिंग                                     |                                   |             |          |              |                                       |                                     |             |          |             |  |  |  |
| 2.2 गैर-सहभागी अधिमानी शेयर                                  |                                   |             |          |              |                                       |                                     | <u>-</u>    |          |             |  |  |  |

#### टिप्पणी:

- ईक्विटी शेयर के विभिन्न वर्ग (वर्ग एं, वर्ग बी आदि) के मामले में, समेकित आँकड़े रिपोर्ट किये जाएं ।
- # गैर-सहभागी अधिमानी शेयर को निम्नतिखित अधिकार नहीं है ।
- (ए) ईक्विटी शेयरहोल्डरों को लाआंश का भगतान करने के बाद अधिशेष लाभ में से लाआंश पास करना ।
- (बी) कंपनी के समापन के मामले में समग्र पूजी का भुगतान किए जाने पर शेष अधिशेष परिसंपतियों में शेयर लेना ।

### ह्तोंक 1 दी: लाभ और हानि खाता (पी/एल खाते से)

| मद  | राशि ला        | ख रु. में      |
|---|----------------|----------------|
|   | থিচনো বৰ্গ     | मीजूदा वर्ष    |
|   | (अप्रैल-मार्च) | (अप्रैल-मार्च) |
| 3.1 कर के पहले लाभ(+)/हानि (-) ( <b>दर्ष के</b><br>डॉस्स) |                |                |
| 3.2 कर के बाद साभ(+)/हानि (-) ( <b>वर्ष के</b><br>दाँरान) |                |                |
| 3.3 लाभांश (अंतरिम तथा अंतिम लागांश)                      |                | <u> </u>       |
| 3.4 लाभाश पर कर (यदि कोई हो)                              |                |                |
| 3.5 रोक रखा गया लाभ (= 3.2-3.3-3.4)                       |                |                |

### ब्लॉक 1 सी: रिज़र्व और अधिशेष (तुलन पत्र से)

| सद  | के अंत में राशि साख रु. मैं |              |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|   | पिछता मार्च                 | मौजूदा मार्च |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 रिज़र्व (लास तथा हानि खाता शेष को छोड़कर) |                             |              |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 लाभ (+) और हानि (-) खाता शेष              |                             |              |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 रिज़र्व और अधिशेष (=4.1+4.2)              |                             |              |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 कंपनी की निवल मालियत (=1.1+4.3)           | <u></u>                     |              |  |  |  |  |  |  |

### रलॉक 1 डी: वितीय वर्ष के दौरान की गयी विक्री और खरीद

टिप्पणी कंपनी द्वारा अस जाना है जहाँ एकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक की होल्डिंग कुल ईक्विटी में 50% से अधिक है (अर्थात यदि भारतीय कंपनी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी है )।

| मद                        | राशि लाख रु. में (वर्ष के दौरान) |              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|                           | पिछला मार्च                      | मौजूदा मार्च |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 देशी विक्री           |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 निर्यात               |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 कुत बिक्री (=5.1+5.2) |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 देशी खरीद             |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 आयात                  |                                  |              |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 কুন ভাবি (=5.4+5.5)   |                                  |              |  |  |  |  |  |  |

### <u>खंड |||</u> (विदेशी देयताएं)

ध्यान दें: सभी संदर्भाधीन अविधि, अर्थात विगत मार्च और मौजूदा मार्च के लिए जानकारी प्रस्तुत की जाए। यदि रिपोर्टिंग अविधि खाता समाप्ति अविधि से भिन्न है तो जानकारी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दी जाए ।

#### 2. भारत में किये गये निवेश:

- (i) सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, संदर्भ अविध की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए।
- (ii) गैर स्वीबद कंपनियों के मामले में, बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों (ओएफबीवी) की पद्धति का प्रयोग किया जाए।

#### ब्लॉक 2ए:

आरत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश (10% अथवा अधिक ईक्विटी सहमागिता)

[भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कंपनी में व्यक्तिगत तौर पर 10 प्रतिशत अथवा अधिक के सामान्य शेयरा ईक्विटी और अधिमानी शेयर धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ।]

| अनिवासी कंपनी<br>/ट्यकि का नाम | पूंजी का प्रकार                             | अनिवासी<br>निवेशक<br>का देश | अधतन वर्ष के अंत में<br>इंक्विटी और<br>सहभागिता अधिमानी<br>शेयर पूँजी होल्डिंग का<br>(%) | निम्नतिखित के अंत में राशि<br>लाख रु. में |  |
|--------------------------------|---|-----------------------------|--|---|--|
|                                |   |                             |  | विगत मार्च                                | मौजूदा मार्च                                     |
|                                | 1.0 ईक्विटी पूंजी (=1.1-1.2)                |                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | <del></del>                               | <del> </del>                                     |
|                                | i.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं       | _                           |  |   | †  |
|                                | 1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे (रिवर्स निवेश) | -                           | <del></del>  |   | <del>                                     </del> |
|                                | 2.0 अन्य पूंजी # (=2.1-2.2)                 |                             |  |   | <del>                                     </del> |
|                                | 2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति देयताएं       | -                           | <del></del>  |   | <del>                                     </del> |
|                                | 2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे                | <del></del>                 |  | ,   | <del> </del>                                     |

#### टिप्यणी:

- (i) यदि जानकारी एक से अधिक निवेशकों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।
- (ii) # ब्लॉक-2ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की ब्लॉक-2ए मे दर्शाये गये अनुसार अपने निदेशक निवेशकों के साथ ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों ( अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबॅचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मृत्य पर दावे समाविष्ट हैं।

#### ब्लॉक 2बी:

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत निवेश (10% ईक्विटी धारिता से कम)

[ भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा रिपोर्टिंग तारीख को आपकी कपनी में व्यक्तिगत तौर पर 10 प्रतिशत से कम के सामान्य / ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों के धारण में से बकाया निवेश राशि यहाँ दर्शायी जाए ॥

देश-वार समेकित जानकारी नीचे प्रस्तुत की जाए:

| पूंजी का प्रकार                                | अनिवासी निवेशक<br>का देश | मौजूदा मार्च के अंत में<br>ईक्विटी और सहमागिता<br>अधिमानी शेयर पूँजी<br>होल्डिंग प्रतिशत (%) | निम्नतिखित के अंत में राशि लाख रु. में |              |  |
|--|--------------------------|--|--|--------------|--|
|  |                          |  | विगत मार्च                             | मौजूदा मार्च |  |
| 1.0 <b>ईक्विटी पूंजी</b> (=1.1-1.2)            |                          |  |  | <del></del>  |  |
| 1.1 प्रत्यक्ष जिवेशक के प्रति<br>देयताएं       |                          |  |  |              |  |
| 1.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे<br>(रिवर्स निवेश) |                          |  |  |              |  |
| 2.0 अन्य पूंजी (=2 1-2.2) #                    |                          |  |  |              |  |
| 2.1 प्रत्यक्ष निवेशक के प्रति<br>देयताएं       |                          |  |  |              |  |
| 2.2 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे                   |                          |  | <u> </u>                               |              |  |

टिप्पणी:

- (i) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेंट में अलग-अलग ब्लॉक जोड़ दें ।
- ... (ii) # ब्लॉक-2बी की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी के 10 प्रतिशत से कम ईक्विटी घारिता वाले अपने अनिवासी निवेशकों और संबंधित पार्टियों की ईक्विटी और सहभागिता अधिमानी शेयरों (अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज, डिबॅंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत प्राप्य और देय राशियों, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नामभात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

#### 2सी. भारत में पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी निवेशकों द्वारा **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना** के अंतर्गत किए गए निवेशों से भिन्न निवेश की बकाया राशि यहां दर्शायी जाए । (अर्थात ब्लॉक-२ए और ब्लॉक-2बी में रिपोर्ट किए गए से भिन्न)

| पोर्टफोलियो निवेश  | मौजूदा मार्च के अंत में  | निम्नतिखित के | अंत में राशि लाख रु. में |
|--|--|---------------|--------------------------|
|  | इंक्विटी और सहमागिता<br>अधिमानी शेयर पूँजी<br>होल्डिंग प्रतिशत (%) | पिछले मार्च   | मौजूदा मार्च             |
| 1.0 ईक्विटी प्रतिभृतियां (बाजार मूल्य पर)                      | :<br>i   |               |                          |
| 2.0 कर्ज प्रतिभृतियां (=2.1+2.2)                               |  |               |                          |
| 2.1 मुद्रा बाजार लिखत(मूल परिपक्वता अविध 1 वर्ष तक)            |  |               |                          |
| 2.2 बांड तथा अन्य तिखत (मूल परिपक्वता अविधि 1 वर्ष<br>से अधिक) |  |               |                          |

यह सुनिश्वित करें कि मौजूदा मार्च के लिए स्लॉक 1(ए) की मद 3.0 मैं अनिवासी ईक्विटी और सहमागिता अधिमानी शेयर पूंजी. स्लॉक-2ए अथवा स्लॉक-2बी अथवा स्लॉक-2सी में बाजार मूल्य पर रिपोर्ट की जाए अर्थात स्लॉक-2ए, स्लॉक-2बी और स्लॉक-2सी का जोड़ स्लॉक -1ए की मद 3.0 के समाग होनी चाहिए।

### खंड-IV (विदेशी परिसंपतियां)

- कृपया लाख रूपये मैं विदेशी परिसंपतियां रिपोर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ष के पिछले वितीय वर्ष मार्च के अंत तथा मौजूदा वितीय वर्ष मार्च के अंत की विक्रिय दर का प्रयोग करें !
- 2. यदि ओवरसीज कंपनी सूचीबद्ध है तो संदर्भ अविध की समाप्ति की तारीख को शेयर की कीमत के अनुसार ईक्विटी का मूल्य आँका जाए। 3.जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में, ईक्विटी निवेश के मूल्यांकन के लिए बही मूल्य पर स्वाधिकृत निधियों (ओएफबीवी) की पद्धित का प्रयोग किया जाए।

ब्लॉक 3: विदेश स्थित प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के ईक्विटी कैपिटल, रिज़र्व तथा अधिशेष (आरतीय रिपोर्टिंग कंपनी द्वारा धारित 10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी)

(रिपोर्टिंग (reference) की तारीख को डीआईई की कुल ईक्विटी, आपकी कंपनी द्वारा धारित ईक्विटी, रिज़र्व (लाभ-हानि खाते को छोड़कर) और जिन इटरप्राइजों में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक की ईक्विटी शेयर धारिता आपकी कंपनी के पास है, के लाभ-हानि खाते यहां दशीए जाएं ।)

| डीआईई  | मद  | मुद्रा         | निम्नलिखित के अंत में विदेशी मुद्रा में राशि (वास्तव में) |              |  |  |
|--------|---|----------------|---|--------------|--|--|
| का नाम |   |                | पिछला मार्च   | मौज्दा मार्च |  |  |
|        | 3.1.डीआइई की कुल ईक्विटी                              | 1              |   |              |  |  |
| •      | 3.2.आपके द्वारा डीआइई की धारित ईक्विटी                | - <del> </del> |   |              |  |  |
|        | 3.3.रिज़र्व (पीएण्ड एल खाते को छोड़कर)                | 1              |   |              |  |  |
|        | 3.4.लाभ और हानि खाता शेष                              |                |   |              |  |  |
|        | उ.इ.रिज़र्व और अधिशेष (=3.3+3.4)                      | -              |   |              |  |  |
|        | 3.6 डीआइई की निवतः मालियत(=3.1+3.5)                   |                |   |              |  |  |
|        | 3.7 विदेशी मुद्रा की प्रति युनिट रुपये में विनिमय दर• | 1              |   |              |  |  |

+भारतीय रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग की विनिमय दर संदर्भाधीन अविध की समाप्ति की तारीख की दी जाए।विनिमय दरों के लिए FEDAI की वेबसाइट (http://www.fedai.org.in) का उपयोग किया जाए।

#### ब्लॉक 4: ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

#### ब्लॉक ४ए. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10 प्रतिशत अथवा अधिक ईक्विटी होल्डिंग)

**ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना** के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज (DIE) में किए गए निवेश के तहत उनमें से प्रत्येक में, रिपोर्ट करने की तारीख को, धारित 10 प्रतिशत या अधिक ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाये का बाजार मृत्य यहाँ रिपोर्ट किया जाए ।

| अनिवासी<br>डीआईई | पूंजी का प्रकार  | अनिवासी<br>डीआइई | दर्घ के | निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रू.<br>में |              |  |
|------------------|--|------------------|---------|---|--------------|--|
| का नाम           |  | का देश           |         | पिछता मार्च                               | मौजूदा मार्च |  |
|                  | 1.0 ईन्विटी पूंजी (=1.1-1.2)                                 | +                |         |   | -            |  |
|                  | 1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे                       |                  |         |   |              |  |
|                  | 1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताएं(प्रति निवेश) |                  |         |   |              |  |
|                  | 2.0 अन्य पूंजी (=2.1-2.2) #                                  |                  | ļ       |   |              |  |
|                  | 2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे                       |                  |         |   |              |  |
|                  | 2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरपाइज के प्रति देयताएं                |                  |         |   |              |  |

#### टिप्पणी:

- (i) <mark>यदि जानकारी एक से अधिक दिदेशी</mark> कंपनी के लिए पस्तृत की जानी हैं. तो उसी फॉर्मेट में अलग अलग ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4ए जोड़ दें ।
- (ii) # ब्लॉक-4ए की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कंपनी की ब्लॉक-4ए में दर्शाये गये अनुसार अपने अनिवासी निवेशको (डीआईई) के साथ ईक्विटी शेयरों ( अर्थात व्यापार ऋण, कर्ज. डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता शेयर पूँजी, अन्य खाते गत पाप्य और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताए तथा नाममात्र मूल्य पर दावे समाविष्ट हैं।

### ब्लॉक 4वीं. विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (10 प्रतिशत से न्यून ईक्विटी होल्डिंग)

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी इंटरप्राइज (DIE)में किए गए निवेश के तहत उनमें से पत्येक में रिपोर्ट करने की तारीख का धारित 10 प्रतिशत से न्यून ईक्विटी शेयर में निवेशगत बकाया का बाजार मूल्य यहाँ रिपोर्ट किया जाए ।

| पूंजी का प्रकार   | अनिवासी<br>इंटरप्राइज<br>का देश |   | निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु में |  |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
|   |                                 |   | पिछला मार्च मौजूदा मार्च              |  |
| 1.0 ईक्सिटी पूंजी (=1.1-1.2)                                |                                 |   |                                       |  |
| 1.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे                      |                                 |   |                                       |  |
| 1.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरपाइज के प्रति देयताएं(रिवर्स निवेश) |                                 |   |                                       |  |
| 2.0 अन्य पूंजी (=2.1-2.2)#                                  |                                 |   |                                       |  |
| 2.1 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज पर दावे                      |                                 | I |                                       |  |
| 2.2 प्रत्यक्ष निवेश इंटरप्राइज के प्रति देयताए              | Ţ                               |   |                                       |  |

#### <del>D. woll</del>

- (i) यदि जानकारी एक से अधिक देशों के लिए प्रस्तुत की जानी है, तो उसी फॉर्मेट में अलग-अलग बनॉक 4बी जोड़ दें '
- (ii) # ब्लॉक-4बी की अन्य पूँजी, मद 2.1 तथा 2.2 में भारतीय रिपोर्टिंग कपनी की अपनी अनिवासी कपनियों, जहाँ भारतीय कंपनी कि प्रातिए में कम ईक्विटी धारित किए हैं, तथा संबंधित पार्टियों के साथ ईक्विटी (अर्थात त्यापार ऋण कंज, दिबंचम, गैर-सहभागिता शेयर पूंजी, काम साथ प्राप्त और देय राशियाँ, आदि) से भिन्न सभी अन्य देयताएं तथा नाममात्र मूल्य पर टाव सम्यविष्ट है.

#### म्लॉक 5: विदेश में पोर्टफोलियो निवेश

अनिवासी इंटरप्राइज में **ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश योजना** के अंतर्गत किए गए एवं ब्लॉक 4 में रिपोर्ट किए गए **निवे**शों से भिन्न निवेश के बकाये बाजार मूल्य पर यहाँ दशीये जाएं ।

| पोर्टफोसियो निवेश   | अनिवासी             | निम्नलिखित के अंत में राशि लाख रु मैं |              |  |
|---|---------------------|---------------------------------------|--------------|--|
|   | ईटरप्राइज<br>का देश | पिछला मार्च                           | मौजूदा मार्च |  |
| 1.0 ईक्विटी प्रतिभृतियां ( बाजार मूल्य पर)                |                     | <del> </del>                          |              |  |
| 2.0 कर्ज प्रतिभृतियां (=2.1+2.2)                          |                     |                                       |              |  |
| 2.1 मुद्रा बाजार लिखत(मूल परिपक्वता 1 वर्ष तक वाले)       |                     |                                       |              |  |
| 2.2 बांड तथा अन्य लिखत(मूल परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक वाले) |                     |                                       |              |  |

#### टिप्पणी:

(i)प्रत्येक प्रकार के निवेश संबंधी आँकड़े देश वार सूचना समेकित करते हुए रिपोर्ट किए जाने हैं । (ii)यदि एक से अधिक देशों के लिए जानकारी प्रस्तुत की जानी हो तो इसी फॉर्मेंट में ब्लाक 5 जोड़ा जाए ।

> **खंड** ∨ ( अन्य परिसंपतियाँ और देयताएं )

ब्लॉक 6: अन्य निवेश (असंबंधित (अनिरलेटेड) पार्टियों के साथ स्थिति)

यह अवशिष्ट श्रेणी है, जिसमें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश के रूप मैं न आनेवाली सभी वितीय बकाया देयताएं एवं दावे शामिल है ।

| अन्य निवेश                             | असंबंधित (अर्नी<br>बकाया देयता        | रेलेटेड) पार्टी के सा | थ असंबंधित (3 | मनरिलेटेड) पार्टी पर बकाया दावे |  |  |
|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|--|--|
|  | निम्नलिखित के अंत मैं राशि लाख रु. मे |                       |               |                                 |  |  |
|  | पिछता मार्च                           | मौजूदा मार्च          | पिछता मार्च   | मौजूदा मार्च                    |  |  |
| 6.1 ट्रेंड केडिट                       |                                       |                       |               |                                 |  |  |
| 6.2 ऋण                                 |                                       |                       |               | <u> </u>                        |  |  |
| 6.3 करेंसी और जमाराशियां               |                                       |                       |               | i ·                             |  |  |
| 6.4 खातेगत अन्य प्राप्य और देय राशियां |                                       |                       |               |                                 |  |  |

[इस रिटर्न का ई-फॉर्म रूपांतर भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर 'फॉर्म्स' श्रेणी के तहत फेमा फॉर्म पर उपलब्ध है । सिस्टम अपेक्षा : एमएस एक्सेल 2003 तथा उन्नत वर्शन मैक्रो एनेबल्ड|

#### घोषणा

प्राप्त और रिपोर्ट किए गए विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और विधि विरुद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार किया जाएगा । हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि निवेश सभी लागू नियमावितयों और विनियमावितयों की शर्ता (उपबंधों) के अनुरूप है ।

स्थान:

प्राधिकृत व्याक्ति का हस्ताक्षर और नाम

्रजाक

कंपनी की सील और मुहर

लेनदेन का स्वरूप

#### संलग्नक एफ

### फार्म एफसी-टीआरएस

निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य के अंतरण के बारे में घोषणा ( प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तृत किया जाना चाहिए)। निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य की बिक्री के लिए (i) बिक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् निय्क्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज। (ii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती (इन्वेस्टी) कंपनी की शेयरधारिता का तरीका (पैटर्न)। (iii) सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र। (iv) अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति। क्रेता का इस बात का घोषणा पत्र कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन शेयरों / (v) अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों को अधिगृहीत करने के लिए पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। (vi) विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते धारक से इस बात का घोषणा पत्र कि निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खातेगत सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है। भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज (vii) अगर बिक्रेता अनिवासी भारतीय/ सम्द्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां। आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापति / कर बेबाकी प्रमाणपत्र। कंपनी का नाम पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित) कार्यकलाप एनआईसी कुट सं. क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अन्मति स्वतः अन्मोदित मार्ग के तहत दी गयी है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत सेक्टोरेल सीमा

निवासी से अनिवासी को अंतरण

| $\overline{}$ | T  |                            |
|---------------|--|----------------------------|
|               | (जो लागू न हो उसे काट दें)                             | अनिवासी से निवासी को अंतरण |
| 4             | क्रेता का नाम  |                            |
|               |  |                            |
|               | निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप                            |                            |
|               |  |                            |
|               | उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से                |                            |
|               | कौन है   |                            |
| -             | ।. कोई व्यक्ति   |                            |
|               | 2. कंपनी   |                            |
|               | 3. विदेशी संस्थागत निवेशक                              |                            |
| <del></del>   | 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक                           |                            |
|               | 5. विदेशी न्यास  |                            |
| <u> </u>      | 5. विदर्शा न्यास<br>6. निजी ईक्विटी फंड                |                            |
|               | ह. । नजा इक्क्किटा फंड<br>7.     पेंशन/ प्रोविडेंट फंड |                            |
|               | <del></del>  |                            |
| <u> </u>      | 8. सरकारी धन निधि <sup>®</sup>                         |                            |
| <u> </u>      | 9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म                         |                            |
| <u> </u>      | 10. वितीय संस्था                                       |                            |
|               | 11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के                      |                            |
|               | व्यक्ति  |                            |
|               | 12. अन्य   |                            |
|               | निगमित होने की तारीख तथा स्थान                         |                            |
|               | क्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स,       |                            |
| _             | आदि शामिल करें)  |                            |
| 5.            | बिक्रेता का नाम  |                            |
|               |  |                            |
|               | निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप                            |                            |
|               | उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से                | <u> </u>                   |
| !             | कौन है   |                            |
| <u></u>       | 1. व्यक्ति   |                            |
| <br>          | 2. कंपनी   |                            |
| <br>          | 3. विदेशी संस्थागत निवेशक                              |                            |
|               | 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक                           |                            |
|               | ः व्यक्ता सार्वण पूर्णा श्वराया                        |                            |

<sup>ं</sup> सरकारी धन -निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रा परिसंपतियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपतियों का प्रबंध करती है।

|    | 5. विदेशी न्यास                     |                      |  |           | <del></del>       |   |              |
|----|-------------------------------------|----------------------|--|-----------|-------------------|---|--------------|
|    | <ol> <li>निजी ईक्विटी प्</li> </ol> | ਜੱ <b>ਤ</b>          | <u>.                                    </u> |           |                   |   |              |
|    | 7. पेंशन/ प्रोविडेंट                | फंड                  | <u></u>                                      |           |                   | <del></del>                             | _            |
|    | 8. सरकारी धन नि                     | ाधिः।                |  |           | <u></u>           |   | · · ·        |
|    | 9. साझेदारी/स्वानि                  | मेत्ववाली फर         | 1  |           |                   |   |              |
|    | 10. वितीय संस्था                    | •                    | <del></del>                                  |           |                   |   | -            |
|    | 11. अनिवासीभारती                    | ोय/ भारतीय           | मूल का व्यक्ति                               |           |                   |   |              |
|    | 12. अन्य                            |                      |  |           |                   |   |              |
|    | संस्था के मामले में                 | नेगमित होने          | की तारीख त                                   | भा ।      |                   |   |              |
|    | स्थान                               |                      |  |           |                   |   |              |
|    | बिक्रेता का नाम व प                 | ता (ई-मेल,           | टेलीफोन नंब                                  | ₹,        |                   | - 1                                     | -            |
|    | फैक्स. आदि शामिल क                  | र्ने)                |  | ļ         |                   |   |              |
| 6. | भारतीय रिजर्व बैंक/ वि              | वेदेशी निवेश         | संवर्धन बोर्ड                                | के        |                   | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |              |
| ŕ  | पिछले अनुमोदन के ब्य                | ोरे                  |  | ļ         |                   |   |              |
| 7. | अंतरित किये जाने वाले               | • <b>शेयरों</b> /अवि | नेवार्य तथा आ                                | धेदेशात्म | क परिवर्तनीय      | अधिमानी शेयरों                          | /डिबेंचरों / |
|    | अन्य (तेल क्षेत्र, आ                | दि में सहभ           | ।गिता हित                                    | राइटस     | जैसे प्रत्यक्ष वि | वेदेशी निवेश उ                          | भनुपालित     |
|    | लिखत) के ब्योरे                     |                      |  |           |                   |   | •            |
| 7  | नेनदेन करने की तारीख                | शेयरों               | /अनिवार्य                                    | तथा       | अंकित मूल्य       | अंतरण** के                              | प्रतिफल      |
|    |                                     | अधिदेशात्म           | नक परि                                       | वर्तनीय   | रु. में           | लिए तय की                               | की           |
|    |                                     | अधिमानी              | शेयरों/डिबेंचरों                             | /अन्य     |                   | गई कीमत रु.                             | राशि         |
|    |                                     | की संख्या            | ·  |           |                   | में                                     | रु. में      |
|    |                                     |                      |  |           |                   |   |              |
| u  |                                     | <u> </u>             |  |           | <u> </u>          |   |              |
|    |                                     |                      |  | <u> </u>  | ·                 |   |              |

| 8 | कंपनी | में | विदेशी |              | शेयरों की संख्या | प्रतिशत |
|---|-------|-----|--------|--------------|------------------|---------|
| 1 | निवेश |     |        | अंतरण से     |                  |         |
| ! | :     | •   |        | पहले         | <u> </u>         |         |
|   | <br>  |     | _      | अंतरण के बाद |                  |         |

<sup>ं</sup> सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपतियाँ द्वारा किया जाता है और जो माँद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियाँ से अलग उन परिसंपतियों का प्रबंध करती है।

|        | <del></del>            |        |   |   |
|--------|------------------------|--------|---|---|
| 9      | जहाँ शेयर / अनिवार्य   |        |   |   |
|        | तथा अधिदेशात्मक        |        |   |   |
|        | परिवर्तनीय अधिमानी     |        |   |   |
|        | शेयर / डिबेंचर/अन्य    |        |   |   |
|        | स्टॉक एक्सचेंज में     |        |   |   |
|        | सूचीबद्ध हैं:          |        |   |   |
|        | स्टॉक एक्सचेंज का      |        |   |   |
|        | नाम                    |        |   |   |
|        | स्टॉक एक्सचेंज में     |        |   |   |
|        | कोट की गई कीमत         |        |   |   |
|        | जहाँ शेयर /अनिवार्य    |        |   |   |
|        | तथा आदेशात्मक          |        |   |   |
| •      | परिवर्तनीय अधिमान      |        |   |   |
|        | शेयर /डिबेंचर/अन्य     |        | • | j |
|        | स्टॉक एक्सचेंज में     | ·      |   |   |
| i<br>i | गैर-सूचीबद्ध हैं?      |        |   |   |
|        | मूल्य निर्धारण दिशा-   |        |   |   |
| 1      | निर्देशों के अनुसार    |        |   |   |
|        | कीमत*                  |        |   |   |
|        | सनदी लेखाकार की        |        |   |   |
|        | मूल्य निर्धारण रिपोर्ट |        |   |   |
|        | के अनुसार कीमत         |        |   |   |
|        | (*/**सनदी लेखाकार      |        |   |   |
|        | का प्रमाणपत्र जोडा     |        |   |   |
|        | जाए)                   | ·<br>: |   |   |
| 1      | <del></del>            |        |   |   |

### अंतरणकर्ता अंतरिती द्वारा घोषणा

# मैं हम एतद्द्वारा घोषित करता हूं करते हैं कि:

- (i) ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं
- (ii) मैं हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर अन्य धारित करता था/ करते थे।
- (iii) मैं हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य शेयरों के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/ हैं। यह वितीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में संलग्न कंपनी के

|      | शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों/अन्य से संबंधित    |
|------|---|
|      | अंतरण नहीं है।  |
| (iv) | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का |
|      | पालन किया गया है।   |

# दिनांक :

# घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

### टिप्पणी:

निवासी से अनिवासी को शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के सबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय डिबेंचरों / अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी बिक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो।

### प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

|          |                                | <del></del> |  |
|----------|--------------------------------|-------------|--|
|          | अधिकारी का नाम और पदनाम        |             |  |
| दिनांक : | प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम |             |  |
|          | प्राधिकृत व्यापारी क्ट         |             |  |

| अनिवासी | निवेशक | के संव | वंध में | अपने | ग्राहक | को | जानने | संबंधी | सूचना | प्रस्तुत | करने | वाला | फॉर्म         |
|---------|--------|--------|---------|------|--------|----|-------|--------|-------|----------|------|------|---------------|
|         |        |        |         |      |        |    |       |        |       |          |      |      | $\overline{}$ |

| विप्रेषक का पंजीकृत नाम/       |   |
|--------------------------------|---|
| निवेशक का नाम (यदि वह          |   |
| व्यक्ति है)                    |   |
| पंजीकरण संख्या (यदि विप्रेषक   |   |
| व्यक्ति है तो यूनिक पहचान      |   |
| संख्या•)                       |   |
| पंजीकृत पता (यदि विप्रेषक      |   |
| व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता) |   |
| विप्रेषक के बैंक का नाम        |   |
| विप्रेषक का बैंक खाता सं.      |   |
| विप्रेषक के साथ बैंकिंग        |   |
| ताल्लुकात की अवधि              | · |

\*पासपोर्ट नं.,सोशल सिक्योरिटी नं. अथवा अन्य कोई यूनिक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि विप्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही विप्रेषक है।

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई, ऊपर प्रस्तुत, जानकारी सत्य और सही है।

विप्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

मुहर

### प्रोफार्मा

बिक्री द्वारा शेयरॉ/अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरॉ/डिबॅचरॉ/ अन्य के अंतरण के संबंध में प्रास/किए गए विप्रेषणों के कारण अंप्रवाह/बहिप्रवाह का विवरण

### श्रेणी-वार

भाग ए- अनिवासी भारतीय/पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय

भाग बी- विदेशी राष्ट्रीक / अनिवासी निगमित संस्था (एंटिटी)

भाग सी- विदेशी संस्थागत निवेशक

### अंतर्प्रवाह- निवासी से अनिवासी को अंतरण

(राशि रु. में)

| लेनदेन<br>की<br>तारीख | कंपनी<br>का<br>नाम | गतिवि<br>धि | एनआईसी<br>कोड | क्रेता<br>का<br>नाम | क्रेता<br>का<br>गठन/<br>कारोबार<br>का | बिक्रेता<br>का<br>नाम | बिक्रेता<br>का<br>गठन/<br>कारोबार<br>का | अंतरित<br>शेयरों<br>की<br>संख्या | अंकित<br>मूल्य | प्रति<br>शेयर<br>बिक्री<br>मूल्य | कुल<br>अंतर्प्र<br>वाह |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| 1.                    | 2.                 | 3.          | 4.            | 5.                  | 6.                                    | 7.                    | 8.                                      | 9.                               | 10             | 11.                              | 12                     |

### बहिर्प्रवाह- अनिवासी से निवासी को अंतरण

(राशि रु. में)

| लेनदेन<br>की<br>तारीख | कंपनी<br>का<br>नाम | गतिवि<br>धि | एनआईसी<br>कोड | बिक्रेता<br>का<br>नाम | बिक्रेता<br>का<br>गठन/<br>कारोबार<br>का | क्रेता<br>का<br>नाम | क्रेता<br>का<br>गठन/<br>कारोबार<br>का | अंतरित<br>शेयरॉ<br>की<br>संख्या | अंकित<br>मूल्य | प्रति<br>शेयर<br>बिक्री<br>मूल्य | कुल<br>बहिर्प्र<br>वाह |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------|
| 1                     | 2                  | 3.          | 4.            | 5.                    | 6.                                      | 7.                  | 8.                                    | 9.                              | 10             | 11.                              | 12                     |

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October, 2012

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2012

GS.R. 795(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) (hereinafter referred to as 'the principal Regulations'), namely:—

### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Sixth Amendment) Regulations, 2012.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations as to the coming into force of any particular provision, the provisions of these Regulations shall come into force from the date of publication of this notification.

#### 2. Amendment to Regulation 2

In the principal Regulations, in Regulation 2, after clause (viii), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011, namely;

"(viiia) 'Qualified Foreign In vestor' (QFI) means

- (a) during the period from 9<sup>th</sup> day of August, 2011 to 15<sup>th</sup> day of July, 2012, a person who satisfied the following criteria at the relevant time,
- (i) resident of a country, that is compliant with the Financial Action Task Force (FATF) standards and is a signatory to the IOSCO's Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU); and
- (ii) satisfied the KYC requirements stipu :ed by SEBI

Provided that such a person is not registered with SEBI as a Foreign Institutional Investor (FII) or Foreign Venture Capital Investor (FVCI).

- (b) With effect from 16<sup>th</sup> day of July, 2012, a person who satisfies the following criteria at the relevant time:
- (i) Resident in a country that is a member of FATF or a member of a group which is a member of FATF; and
- (ii) Resident in a country that is a signatory to IOSCO's MMoU (and referred to as Appendix A Signatories therein) or a signatory of a bilateral MoU with SEBI

Provided that the person is not resident in a country listed in the public statements issued by FATF from time to time on jurisdictions having strategic AML/CFT deficiencies to which counter measures apply or that have not made sufficient progress in addressing the deficiencies or have not committed to an action plan developed with the FATF to address the deficiencies;

Provided that such person is not resident in India;

Provided further that such person is not registered with SEBI as a FII or Sub-Account of an FII or FVCI.

Explanation - For the purposes of this clause:

- "bilateral MoU with SEBI" shall mean a bilateral MoU between SEBI and the overseas regulator that, inter alia, provides for information sharing arrangements.
- Member of FATF shall not mean an associate member of FATF."

### 3. Amendment to Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5,

(i) In sub-regulation (4), after the words "or a Foreign Central Bank", the words 'or a QFI or any other person resident outside India included in Schedule 5' shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011.

- (ii) after sub-regulation (7), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 13th day of January, 2012, namely:
  - "(7A) A QFI may purchase equity shares of an Indian company subject to the terms and conditions specified in Schedule 8."
- (iii) after sub-regulation(7A), the following shall be inserted, namely:

"Explanation: For the purposes of sub-regulations (1) to (7) above, no class of investor referred to in those sub-regulations shall make investment, directly or indirectly, in any security, issued by an Indian company which is engaged or proposes to engage in any of the activities in which foreign investment is prohibited under sub-regulation (b) of Regulation 4 of the Foreign Exchange Management (Permissible Capital Account Transactions) Regulations, 2000, as amended from time to time".

#### 4. Amendment to Regulation 10.

In principal Regulation, in Regulation 10,

- (1) in the heading, for the opening words 'Prior permission', the word "Permission" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, with effect from 4th day of November 2011.
- (2). in sub-regulation A, for clauses (b) and (c), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 4th day of November, 2011, namely:
  - "b) any shares or convertible debentures of an Indian company under the Foreign Direct Investment Scheme, whose activities fall under Annex B to Schedule 1, shall, subject to sectoral limits specified therein, transfer such shares or convertible debentures without prior approval of the Reserve Bank if the same is by way of sale, subject to the following:
    - (i) that the parties concerned adhere to the pricing guidelines, documentation and reporting requirements for such transfers, stipulated by the Reserve Bank from time to time.

- (ii) where the transfer of shares or convertible debentures—requires the prior approval of the Foreign Investment Promotion Board (FIPB) as per the extant Foreign Direct Investment (FDI) policy:
  - (a) the requisite approval of the FIPB has been obtained; and
  - (b) the transfer of shares or convertible debentures adheres with the pricing guidelines and documentation, reporting requirements as stipulated by the Reserve Bank from time to time.
- (iii) where SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997 are attracted, the pricing guidelines and documentation, reporting requirements as stipulated by SEBI are complied with.

Provided howsoever that in case the SEBI guidelines as aforesaid are not complied with, for the purposes of this Regulation, compliance with pricing guidelines, reporting and documentation requirements as stipulated by RBI shall be sufficient.

- (iv) where the pricing guidelines under the Foreign Exchange Management Act, (FEMA) 1999 are not complied with -
  - (a) The resultant FDI is in compliance with the requirements of Schedule 1, other than pricing guidelines; and
  - (b) The pricing for the transaction is compliant with the applicable SEBI Regulations/guidelines; and
  - (c) Chartered Accountants Certificate to the effect that compliance with the applicable SEBI regulations / guidelines as indicated above is attached to the form FC-TRS to be filed with the AD bank.
- (v) where the investee company is in the financial services sector
  - (a) No Objection Certificates (NOCs) are obtained from the respective financial sector regulators/ regulators of the investee company as well

as transferor and transferee entities and such NOCs are filed along with the form FC-TRS with the AD bank; and

(b) The requirements of Schedule 1 are complied with.

**EXPLANATION**: For the purpose of this Regulation, "financial services", shall mean service rendered by banking and non-banking companies regulated by the Reserve Bank, insurance companies regulated by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), pension funds regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, other companies regulated by any other financial regulator and such other services as may be directed by Reserve Bank from time to time,

- "(c) any shares or convertible debentures by way of sale, shall make an application to the Reserve Bank for its approval if
  - (i) the transfer is to take place at a price which is not in conformity with the pricing guidelines stipulated by either the Reserve Bank or the SEBI, or
  - (ii) it is not covered by clause (b) above. "
- (3) in sub-regulation A, after clause (c) the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of April 2009, namely:
  - "(d) any shares or convertible debentures by way of sale, shall make an application to the Reserve Bank for its approval if the non-resident acquirer proposes deferment of payment of the amount of consideration"
  - (4) in sub-regulation B, after clause (2), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 4th day of November 2011, namely:
    - "(3) Where pricing guidelines under the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 are not complied with, a person resident outside India, may transfer shares or convertible debentures of an Indian Company, by way of sale, to a person resident in India, without the prior permission of the Reserve Bank, subject to the following
      - (a) The original and resultant investment are in conformity with the requirements of Schedule 1, other than pricing guidelines; and

- (b) The pricing for the transaction is compliant with the applicable SEBI regulations / guidelines; and
- (c) Chartered Accountants Certificate to the effect that compliance with the applicable SEBI regulations / guidelines as indicated above is attached to the form FC-TRS to be filed with the AD bank."

# 5. Amendment to Regulation 12

In the principal Regulations, in Regulation 12, after sub-regulation (ii), the following shall be inserted, and shall be deemed to have been inserted with effect from the 2nd day of May 2011, namely:

- "(iii) Any person being a non resident investor of a company registered in India (resident investee company) may pledge the shares or convertible debentures of that company to a bank in India to secure the credit facilities being extended to that company for bonafide purposes, subject to the AD bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank, from time to time, in this regard
- (iv) Any person being a non resident investor of a company registered in India (resident investee company) may pledge the shares or convertible debentures of that company to an overseas bank to secure the credit facilities being extended to the non resident investor or non resident promoter of the resident investee company or its overseas group company subject to the AD bank satisfying itself of the compliance of the conditions stipulated by the Reserve Bank from time to time in this regard."

### 6. Amendment to Schedule 1

In the principal Regulations, in Schedule 1,

(I) in paragraph 3, in clause (d) the words 'including second-hand machinery' shall be substituted by the words 'excluding second-hand machinery' and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th day of April 2012.

- (ii) ofter puragraph 5, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 26th day of September 2012, namely:
  - "5B. Notwithstanding anything contained in paragraph 5 above, where shares in an Indian company are issued to a person resident outside India in compliance with the provisions of the Companies Act, 1956, by way of subscription to Memorandum of Association, such investments may be made at face value subject to eligibility to invest under this Schedule."

### (IIII) in paragraph 8,

- (a) after clause (ii), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 2nd day of May 2011, namely:
  - "(iii) by debit to a non-interest bearing Escrow account (in Indian Rupees) maintained in India with an AD bank in accordance with Foreign Exchange Management (Deposit ) Regulations, 2000."
  - (b) in the Explanation, after the words " as given else where in the Schedule", the words" import payables of capital goods by units in Special Economic Zones", shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2003.
  - (c) in the First Proviso, for the words "debit to NRE/FCNR(B) account" the words "debit to NRE / FCNR (B) /Escrow account" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 2nd day of May, 2011.

### (IV) In paragraph 9,

(a) for sub-paragraph (1) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 30th day of May 2008, namely:

### "Reporting of issuance of shares of Indian company:

9 (1) An Indian company issuing shares or convertible debentures in accordance with these Regulations shall submit through AD bank to the

Regional Office concerned of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered office of the company operates,

- (A) not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration received by Indian company for issue of shares and convertible debentures, a report in form specified in Annex C to this Schedule along with a copy/ies of Foreign Inward Remittance Certificate/s (FIRC), Know Your Customer (KYC) report on the non resident investor and details of the Government approval, if any
- (B) not later than 30 days from the date of issue of shares, a report in form FC-GPR together with,
- (i) a certificate from the Company Secretary of the company accepting investment from persons resident outside India certifying that
- (a) all the requirements of the Companies Act, 1966 have been complied with:
- (b) terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with;
- (c) the company is eligible to issue shares under these Regulations, and
- (d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of this Schedule;
- (ii) a certificate from SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India.

[Provided that, in addition to above, the company shall report the conversion of ECB into equity, in ECB-2 Return of the respective month in case of full conversion of ECB. In case of partial conversion of ECB, the converted portion shall be reported in form FC-GPR to the Regional Office concerned of Reserve Bank and non-converted portion in Form ECB-2].

(b) after sub-paragraph (1), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15th day of March 2011.

- "(2) All Indian companies which have received Foreign Direct Investment in the previous year(s) including the current year shall submit to the Reserve Bank of India, on or before the 15<sup>th</sup> day of July of each year, a report titled "Annual Return on Foreign Liabilities and Assets" in the form specified in Annex E to this Schedule.
- (3) Reserve Bank may, by notification, modify from time to time, the format of report titled "Annual Return on Foreign Liabilities and Assets" specified in Annex E to this Schedule.
- (V). after paragraph 9, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of April 2009, namely:

# "Reporting of transfer of shares of Indian company:

- 10.(i) In case of transfer of shares or convertible debentures of an Indian company by way of sale from a person resident in India to a person resident outside India or vice versa, the transferor/transferee, resident in India, shall submit to the AD bank a report in the form FC-TRS specified in Annex F to this Schedule, within 60 days from the date of receipt or payment of the amount of consideration. The onus of submission of the form FC-TRS within the specified time shall be on the transferor / transferee, resident in India.
- (ii) Reserve Bank may, by notification, modify from time to time the Form FC-TRS specified in Annex F to this Schedule.
- (iii) The IBD/FED/nodal branch of the AD bank shall submit a consolidated monthly statement in respect of all such transactions reported by its branches, to the Reserve Bank in the form and manner stipulated by Reserve Bank, Foreign Exchange Department, Central Office, from time to time.
- (iv) The sale consideration in respect of shares or convertible debentures remitted into India through normal banking channels, shall be subjected to a KYC check by the remittance receiving AD bank at the time of receipt of funds. In case, the remittance receiving AD bank is different from the AD bank handling

the transfer transaction, the KYC check shall be carried out by the remittance receiving bank and the KYC report shall be submitted by the customer to the AD bank for carrying out the transaction along with the form FC-TRS.

- (v) In case prior approval of the Reserve Bank is granted for transfer of shares or convertible debentures, from a resident to the non-resident on deferred payment of consideration, the same shall be reported in form FC-TRS, duly certified by the AD bank, within 60 days from the date of receipt of the full and final amount of consideration."
- (VI) The existing paragraph 10 shall be renumbered as paragraph 11:
- (VII) For the existing Annex A, "Annex A" hereto—shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 20<sup>th</sup> day of September, 2012.

(VIII)For the existing Annex B, "Annex B" hereto shall be substituted with effect from the date of this notification unless a different date is indicated for the coming into force of any item therein.

- (IX) For the existing Annex C, "Annex C" hereto shall be substituted.
- (X) For the existing Annex D , "Annex D" hereto shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of March 2011.
- (XI) After Annex D, "Annex E" hereto shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15th day of March 2011.

### 7. Amendment to Schedule 2

In the principal Regulations, in Schedule 2,

- (i) in paragraph 1, in sub-paragraph 5, in the proviso, for clause (b), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 21st day of April 2010, namely:-
  - "(b)in case of issue by private placement, the price is not less than the price arrived in terms of SEBI guidelines or not less than the fair price

worked out as per the Discounted Cash Flow method duly certified by a SEBI registered Merchant Banker or Chartered Accountant, as applicable."

- (ii) in paragraph 2, after clause (iii), the following shall be inserted.
  - "(iv) The Foreign Currency Account and the Special Non-Resident Rupee account of the registered FII shall be a non-interest bearing account/s."

### 8. Amendment to Schedule 5

In the principal Regulations, in Schedule 5,

(i).In paragraph 1, the following shall be substituted , namely:

"Permission to Foreign institutional investors for purchase of securities.

- (1) A registered Foreign institutional Investor (FII) may purchase, on repatriation basis, either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognized Stock Exchange in India the following securities, subject to the terms and conditions as specified by the SEBI and the Reserve Bank from time to time:
  - (a) dated Government securities/treasury bills;
  - (b) listed non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company;
  - (c) commercial papers issued by an Indian company;
  - (d) units of domestic mutual funds;
  - (e) Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies provided that the total holding by a single FII in each tranche of scheme of Security Receipts shall not exceed 10 per cent of the issue and the total holdings of all FIIs put together shall not exceed 49 per cent of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies;
- (f) Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (Tier I capital and Tier II capital as defined by Reserve Bank, and modified from time to time) provided that the investment by all FIIs in Perpetual Debt instruments (Tier I) shall not exceed an aggregate ceiling of 49 per cent

of each issue, and investment by individual FII shall not exceed the limit of 10 per cent of each issue. The investment by FIIs in Debt capital instruments (Tier II) shall be within the limits stipulated by SEBI for FII investment in corporate debt;

- (g) with effect from April 29, 2011 listed and unlisted non-convertible debentures/bonds issued by an Indian company in the infrastructure sector, where 'infrastructure' is defined in terms of the extant ECB guidelines, subject to residual maturity and lock-in period as stipulated by Reserve Bank from time to time.
- (h) with effect from November 3, 2011 non-convertible debentures/bonds issued by Non-Banking Finance Companies categorized as 'Infrastructure Finance Companies'(IFCs) by the Reserve Bank, subject to residual maturity and lockin period as stipulated by the SEBI and the Reserve Bank from time to time
- (i) with effect from November 22, 2011, Rupee denominated bonds/units issued by Infrastructure Debt Funds subject to lock-in period and residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time, provided that the FIIs may trade such bonds/ units amongst the eligible non-resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock-in period;
- (j) with effect from March 1, 2012, primary issues of non-convertible debentures / bonds provided such non-convertible debentures / bonds are committed to be listed within 15 days of such investment. In the event of such non-convertible debentures / bonds issued not being listed within 15 days of issuance, for any reason, then the FII shall immediately dispose of those non-convertible debentures / bonds either by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to FIIs should contain a clause that the issuer of such debt securities shall immediately redeem / buyback those securities from the FIIs in such an eventuality.

**Provided** that FIIs may offer such securities as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub-Regulation 6 of Regulation 5."

- (ii) in paragraph 2, in sub-paragraph 1(A), after clause (iii), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of November 2011, namely,
  - "(iv) bonds/units issued by infrastructure Debt Funds, subject to lock-in period and residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time, provided that a Non Resident Indian may trade such bonds/ units amongst the eligible non-resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock-in period."
- (iii) after paragraph 1, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011, namely:
  - "Permission for Qualified Foreign Investors for purchase of securities

    1A (i) A QFI may purchase on repatriation basis, subject to the terms and conditions stipulated by the SEBI and the Reserve Bank in this regard from time to time in the following rupee denominated units of:
  - (a) equity schemes of SEBI registered domestic mutual funds,
  - (b) debt scheme of SEBI registered domestic mutual funds which invest in infrastructure,
  - (c) any scheme of SEBI registered domestic mutual funds that hold at least 25 per cent of their assets (either in debt or equity or both) in infrastructure.

For the purpose of sub-clauses (b) and (c) above, 'infrastructure' shall mean infrastructure as defined in terms of the ECB guidelines.

- (ii) A QFI may purchase securities referred to in sub-clauses (a) to (c) above under the following routes, subject to the terms and conditions stipulated by SEEI and Reserve Bank in this regard, from time to time:
- (a) Direct Route- SEBI registered Qualified Depository Participant (QDP) route;
- (b) Indirect Route Unit Confirmation Receipt (UCR) route."

- (iv) in Paragraph 1A, after clause (ii), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 16th day of July 2012.
  - "(iii) A QFI may:
    - (a) purchase, on repatriation basis through SEBI registered Qualified Depository Participants (QDPs) (defined as per the extant SEBI regulations), listed non-convertible debentures, listed bonds of Indian companies and listed units of Mutual Fund Debt Schemes directly from the issuer or through a registered stock broker on a recognized stock exchange in India and sell through a registered stock broker on a recognized stock exchange in India or by way of buyback or redemption by the issuer;
    - (b) invest in primary issues of non-convertible debentures / bonds provided such non-convertible debentures / bonds are committed to be listed within 15 days of such investment. In the event of such non-convertible debentures / bonds issued to the QFI not being listed within 15 days of issuance to the QFI for any reason, then the QFI shall immediately dispose of these non-convertible debentures / bonds either by way of sale to a third party or to the issuer and the terms of offer to QFI should contain a clause that the issuer of such debt securities shall immediately redeem / buyback the said securities from the QFIs in such an eventuality."
- (v) in paragraph 1A, after clause (iii), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011.
  - "(iv) A QFI which purchases securities under this Regulation shall open a single demat account with a Qualified Depository Participant in India."
- (vi) after paragraph 1A, the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 22nd day of November 2011"

"Permission to Other Non Resident investors for purchase of securities

1B (i) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds and High 4132 GI/2012—13

Networth Individuals which are registered with SEBI as eligible non-resident investors in Infrastructure Debt Funds may purchase on repatriation basis Rupee denominated bonds/ units issued by Infrastructure Debt Funds subject to lock-in period and residual maturity as stipulated by the Reserve Bank and SEBI from time to time provided that aforementioned investors may trade such bonds/ units amongst the eligible non-resident investors for Infrastructure Debt Funds within the lock-in period".

(vii) in paragraph 1B, after clause (i), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 25th day of June 2012.

"(ii) Long term investors like Sovereign Wealth Funds (SWFs), Multilateral Agencies, Endowment Funds, Insurance Funds, Pension Funds and Foreign Central Banks registered with SEBI may purchase, on repatriation basis, dated Government securities, subject to the terms and conditions as stipulated by the SEBI and the Reserve Bank from time to time".

(viii) in paragraph 3, after sub-paragraph (4), the following shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 9th day of August 2011, namely:

"(5) A QFIwho purchases securities under this Schedule (other than by way of Indirect Route) shall make payment out of funds held in a single non-interest bearing Rupee Account maintained with an AD bank in terms of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000, as amended from time to time".

### 9. Amendment to Schedule 6

In the principal Regulations, in Schedule 6, in paragraph1, at the end of sub-paragraph (2), the following shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 19th day of March 2012, namely:

"The registered FVCI may invest in the eligible securities (equity, equity linked instruments, debt, debt instruments, debentures of an IVCU or VCF, units of schemes / funds set up by a VCF) by way of private arrangement / purchase

from a third party, subject to the terms and conditions stipulated by the Reserve Bank from time to time. The registered FVCI may invest in securities on a recognized stock exchange subject to the provisions of the SEBI (FVCI) Regulations, 2000, as amended from time to time, as well as the terms and conditions stipulated therein."

#### 10. Amendment to Schedule 7

In the principal Regulations, in Schedule 7, in paragraph 2, for clause (b), the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 28<sup>th</sup> day of August, 2012.

"(b) Limited two way fungibility of IDRs shall be permissible subject to the terms and conditions stipulated by Reserve Bank in this regard from time to time.

[No. FEMA, 242/2012-RB]
RUDRANARAYAN KAR, Chief General Manager

Foot Note: @(i) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations, since all the directions were issued through A.P. (DIR Series) Circulars on the different dates indicated as effective dates in this Notification.

(ii) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03,2003 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 225(E) dated 18,03,2003 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 dated G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. G., S.R.No.606(E) dated 03.08.2012 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No. dated G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004 dated G.S.R.No. G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No.\_\_\_\_ dated G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005

### Schedule 8

[See Regulation 5 (7A)]

# Scheme for Investment by Qualified Foreign Investors in equity shares

### 1. Eligible Investors:

The Schedule shall be applicable to Qualified Foreign Investors (QFIs) as defined in these regulations.

### 2. Eligible instruments and eligible transactions -

- (a). Purchase: QFIs shall be permitted to invest through SEBI registered Qualified Depository Participants (QDPs)-
  - (i) in equity shares of listed Indian companies through SEBI registered stock brokers on recognized stock exchanges in India.
- (ii) in equity shares of Indian companies which are offered to public in India in terms of the relevant and applicable SEBI guidelines/regulations.
- (iii) equity shares by way of rights shares, bonus shares or equity shares on account of stock split / consolidation or equity shares on account of amalgamation, demerger or such corporate actions.
- (b) Sale: QFIs shall be allowed to sell the equity shares so acquired by way of sale
- (i). Through recognized brokers on recognized stock exchanges in India; or
- (ii). In an open offer in accordance with the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; or
- (iii). In an open offer in accordance with the SEBI (Delisting of Securities) Guidelines, 2009; or

- (iv). Through buyback of shares by a listed Indian company in accordance with the SEBI (Buyback) Regulations, 1998.
- 3. **Pricing** The pricing of all eligible transactions and investment in all eligible instruments by QFIs under this scheme shall be in accordance with the relevant and applicable SEBI guidelines only.
- 4. Mode of payment / repatriation For QFI investments under this scheme open a single non-interest bearing Rupee Account with an AD Category- I bank in India, for the limited purpose of routing the receipt and payment for transactions relating to purchase and sale of equity shares of listed Indian companies—subject to the following conditions:
- (a) The account shall be funded by inward remittance through normal banking channel and by credit of the sale/redemption/buyback proceeds (net of taxes) and on account of interest payment / dividend on the eligible securities for QFIs.
- (b). The funds in this account shall be utilized for purchase of eligible securities for QFIs or for remittance (net of taxes) outside India.
- (c). The QDP will operate such non-interest bearing Rupee Accounts on behalf of the QFIs and at the instructions of the QFIs.
- 5. **Demat accounts** QFIs would be allowed to open a dedicated demat account with a QDP in India for investment in equity shares under the scheme. It is clarified that each QFI shall maintain a single demat account with a QDP for all investments in eligible securities for QFIs in India.

### 6. Limits and its monitoring:

The individual and aggregate investment limits for the QFIs shall be 5 per cent and 10 per cent respectively of the paid up capital of an Indian company. These limits shall be over and above the FII and NRI investment ceilings prescribed under the Portfolio Investment Scheme for foreign investment in India. Further, wherever there are composite sectoral caps under the extant FDI policy, these limits for QFI investment in equity shares shall also be within such overall FDI sectoral caps.

The onus of monitoring and compliance of these limits shall remain jointly and severally with the respective QFIs, DPs and the respective Indian companies (receiving such investment)

#### 7. Other conditions

- (i) Eligibility QFI would have to meet eligibility criteria as prescribed by SEBI from time to time.
- (ii) Know Your Customer (KYC) QDPs will ensure KYC of the QFIs as per the norms prescribed by SEBI. AD Category-I banks will also ensure KYC of the QFIs for opening and maintenance of the single non- interest bearing Rupee accounts as per the extant norms.
- (iii) Permissible currencles QFIs will remit foreign inward remittance through normal banking channel in any permitted currency (freely convertible) directly into the single non-interest bearing Rupee account of the QFI maintained with an AD Category-I bank.
- 8. Reporting In addition to the reporting to SEBI as may be prescribed by them, QDPs and AD Category-I banks (maintaining QFI accounts) will also ensure reporting to the Reserve Bank of India in a manner and format as prescribed by the Reserve Bank of India from time to time

Annex A

#### Sectors Prohibited for FDI

FDI is prohibited in:

- (a) Lottery Business including Government/ private lottery, online lotteries, etc.
- (b) Gambling and Betting including casinos etc.
- (c) Chit funds
- (d) Nidhi company
- (e) Trading in Transferable Development Rights (TDRs)
- (f) Real Estate Business or Construction of Farm Houses
- (g) Manufacturing of Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes
- (h) Activities / sectors not open to private sector investment e.g. Atomic Energy and Railway Transport (other than Mass Rapid Transport Systems).

Note: Foreign technology collaboration in any form including licensing for franchise, trademark, brand name, management contract is also prohibited for Lottery Business and Gambling and Betting activities."

Annex B

### Sector-specific policy for foreign investment

In the following sectors/activities, FDI up to the limit indicated against each sector/activity is allowed, subject to applicable laws/ regulations; security and other conditionalities. In sectors/activities not listed below, FDI is permitted up to 100% on the automatic route, subject to applicable laws/ regulations; security and other conditionalities.

Wherever there is a requirement of minimum capitalization, it shall include share premium received along with the face value of the share, only when it is received by the company upon issue of the shares to the non-resident investor. Amount paid by the transferee during post-issue transfer of shares beyond the issue price of the share, cannot be taken into account while calculating minimum capitalization requirement.

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of Cap/Equity   | Entry Route                         |
|------------|---|---|-------------------------------------|
|            | CULTURE   |   |                                     |
| 1.         | Agriculture & Animal Husbandry  |   |                                     |
|            | a) Floriculture, Horticulture, Apiculture and Cultivation of Vegetables & Mushrooms under controlled conditions;  | 100%  | Automatic                           |
|            | b) Development and production of Seeds and planting material;   |   |                                     |
|            | c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisciculture, Aquaculture, under controlled conditions; and   |   |                                     |
|            | d) services related to agro and allied sectors  |   |                                     |
|            | Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity   |   |                                     |
| 1.1        | Other Conditions :  |   |                                     |
|            | I. For companies dealing with development of following conditions apply:  |   |                                     |
|            | (i) When dealing with genetically modified seeds shall comply with safety requirements in accordant Environment (Protection) Act on the genetically modified. | ice with laws en  | rial the company<br>acted under the |
|            | (ii) Any import of genetically modified material the conditions laid down vide Notifications issued u and Regulation) Act, 1992.                              | ils if required sh<br>nder Forei <b>g</b> n Tr <b>a</b> c | all be subject to<br>le (Developmen |
|            | (iii) The company shall comply with any other La genetically modified material in force from time to time   |   | Policy governing                    |
|            | (iv) Undertaking of business activities invo  | lving the use   | of genetically                      |

| Si.<br>No. | Sector / Activity % of Entry Route Cap/Equity  |
|------------|--|
|            | engineered cells and material shall be subject to the receipt of approvals from Genetic Engineering Approval Committee (GEAC) and Review Committee on Genetic Manipulation (RCGM).   |
|            | (v) Import of materials shall be in accordance with National Seeds Policy.  II. The term 'under controlled conditions' covers the following:   |
|            | Cultivation under controlled conditions' for the categories of Floriculture, Horticulture, Cultivation of vegetables and Mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro- climatic conditions are regulated anthropogenically.   |
|            | ☐ In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under controlled Conditions' covers —  |
|            | o Rearing of animals under intensive farming systems with stall- feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems.  |
|            | e Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc.  |
|            | in the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers –  |
|            | o Aquariums  |
|            | o Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control.  |
|            | ☐ In the case of apiculture, scope of the term "under controlled conditions" covers –  |
|            | o Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons.  |
| 2          | Tea Plantation   |
| 2.1        | Tea sector including tea plantations 100% Government   |
|            | Note: Sesides the above, FDI is not allowed in any other plantation sector/activity  |
| 2.2        | Other Conditions:  |
|            | (i) Compulsory divestment of 26% equity of the company in favour of an Indian partner/Indian public within a period of 5 years   |
|            | (ii) Prior approval of the State Government concerned in case of any future land   |
|            | The same of the sa |

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of Cap/Equity  | Entry Route   |
|------------|---|--|---|
|            | use change.   |  | ·   |
| 3          | MINING  |  |   |
| 3.1        | Mining and Exploration of metal and non metal ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation)   | 100%   | Automatic   |
| 2.2        | Act, 1957.  |  |   |
| 3.2        | Coal and Lignite  |  |   |
|            | (1) Coal & Lignite mining for captive consumption<br>by power projects, iron & steel and cement units<br>and other eligible activities permitted under<br>and <b>subject to</b> the provisions of Coal Mines<br>(Nationalization) Act, 1973   | 100%   | Automatic   |
|            | (2) Setting up coal processing plants like washeries, subject to the condition that the company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall  | 100%   | Automatic   |
|            | supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing.  |  |   |
| 3.3        | Mining and mineral separation of titanium beari addition and integrated activities  | ng minerals and  | ores, its value   |
| 3.3.1      | Mining and mineral separation of titanism bearing minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation Act 1957)  | 100%   | Government  |
| 2 2 2      | Other and the   | •  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |
| 3.3.2      | Other conditions:  India has large reserves of beach sand minerals in country. Titanium bearing minerals viz. Ilmen Zirconium bearing minerals including zircon are so which have been classified as prescribed substant 1962.  | ite, rutile and lome of the beach  | eucoxene, and sand minerals   |
|            | Under the Industrial Policy Statement 1991, min classified as prescribed substances' and specified Energy (Control of Production and Use) Order, of industries reserved for the public sector. PSU/1422 dated 6 <sup>th</sup> October 1998 issued by the laying down the policy for exploitation of beach sa including Foreign Direct Investment (FDI), was perm Titanium ores (Ilmenite, Rutile and Leucoxene) and Z | in the Schedule 1953 were includ Vide Resolution e Department of and minerals, priva | to the Atomic<br>led in the list<br>No. 8/1(1)/97-<br>Atomic Energy<br>ate participation<br>d production of |
|            | Vide Notification No. S.O.61(E) dated 18.1.200  | 6, the Departme  | ent of Atomic   |

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of<br>Cap/Equity  | Entry Route                         |
|------------|---|---|-------------------------------------|
|            | Energy re-notified the list of prescribed substance Act 1962. Titanium bearing ores and concentration and Zirconium, its alloys and compincluding Zircon, were removed from the list of prescribed and the list of prescribed including.  | ances' under the<br>entrates (Ilmenite<br>ounds and miner     | e, Rutile and<br>als/concentrates   |
|            | (i) FDI for separation of titanium bearing mineral following additional conditions viz.: <ul> <li>(A) value addition facilities are set up within India</li> <li>(B) disposal of tallings during the mineral se accordance with regulations framed by the Atom as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2 Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987.</li> </ul> | along with transformation shall be<br>blo Energy Regula       | er of technology;<br>carried out in |
|            | (ii) FDI will not be allowed in mining of 'pres<br>Notification No. S.O. 61(E) dated 18.1.2006 issue<br>Energy.   | coribed substance<br>ed by the Depart                         | es listed in the<br>ment of Atomic  |
|            | Clarification: (1) For titanium bearing ores such as manufacture of titanium dioxide pigment and titalided addition. Ilmenite can be processed to produce 'Sylan intermediate value added product.  | anium sponde d  | onstitutes value                    |
|            | (2) The objective is to ensure that the raw material for setting up downstream industries and the technology made available for setting up such industries we technology transfer, the objective of the FDI Policy prescribed at (i) (A) above shall be deemed to be full   | nology available i<br>ithin the country.<br>- can be achieved | nternationally is Thus if with the  |
| 4          | Petroleum & Natural Gas   |   |                                     |
| 4.1        | Exploration activities of oil and natural gas fields, infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas, pipelines, LNG  | 100%  | Automatic                           |
|            | Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector  | •   |                                     |
| 1.0        | and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies   |   |                                     |
| 4.2        | Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSU), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.  | 49%   | Government                          |
| ·          | MANUFACTURING   |   |                                     |
| 5          | Manufacture of items reserved for production in Micro and Small Enterprises (MSEs)  |   |                                     |
| 5.1        | FDI in MSEs [as defined under Micro. Small And M<br>Act, 2006 (MSMED, Act 2006)] will be subject to<br>and other relevant sectoral regulations. Any indus   | the sectoral can  | c Ontry routes                      |

| SI.<br>No. | Sector / Activity % of Entry Route Say /Squify:  |
|------------|--|
|            | Micro or Small Scale Enterprise, but manufactures items reserved for the MSE sector would require Government route where foreign investment is more than 24% in the capital. Such an undertaking would also require an Industrial License under the Industries (Development & Regulation) Act 1951, for such manufacture. The issue of Industrial License is subject to a few general conditions and the specific condition that the Industrial Undertaking shall undertake to export a minimum of 50% of the new or additional annual production of the MSE reserved items to be achieved within a maximum period of three years. The export obligation would be applicable from the date of commencement of commercial production and in accordance with the provisions of section 11 of the Industries (Development & Regulation) Act 1951. |
| 6.1        | DEFENCE  Defence Industry subject to Industrial license 26% Government under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951   |
| 6.2        | Other conditions:  (i) Licence applications will be considered and licences given by the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, in consultation with Ministry of Defence.   |
|            | (ii) The applicant should be an Indian company / partnership fore.   |
|            | (iii)The management of the applicant company / partnership should be in Indian hands with majority representation on the Board as well as the Chief Executives of the company / partnership firm being resident Indians.   |
|            | (iv) Full particulars of the Directors and the Chief Executives should be furnished along with the applications.   |
|            | (v) The Government reserves the right to verify the antecedents of the foreign collaborators and domestic promoters including their financial standing and credentials in the world market. Preference would be given to original equipment manufacturers or design establishments, and companies having a good track record of past supplies to Armed Forces, Space and Atomic energy sections and having an established R & D base.  |
|            | (vi) There would be no minimum capitalization for the FDI. A proper assessment, however, needs to be done by the management of the applicant company depending upon the product and the technology. The licensing authority would satisfy itself about the adequacy of the net worth of the non-resident investor taking into account the category of weapons and equipment that are proposed to be manufactured.  |
| ,          | (vii) There would be a three-year lock-in period for transfer of equity from one non-resident investor to another non-resident investor (including NRIs & erstwhile OCBs with 60% or more NRI stake) and such transfer would be subject to prior approval of the Government.   |
|            | (viii) The Ministry of Defence is not in a position to give purchase guarantee for products to be manufactured. However, the planned acquisition programme for such equipment and overall requirements would be made available to the extent possible.   |

| SI.    | Sector / Activity   | % of                                     | Enta-Da-4                          |  |  |  |  |  |  |
|--------|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| No.    |   | Cap/Equity                               |                                    |  |  |  |  |  |  |
|        | (ix)The capacity norms for production will be provided application as well as the recommendations of look into existing capacities of similar and allied productions.   | led in the licence                       | based on the fence, which will     |  |  |  |  |  |  |
|        | (x) Import of equipment for pre-production activity including development of prototype by the applicant company would be permitted.   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|        | (xi) Adequate safety and security procedures would licensee once the licence is granted and production subject to verification by authorized Government a   | commences Th                             | in place by the<br>lese would be   |  |  |  |  |  |  |
|        | (xii) The standards and testing procedures for equipment to be produced under from foreign collaborators or from indigenous R & D will have to be provided licensee to the Government nominated quality assurance agency under app confidentiality clause. The nominated quality assurance agency would insp finished product and would conduct surveillance and audit of the Assurance Procedures of the licensee. Self-certification would be permitted Ministry of Defence on case to case basis, which may involve either individual it group of items manufactured by the licensee. Such permission would be for period and subject to renewals.   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|        | (xiii) Purchase preference and price preference ma organizations as per guidelines of the Department of F   | y be given to the<br>Public Enterprises. | e Public Sector                    |  |  |  |  |  |  |
|        | (xiv) Arms and ammunition produced by the private manufacturers will be primarily sold to the Ministry of Defence. These items may also be sold to other Government entities under the control of the Ministry of Home Affairs and State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. No such item should be sold within the country to any other person or entity. The export of manufactured items would be subject to policy and guidelines as applicable to Ordnance Factories and Defence Public Sector Undertakings. Non-lethal items would be permitted for sale to persons / entities other than the Central of State Governments with the prior approval of the Ministry of Defence. Licensee would also need to institute a verifiable system of removal of all goods out of their factories. Violation of these provisions may lead to cancellation of the licence. |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
|        | (xv) Government decision on applications to FIPB for F be normally communicated within a time frame of acknowledgement.   | DI in defence inde<br>f 10 weeks fron    | ustry sector will<br>n the date of |  |  |  |  |  |  |
| SERVIC | ES SECTOR   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |                                    |  |  |  |  |  |  |
| INFORM | MATION SERVICES   |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| 71     | Broadcasting  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| 7.1    | Broadcasting Carriage Services  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |
| ľ      | (1) Teleports (setting up of up-linking HUBs/ Teleports);   | 74%                                      | Automatic up to 49%                |  |  |  |  |  |  |
|        | (2) Direct to Home (DTH); (3) Cable Networks (Multi System operators (MSOs) operating at National or State or District  |  | Government                         |  |  |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> With effect from 20th day of September 2012

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | % of Cap/Equity   | Entry Route   |  |
|------------|--|---|---|--|
|            | level and undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability); (4) Mobile TV; (5)Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)   |   | beyond 49%<br>and up to<br>74%                        |  |
| 7.1.2      | Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs).   | 49%   | Automatic   |  |
| 7.2        | Broadcasting Content Services  |   |   |  |
| 7.2.1      | Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio), subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.  | 26%   | Government  |  |
| 7.2.2      | Up-linking of 'News & Current Affairs' TV Channels   | 26%   | Government  |  |
| 7.2.3      | Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV Channels / Down-linking of TV Channels  |   | Government  |  |
| 7.3        | FDI for Up-linking/Down-linking TV Channels will be relevant Up-linking/Down-linking Policy notified be Broadcasting from time to time.  | y the Ministry o  | f Information &                                       |  |
| 7.4        | Foreign investment (FI) in companies engaged in a subject to relevant regulations and such terms and from time to time, by the Ministry of Information and E   | l conditions, as m  | services will be<br>nay be specified                  |  |
| 7.5        | The foreign investment (FI) limit in companies eng shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Currency Converged in the companies of the companie | The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the aforestated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), American Depository Receipts (ADRs), Global Depository Receipts (GDRs) and convertible |   |  |
| 7.6        | Foreign investment in the aforestated broadcasting of the following security conditions/terms:  Mandatory Requirement for Key Executives of the (i) The majority of Directors on the Board of the Com-   | e Company   |   |  |
| , <b>*</b> | (ii) The Chief Executive Officer (CEO), Chief Office operations and Chief Security Officer should be resident  | er In-charge of te  | chnical network                                       |  |
| ·          | Security Clearance of Personnel  (iii) The Company, all Directors on the Board of Dire Managing Director / Chief Executive Officer, Chie Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO shareholders who individually hold 10% or more pa any other category, as may be specified by the Broadcasting from time to time, shall require to be se  | ef Financial Office  O), Chief Operating  aid-up capital in the  the Ministry of I  | er (CFO), Chief<br>g Officer (COO),<br>le company and |  |
|            | In case of the appointment of Directors on the Boa executives like Managing Director / Chief Executiv (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technic Officer (COO), etc., as may be specified by Broadcasting from time to time, prior permission of   | re Officer, Chief I<br>al Officer (CTO),<br>the Ministry of I   | Financial Officer Chief Operating Information and     |  |

| 31. | Sector / Activity | %          | Of | Entry Route |
|-----|-------------------|------------|----|-------------|
| No. | _                 | Cap/Equity |    |             |

Broadcasting shall have to be obtained.

It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.

(iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more that 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.

## Permission vis-a-vis Security Clearance

- (v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith.
- (vi) in the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel is denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.

## Infrastructure/Network/Software related requirement

- (vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services will be resident Indian citizens.
- (viii) Details of infrastructure/network diagram (technical details of the network) could be provided, on a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and the affiliate of the licensee company. Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else.
- (ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside india unless permitted by relevant Law.
- (x) The Company must provide traceable identity of their subscribers.

## Monitoring, Inspection and Submission of Information

- (xi) The Company should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government.
- (xii) The company, at its own costs, shall, on demand by the government or its authorized representative, provide the necessary equipment, services and facilities at designated place(s) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative.
- (xiii) The Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities. No prior

| SI.<br>No. | Sector / Activity % of Entry Route Cap/Equity   |
|------------|---|
|            | permission/intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection. The company will, if required by the Government or its authorized representative, provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations. Continuous monitoring, however, will be confined only to security related aspects, including screening of objectionable content.   |
|            | (xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.   |
|            | (xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required, from time to time.   |
|            | (xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative, such reports, accounts, estimates, returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required.   |
|            | (xvii) The service providers should familiarize/train designated officials of the government or officials of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevant operations/features of their systems.  |
|            | National Security Conditions  |
|            | (xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission holder/Licensee in public interest or for national security for such period or periods as it may direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such permission, in future, for a period or five years. |
|            | (xix) The company shall not import or utilize any equipment, which are identified as unlawful and/or render network security vulnerable.  |
|            | Other conditions  |
|            | (xx) Licensor reserves the right to modify these conditions or incorporate new conditions considered necessary in the interest of national security and public interest or for proper provision of broadcasting services.   |
| 8          | (xxi) Licensee will ensure that broadcasting service installation carried out by it should not become a safety hazard and is not in contravention of any statute, rule or regulation and public policy.  Print Media  |
| 8.1        | Publishing of Newspaper and periodicals dealing 26% (FDI and Government   |
|            | with news and current affairs investment by   |

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | % of                                   | Entry Route       |
|------------|--|--|-------------------|
| 140.       |  | Cap/Equity                             |                   |
| 8.2        | Publication of Indian editions of foreign magazines  | NRIs/PIOs/FII)                         | Courses           |
|            | dealing with news and current affairs  | 26% (FDI and investment                | Government        |
|            | and dancing and sanding  | NRIs/PIOs/FII)                         | ·                 |
| 8.2.1      | Other Conditions:  | NINIS/FIUS/FII)                        |                   |
|            | (i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines  | will be defined                        | as a periodical   |
|            | publication, brought out on non-daily basis, conta   | ining public news                      | os a periodical   |
|            | public news.   | g pasilo nono                          | or comments on    |
|            |  | •                                      | **                |
|            | (ii) Foreign investment would also be subject to   | the Guidelines f                       | or Publication of |
|            | Indian editions of foreign magazines dealing with nev  | ws and current                         | affairs issued    |
| 0.0        | by the Ministry of Information & Broadcasting or   |  |                   |
| 8.3        | Publishing / printing of Scientific and Technical  | 100%                                   | Government        |
|            | Magazines / specialty journals / periodicals,  |  | •                 |
|            | subject to compliance with the legal framework as  | ,                                      |                   |
|            | applicable and guidelines issued in this regard  |  |                   |
|            | from time to time by Ministry of Information and Broadcasting.   |  |                   |
| 8.4        | Publication of facsimile edition of foreign  | 100%                                   | 0                 |
| -          | newspapers   | 100%                                   | Government        |
| 8.4.1      | Other Conditions:  | <u>-</u>                               |                   |
|            | (i) FDI should be made by the owner of the original additional and the original additional and the original additional and the original additional and the original additional a | inal foreign new                       | enaners whose     |
|            | facsimile edition is proposed to be brought out in India   | iniai foreigh he                       | spapers wildse    |
|            |  |  |                   |
|            | (ii) Publication of facsimile edition of foreign news  | spapers can be :                       | andertaken only أ |
|            | by an entity incorporated or registered in India under   | the provisions of                      | the Companies     |
|            | Act, 1956.   |  | ·                 |
|            | (iii) Dublication of familial and  | •                                      |                   |
| į          | (iii) Publication of facsimile edition of foreign newspa   | per would also be                      | subject to the    |
|            | Guidelines for publication of newspapers and perio   | dicals dealing with                    | th news and       |
|            | current affairs and publication of facsimile edition of Ministry of Information & Broadcasting on 31.3.2006, a   | orreign newspa                         | persussued by     |
| 9          | Civil Aviation   | s amenued from t                       | ime to time.      |
| 9.1        | The Civil Aviation sector includes Airports, Schedule  | d and Non-Sche                         | duled domestic    |
|            | passenger airlines, Helicopter services / Seaplane services  | vices Ground Har                       | dling Services    |
|            | Maintenance and Repair organizations; Flying t   | raining institutes                     | and Technical     |
|            | training institutions.   | 9                                      | arra rosminoar    |
| į          | ·  |  |                   |
|            | For the purposes of the Civil Aviation sector:   |  |                   |
|            | TO A Contract of the Contract  |  | . [               |
|            | (i) Airport means a landing and taking off area for  | or aircrafts, usuall                   | y with runways    |
| Í          | and aircraft maintenance and passenger facilities and i  | ncludes aerodrom                       | ie as defined in  |
| 1          | clause (2) of section 2 of the Aircraft Act, 1934;   |  |                   |
| 1          | (ii) "Aerodrome" means any definite or limited   | around as well                         |                   |
|            | to be used, either wholly or in part, for the landing or d   | ground of water<br>aparture of aircent | area intended     |
|            | all buildings, sheds, vessels, piers and other structures  | thereon or northin                     | t, and includes   |
| Ì          | o  | mercon or pertain                      | mig mereto;       |
| İ          | (iii)"Air transport service" means a service for the   | e transport by a                       | air of persons    |
| 1          | mode on any other this   | The second of the                      | *** OF POISONS,   |
|            | mails or any other thing, animate or inanimate, whatsoever, whether such service consists of a sin   | for any kind of                        | remuneration      |

| No. | Sector / Activity  | % of<br>Cap/Equity   | Entry Route  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     | (iv)"Air Transport Undertaking" means an undertak<br>carriage by air of passengers or cargo for hire or rewa   |  | ness includes the  |  |
|     | (v) "Aircraft component" means any part, the so<br>of which, when fitted to an aircraft, is essential<br>safety of the aircraft and includes any item of equipme   | to the continued   | orrect functioning<br>I airworthiness or   |  |
|     | (vi)"Helicopter" means a heavier-than -air aircraft sur<br>the air on one or more power driven rotors on substar   | oported in flight by<br>ntially vertical axis  | y the reactions of   |  |
|     | (vii) "Scheduled air transport service" means an air transport service undertal between the same two or more places and operated according to a published ti table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systems series, each flight being open to use by members of the public;            |  |  |  |
|     | (viii) "Non-Scheduled Air Transport service" me<br>scheduled air transport service and will include C<br>would mean such airlines which meet the conditio<br>Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;  | argo airlines; (ix<br>ns as given in t   | )"Cargo airlines"  |  |
|     | (x) "Seaplane" means an aeropiane capable normal solely on water;  | lly of taking off fr   | om and alighting   |  |
|     |  |  |  |  |
|     | (xi) "Ground Handling" means (i) ramp handling, (ii) to include the activities as specified by the Ministria Aeronautical Information Circulars from time to the specified by the Central Government to be a part handling.  | ry of Civil Aviat<br>me, and (iii) a   | ion through the ny other activity  |  |
| 9.2 | include the activities as specified by the Ministr<br>Aeronautical Information Circulars from time to til<br>specified by the Central Government to be a part<br>handling.   | ry of Civil Aviat<br>me, and (iii) a   | ion through the ny other activity  |  |
| 9.2 | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports   | ry of Civil Aviat<br>me, and (iii) a   | ion through the ny other activity  |  |
| 9.2 | include the activities as specified by the Ministr<br>Aeronautical Information Circulars from time to til<br>specified by the Central Government to be a part<br>handling.   | y of Civil Aviat<br>me, and (iii) a<br>of eith <b>e</b> r ramp h   | ion through the<br>ny other activity<br>andling or traffic   |  |
| 9.2 | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports  (a) Greenfield projects  | ry of Civil Aviat<br>me, and (iii) a<br>of either ramp h   | ion through the ny other activity andling or traffic  Automatic  Automatic   |  |
| 9.2 | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports  (a) Greenfield projects  (b) Existing projects   | ry of Civil Aviat<br>me, and (iii) a<br>of either ramp h   | Automatic upto 74% Government route beyond   |  |
|     | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports  (a) Greenfield projects  | y of Civil Aviat<br>me, and (iii) ar<br>of either ramp h   | Automatic upto 74% Government route beyond   |  |
|     | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports  (a) Greenfield projects  (b) Existing projects  Air Transport Services  (1) Scheduled Air Transport Service / Domestic                             | y of Civil Aviatme, and (iii) are of either ramp hand (iii) are of | Automatic upto 74%  Government route beyond 74%  Automatic upto 74%  Automatic upto 49%  |  |
|     | include the activities as specified by the Ministr Aeronautical Information Circulars from time to till specified by the Central Government to be a part handling.  Airports  (a) Greenfield projects  (b) Existing projects  Air Transport Services  (1) Scheduled Air Transport Service / Domestic Scheduled Passenger Airline | y of Civil Aviatme, and (iii) are of either ramp hand (iii) are 100% 100% 100% for NRIs) 74% FDI   | Automatic upto 74%  Government route beyond 74%  Automatic  Automatic  And Automatic  Automatic  Automatic  Automatic  Automatic  Automatic  Automatic |  |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> With effect from 20th day of September 2012

<sup>4132</sup> Gl/2012—15

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of Cap/Equity               | Entry Route             |  |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------|--|
| 110.       | DGCA approval   | Joaping                       |                         |  |
| 9.3.1      | Other Conditions  |                               |                         |  |
|            | (a) Air Transport Services would include Domestic Services, helicopter and sea  | -                             | ger Airlines; Non-      |  |
|            | (b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies oper Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry rementioned above.  |                               |                         |  |
|            | (c) Foreign airlines are also, henceforth, allowed to invest, in the capital of India companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to th limit of 49% of their paid-up capital. Such investment would be subject to the followin conditions:                   |                               |                         |  |
|            | (i) It would be made under the Government appro   | val route                     |                         |  |
|            | (ii) The 49% limit will subsume FDI and FII investi   | ment.                         |                         |  |
|            | (iii) The investments so made would need to comply with the relevant regulations of SEBI, such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/ Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations. |                               |                         |  |
|            | (iv) A Scheduled Operator's Permit can be grante  | d only to a compa             | iny:                    |  |
| ,          | a) that is registered and has its principal place<br>b) the Chairman and at least two-thirds of the<br>India; and<br>c) the substantial ownership and effective co<br>nationals.  | e Directors of whi            | ch are citizens of      |  |
|            | (v) All foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and nor scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment; and   |                               |                         |  |
|            | (vi) All technical equipment that might be importe investment shall require clearance from the relevan Aviation.  |                               |                         |  |
|            | Note: The FDI limits/entry routes, mentioned at paragapplicable in the situation where there is no investme   |                               |                         |  |
|            | (d) The policy mentioned at (c) above is not applicable   | e to M/s Air India            | Limited.                |  |
| 9.4        | Other services under Civil Aviation sector  | <del></del>                   | · ·<br>·                |  |
|            | (1) Ground Handling Services subject to sectoral regulations and security clearance   | 74% FDI<br>(100% for<br>NRIs) | Automatic<br>upto 49%   |  |
|            |   |                               | Government route beyond |  |

| (2) Maintenance and Repair organizations; flying training institutes; and technical training institutions  | 100%  | 49% and up<br>to 74%<br>Automatic   |
|--|---|---|
|  | 100%  | Automatic   |
|  |   | Automatic   |
| Courier services for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters.   | 100%  | Government  |
| Construction Development: Townships, Housing,  | Built-up infrastr   | ucture  |
| Townships, housing, built-up infrastructure and construction-development projects (which would include, but not be restricted to, housing, commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure) | 100%  | Automatic   |
|  | and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters.  Construction Development: Townships, Housing, Townships, housing, built-up infrastructure and construction-development projects (which would include, but not be restricted to, housing, commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city | and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898 and excluding the activity relating to the distribution of letters.  Construction Development: Townships, Housing, Built-up infrastructure and construction-development projects (which would include, but not be restricted to, housing, commercial premises, hotels, resorts, hospitals, educational institutions, recreational facilities, city |

- investment will be subject to the following conditions: 11.2
  - (1) Minimum area to be developed under each project would be as under:
    - (i) In case of development of serviced housing plots, a minimum land area of 10
    - (ii) In case of construction-development projects, a minimum built-up area of 50,000
    - (iii) In case of a combination project, any one of the above two conditions would suffice
  - (2) Minimum capitalization of US\$10 million for wholly owned subsidiaries and US\$ 5 million for joint ventures with Indian partners. The funds would have to be brought in within six months of commencement of business of the Company.
  - (3) Original investment cannot be repatriated before a period of three years from completion of minimum capitalization. Original investment means the entire amount brought in as FDI. The lock-in period of three years will be applied from the date of receipt of each installment/tranche of FDI or from the date of completion of minimum capitalization, whichever is later. However, the investor may be permitted to exit earlier with prior approval of the Government through the FIPB.
  - (4) At least 50% of each such project must be developed within a period of five years from the date of obtaining all statutory clearances. The investor/investee company would not be permitted to sell undeveloped plots. For the purpose of these guidelines, 'undeveloped plots' will mean where roads, water supply, street lighting, drainage, sewerage, and other conveniences, as applicable under prescribed regulations, have not been made available. It will be necessary that the investor provides this infrastructure and obtains the completion certificate from the concerned local body/service agency before he would be allowed to dispose of serviced housing plots.
  - (5) The project shall conform to the norms and standards, including land use

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of Cap/Equity  | Entry Route   |
|------------|---|--|---|
|            | requirements and provision of community amenitie down in the applicable building control regulations of the State Government/Municipal/Local  | s and common ons, bye-laws, r  |   |
|            | (6) The investor/investee company shall be respons approvals, including those of the building/layout peripheral areas and other infrastructure facilities, proceedings and complying prescribed under applicable rules/bye-laws/regulated Municipal/Local Body concerned.   | plans, developi<br>payment of developi<br>with all other i                       | ng internal and opment, external requirements as                            |
|            | (7) The State Government/ Municipal/ Local Body concerned, which approves the building / development plans, would monitor compliance of the above conditions by the developer.  |  |   |
|            | Note:   |  |   |
|            | <ul> <li>(i) The conditions at (1) to (4) above would not app Special Economic Zones (SEZs), Education Sector, (NRIs.</li> <li>(ii) FDI is not allowed in Real Estate Business.</li> </ul>  | ly to Hotels & To<br>Old age Homes ar  | urism, Hospitals,<br>nd investment by                                       |
| 12         | Industrial Parks – new and existing   | 100%   | Automatic   |
| 12.1       | (i) "Industrial Park" is a project in which quality infr<br>developed land or built up space or a combination wit<br>and made available to all the allottee units for the pur   | th common_faciliti   | form of plots of ies, is developed  |
|            | (ii) "Infrastructure" refers to facilities required for fi<br>Industrial Park and includes roads (including appro<br>sewerage, common effluent treatment facility, t<br>distribution of power, air conditioning.  | ach roads), wat  | er supply and   |
|            | (iii) "Common Facilities" refer to the facilities available industrial park, and include facilities of power, roads supply and sewerage, common effluent treatment, cair conditioning, common facility buildings, industrial halls, parking, travel desks, security service, other safety services, training facilities and such other of the units located in the Industrial Park. | (including approa<br>common testing, to<br>canteens, conve-<br>first aid center, | ch roads), water<br>elecom services,<br>ntion/conference<br>, ambulance and |
|            | (iv) "Allocable area" in the Industrial Park means-   |  |   |
|            | (a) in the case of plots of developed land- the ne<br>to the units, excluding the area for common facilit   | et site area availa<br>ies.  | ble for allocation  |
|            | (b) in the case of built up space- the floor are providing common facilities.   | a and built up sp  | pace utilized for   |
|            | (c) in the case of a combination of developed lan and floor area available for allocation to the built up space utilized for providing common facili  | units excluding th   | ace- the net site<br>e site area and  |

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of<br>Cap/Equity  | Entry Route   |
|------------|---|---|---|
|            | (v) "Industrial Activity" means manufacturing; electric and telecommunications; software publishing, comprocessing, database activities and distribution of related activities; basic and applied R&D on sciences/life sciences, natural sciences and engine consultancy activities; and architectural, engineering a | sultancy and<br>electronic content<br>bio-technology,<br>ering; business al   | supply; data<br>; other computer<br>pharmaceutical<br>nd management   |
| 12.2       | FDI in Industrial Parks would not be subject to construction development projects etc. spelt out industrial Parks meet with the under-mentioned conditions.   | n para 11 abov  | s applicable for<br>e, provided the   |
|            | (i) it would comprise of a minimum of 10 units and no 50% of the allocable area;  | single unit shall o   | ccupy more than   |
|            | (ii) the minimum percentage of the area to be all not be less than 66% of the total allocable area.   | located for indus   | trial activity shall  |
| 13         | Satellites – Establishment and operation  |   |   |
| 13.1       | Satellites – Establishment and operation, subject to the sectoral guidelines of Department of Space / ISRO  | 74%   | Government  |
| 14         | Private Security Agencies   | 49 %  | Government  |
|            | Investment caps and other conditions for speci<br>However, licensing and security requirements<br>Telecommunications will need to be complied with for  | notified by the all services.   | Department of   |
| 15.1       | (i) Telecom services  | 74%   | Automatic<br>upto 49%   |
|            |   |   | Government  |
|            |   |   | route beyond<br>49% and<br>upto 74%   |
| 15.1.1     | Other conditions  |   |   |
| 15.1.1     | (1) General Conditions:  (i) This is applicable in case of Basic, Cellular, U International Long Distance, V-Sat, Public Mobile R Global Mobile Personal Communications Services Services.  | adio Trunked Ser<br>(GMPCS) and oth   | 49% and upto 74%  rvices, National/rvices (PMRTS), her value added  |
| 15.1.1     | <ul> <li>(1) General Conditions:</li> <li>(i) This is applicable in case of Basic, Cellular, U<br/>International Long Distance, V-Sat, Public Mobile R<br/>Global Mobile Personal Communications Services</li> </ul>  | adio Trunked Ser<br>(GMPCS) and oth<br>censee company<br>nall include investi<br>RIs), Foreign<br>eccipts (ADRs), G<br>held by foreign en | 49% and upto 74%  rvices, National/rvices (PMRTS), ner value added shall be counted ment by Foreign Currency lobal Depository |

| SI.<br>No.       | 1   | % o  | of Entry Route   |
|------------------|---|--|--|
|                  |   | al of the F<br>verall ceiling<br>all take note t               |  |
|                  | (iv) The investment approval by FIPB shall envisage would adhere to licence Agreement.  | the conditiona   | ality that Company   |
|                  | (v) FDI shall be subject to laws of India and country/countries.  | not the law  | s of the foreign   |
|                  | (2) Security Conditions:  |  |  |
|                  | (i) The Chief Officer In-charge of technical network op<br>Officer should be a resident Indian citizen.   | perations and  | the Chief Security   |
|                  | (ii) Details of infrastructure/network diagram (technical be provided on a need basis only to telecom equipment the affiliate / parents of the licensee company. Clear (Department of Telecommunications) would be required provided to anybody else.               | ent suppliers/r<br>arance from th                              | manufacturers and<br>ne licensor                               |
|                  | (iii)For security reasons, domestic traffic of such specified by the licensor shall not be hauled/routed to a   |  |  |
|                  | (iv)The licensee company shall take adequate and till the information transacted through a network by protected.  | mely measure<br>the subscrib                                   | es to ensure that<br>ers is secure and                         |
|                  | (v) The officers/officials of the licensee companies deali<br>messages will be resident Indian citizens.  | ng with the lav  | wful interception of   |
| •                | (vi)The majority Directors on the Board of the company  | shall be India   | n citizens.  |
|                  | (vii) The positions of the Chairman, Managing Director, and/or Chief Financial Officer (CFO), if held by security clearance by Ministry of Home Affairs (MHA required on yearly basis. In case something advers clearance, the direction of MHA shall be binding or | foreign natio <mark>n</mark><br>.). Security o<br>e is found d | als, would require<br>dearance shall be<br>luring the security |
|                  | (viii) The Company shall not transfer the following to any  | y person/place   | e outside India  |
|                  | (a) Any accounting information relating to subs<br>roaming/billing) (Note: it does not restrict as<br>financial nature); and  | scriber (excep<br>statutorily requ                             | t for international<br>uired disclosure of                     |
|                  | (b) User information (except pertaining to fo<br>Operator's network while roaming).   | reign subscr   | ibers using Indian   |
| ,<br>,<br>,<br>, | (ix)The Company must provide traceable identity of the  | eir subscribers  |  |
|                  | However, in case of providing service to roaming subsc  | riber of foreig  | n Companies, the   |

| SI. |   | % or Cap/Equity                              | Entry Route                               |
|-----|---|--|---|
| No. | Indian Company shall endeavour to obtain traceable from the foreign company as a part of its roaming agree  | identity of roa                              | ming subscribers                          |
|     | (x) On request of the licensor or any other agency telecom service provider should be able to provide subscriber (BTS location) at a given point of time.   | y authorised b<br>the geographic             | y the licensor, the<br>al location of any |
|     | (xi) The Remote Access (RA) to Network would location(s) abroad through approved location(s) in In would be given by the Licensor (DOT) in consultation v   | idia. The appro                              | val for location(s)                       |
|     | (xii) Under no circumstances, should any RA to the affiliate(s) be enabled to access Lawful Interception S Monitoring(LIM), Call contents of the traffic and any the licensor may notify from time to time. | System(LIS), La                              | awful Interception                        |
|     | (xiii) The licensee company is not allowed to use remof content.  | note access fac                              | ility for monitoring                      |
|     | (xiv) Suitable technical device should be made a designated security agency /licensor in which a mirr information is available on line for monitoring purposes  | or image of the                              | dian end to the e remote access           |
|     | (xv) Complete audit trail of the remote access accoperated in India should be maintained for a period request to the licensor or any other agency authorised  | of six months                                | and provided on                           |
|     | (xvi) The telecom service providers should er (hardware/software) is available in their equipment and monitoring from a centralized location.   | nsure that ne<br>for d <b>o</b> ing the L    | ecessary provision<br>awful interception  |
|     | (xvii)The telecom service providers should famili Monitoring (VTM)/security agency officers / officials / features of their systems.  | iarize / train V<br>in respect <b>o</b> f re | igilance Technical<br>elevant operations  |
|     | (xviii) It shall be open to the licensor to restrict the Lice any sensitive area from the National Security angle.  | ensee Company                                | from operating in                         |
| ·   | (xix) In order to maintain the privacy of voice and da authorisation by the Union Home Secretary or Home Territories.   | ta, monitoring s<br>e Secretaries of         | thall only be upon<br>the States/Union    |
|     | (xx) For monitoring traffic, the licensee company sha and other facilities as well as to books of accounts to t   | ıll provide acces<br>he security age         | ss of their network<br>ncies.             |
|     | (xxi) The aforesaid Security Conditions shall be companies operating telecom services covered unde level of FDI.  | applicable to<br>er this circular            | all the licensee<br>rrespective of the    |
|     | (xxii) Other Service Providers (OSPs), providin Business Process Outsourcing (BPO), tele-marketin registered with DoT as OSP. Such OSPs operate to  | ig, tele-educati                             | on, etc, and are                          |

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | Cap/Equity                               | Entry Route               |  |
|------------|---|--|---------------------------|--|
|            | infrastructure provided by licensed telecom serv                                  |  |                           |  |
|            | permitted for OSPs. As the security conditions                                    | are applicable                           | to all licensed           |  |
|            | telecom service providers, the security conditions                                | mentioned abo                            | ve shall n <b>o</b> t be  |  |
|            | separately enforced on OSPs.  | •  |                           |  |
|            | (3) The above General Conditions and Security                                     | Conditions shall al                      | so be applicable          |  |
|            | to the companies operating telecom service(s) with the                            | ne FDI cap of                            |                           |  |
|            | 49%.  | •  |                           |  |
|            |   |  |                           |  |
|            | (4) All the telecom service providers shall sut                                   |  |                           |  |
|            | aforesaid conditions to the licensor on 1st day of July                           |  |                           |  |
| 15.2       | (a) ISP with gateways   | 74%                                      | Automatic                 |  |
| -          | (A) 10 m  |  | upto 49%                  |  |
|            | (b) ISP's not providing gateways i.e. without gate-                               |  | _                         |  |
|            | ways (both for satellite and marine cables)                                       |  | Government                |  |
|            | Note: The new with the C.A. I Od 0007   |  | route beyond              |  |
|            | Note: The new guidelines of August 24, 2007                                       |  | 49% and                   |  |
|            | Department of Telecommunications provide for new ISP licenses with FDI up to 74%. |  | upto 74%                  |  |
|            | Thew for incenses with FDI up to 74%.   | i<br>I                                   | <br>                      |  |
|            | (c) Radio paging  | -  |                           |  |
| ļ          | (-)   | !<br>!                                   |                           |  |
| Ì          | (d) End-to-End bandwidth  |  |                           |  |
| 15.3       | (a) Infrastructure provider providing dark fibre.                                 | 100%                                     | Automatic                 |  |
|            | right of way, duct space, tower (IP Category I); (b)                              |  | upto 49%                  |  |
|            | Electronic Mail; (c) Voice Mail   |  |                           |  |
|            |   |  | Government                |  |
|            | Note: Investment in all the above activities is                                   |  | route beyond              |  |
|            | subject to the conditions that such companies                                     |  | 49%                       |  |
|            | will divest 26% of their equity in favour of                                      |  |                           |  |
|            | Indian public in 5 years, if these companies are                                  |  | -                         |  |
|            | listed in other parts of the world.   |  |                           |  |
| 16         | TRADING   |  |                           |  |
| 16.1       | (i) Cash & Carry Wholesale Trading / Wholesale                                    | 100%                                     | Automatic                 |  |
|            | Trading (including sourcing from MSEs)  | 10070                                    | Addition                  |  |
| 16.1.1     | Definition: Cash & Carry Wholesale trading/Wholes                                 | ale trading, would                       | d mean sale of            |  |
|            | goods/merchandise to retailers, industrial, com                                   | mercial, instituti                       | onal or other             |  |
|            | professional business users or to other wholes                                    | salers and relate                        | ed subordinated           |  |
|            | service providers. Wholesale trading would, accord-                               | ingly, be sales for                      | the purpose of            |  |
|            | trade, business and profession, as opposed to sa                                  | les for the purpo                        | ose of personal           |  |
|            | consumption. The yardstick to determine whether the                               | sale is wholesale                        | or not would be           |  |
|            | the type of customers to whom the sale is made and                                | not the size and v                       | olume of sales.           |  |
|            | Wholesale trading would include resale, processing.                               | and thereafter sa                        | le, bulk imp <b>o</b> rts |  |
|            | with ex-port/ex-bonded warehouse business sales and                               | d B2B e-Commerc                          | e.                        |  |
| 16.1.2     | Guidelines for Cook & Corry Mindonela Tandia An                                   | /holenala T                              | (AATT).                   |  |
| 10.1.2     | Guidelines for Cash & Carry Wholesale Trading/W                                   | rnolesale I rading                       | (AA Í.):                  |  |
|            | (a) For undertaking WT, requisite licenses / reg                                  | ietration / nesert                       | o on one office           |  |
|            | under the relevant Acts/Regulations / Rules / Or                                  | iou auon / - permit<br>dore of the State | S. as specified           |  |
| j          | Government Body / Government Authority/Local Se                                   | ucia di me ament. P                      | ody under that I          |  |
|            |   | "-OOACHILIGHT D                          | ouy under that            |  |

| SI.<br>No. | Sector / Activity   | % of Cap/Equity             | Entry Route     |
|------------|---|-----------------------------|-----------------|
| 140.       | State Government should be obtained.  | - apraguity                 | <u> </u>        |
|            |   |                             |                 |
|            | (b) Except in case of sales to Government, sales made by the wholesaler would be considered as 'cash & carry wholesale trading/wholesale trading' with valid business customers, only when WT are made to the following entities:   |                             |                 |
|            | (I) Entities holding sales tax / VAT registration /service tax /excise duty registration; or  |                             |                 |
|            | (II) Entities holding trade licenses i.e. a license/registration certificate/membership certificate/registration under Shops and Establishment Act, issued by a Government Authority/ Government Body/ Local Self-Government Authority, reflecting that the entity/person holding the license/ registration certificate/ membership certificate, as the case may be, is itself/ himself/herself engaged in a business involving commercial activity; or |                             |                 |
|            | (III) Entities holding permits/license etc. for unde<br>and similar license for hawkers) from Gover<br>Government Bodies; or  |                             |                 |
|            | (IV) Institutions having certificate of incorporation or registration as a society or registration as public trust for their self consumption.  |                             |                 |
|            | Note: An Entity, to whom WT is made, conditions.  | may fulfill any             | one of the 4    |
|            | (c) Full records indicating all the details of such sales registration/license/permit etc. number, amount of sal day to day basis.  |                             |                 |
|            | (d) WT of goods would be permitted among companions such WT to group companies taken together shoturnover of the wholesale venture  |                             |                 |
|            | (e) WT can be undertaken as per normal busine credit facilities subject to applicable regulations.  | ess practice, incl          | uding extending |
|            | (f) A Wholesale / Cash & carry trader cannot open redirectly.   | tail shops <b>to sell</b> t | o the consumer  |
| 16.2       | E-commerce activities   | 100%                        | Automatic       |
|            | E-commerce activities refer to the activity of buying a   | and selling by a co         | mpany through   |
|            | the e-commerce platform. Such companies wou Business (B2B) e-commerce and not in retail trading   |                             |                 |
|            | restrictions on FDI in domestic trading would be a  |                             |                 |
| 16.3       | Test marketing of such items for which a  | 100%                        | Government      |
|            | company has approval for manufacture, provided  |                             | ·               |
|            | such test marketing facility will be for a period of two years, and investment in setting up  |                             |                 |
|            | manufacturing facility commences simultaneously   |                             |                 |
| 4422.0     | 1/20.12 16  |                             | <del></del>     |

| SI.<br>No.        | Sector / Activity                   | % of<br>Cap/Equity              | Entry Route     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|                   | with test marketing.                |                                 |                 |
| 16.4 <sup>3</sup> | Single Brand product retail trading | 100%                            | Government      |
| 10.1              | Omgro Drawe process                 | 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 | ad at attractiv |

- (1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.
- (2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions:
  - (a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only.
  - (b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India.
  - (c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing.
  - (d) Only one non-resident entity, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake single brand product retail trading in the country, for the specific brand, through a legally tenable agreement, with the brand owner for undertaking single brand product retail trading in respect of specific brand for which approval is being sought. The onus for ensuring compliance with this condition shall rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition.
  - (e) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30% of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years; total value of the goods purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of FDI for the purpose of carrying out single-brand product retail trading.
  - (f) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible for companies with FDI, engaged in the activity of single brand retail trading.
- (3) Applications seeking permission of the Government for FDI in retail trade of 'Single Brand' products would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The application would specifically indicate the product product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> With effect from 20th day of September 2012

| SI.<br>No.        | Sector / Activity  | % of Cap/Equity   | Entry Route   |
|-------------------|--|---|---|
|                   | Any addition to the product/ product categories to b require a fresh approval of the Government.   |   | le Brand' would   |
|                   | (4) Applications would be processed in the Departme to determine whether the proposed investments satisbeing considered by the FIPB for Government approximately.  | sfies the notified g  |   |
| 16.5 <sup>4</sup> | Multi Brand Retail Trading   | 51%   | Government  |
|                   | FDI in multi brand retail trading, in all products, following conditions:  |   |   |
|                   | (i) Fresh agricultural produce, including fruits, vegeta poultry, fishery and meat products, may be unbrande   | ibles, flowers, graind.   | ns, pulses, fresh   |
|                   | (ii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by th 100 million.   | e foreign investor,   | would be US \$  |
|                   | (iii) At least 50% of total FDI brought in shall be in within three years of the first tranche of FDI, where 'k capital expenditure on all activities, excluding that on end infrastructure will include investment made to distribution, design improvement, quality control, particularly house, agriculture market produce infrastructure et rentals, if any, will not be counted for purposes of back  | pack-end infrastructure<br>front-end units; for<br>wards processing,<br>ackaging, logistics<br>ic Expenditure or  | cture' will include<br>r instance, back-<br>manufacturing,<br>storage, ware-<br>n land cost and                               |
|                   | (iv) At least 30% of the value of procurement of me purchased shall be sourced from Indian 'small industrian plant & machinery not exceeding US \$1.00 million at the time of installation, without providing for depretime, this valuation is exceeded, the industry shall not this purpose. This procurement requirement would have an average of five years' total value of the repurchased, beginning 1st April of the year during received. Thereafter, it would have to be met on an arrow of the purchased.   | ries' which have a This valuation refectation. Further, it tot qualify as a 'snave to be met, in the manufactured/procumbich the first tra  | total investment<br>fers to the value<br>f at any point in<br>nall industry for<br>ne first instance,<br>essed products       |
|                   | (v) Self-certification by the company, to ensure comnos. (ii), (iii) and (iv) above, which could be cross-Accordingly, the investors shall maintain accounts, du   | -checked, as and  | when required.  |
|                   | (vi) Retail sales outlets may be set up only in cities a lakh as per 2011 Census and may also cover a municipal/urban agglomeration limits of such cities; in conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the will be made for requisite facilities such as transport of the Union Territories not having cities with population of Census, retail sales outlets may be set up in the citil largest city and may also cover an area of 10 Hagglomeration limits of such cities. The locations of conforming areas, as per the Master/ Zonal Plans of the will be made for requisite facilities such as transport conforming areas. | en area of 10 km<br>retail locations will<br>he concerned citie<br>connectivity and pa<br>of more than 10 la<br>ies of their choice<br>kms around the i<br>such outlets will<br>the concerned citie | be restricted to s and provision or states which as per 2011, preferably the municipal/urban be restricted to s and provision |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> With effect from 20th day of September 2012

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | % of Cap/Equity                                  | Entry Route                  |
|------------|--|--|------------------------------|
|            | (vii) Government will have the first right to procureme  | ent of agricultural                              | products.                    |
| ٠          |  |  |                              |
|            | (viii) The above policy is an enabling policy only a Territories would be free to take their own decisions   | in regard to impl                                | ementation of the            |
|            | policy: Therefore, retail sales outlets may be set up  | o in those States                                | Alnion Territories           |
|            | which have agreed, or agree in future, to allow FD States / Union Territories which have conveyed their  | I in MBRT <b>unde</b><br>concurren <b>ce are</b> | r this policy. The as under: |
|            | 1. Andhra Pradesh  | •  |                              |
|            | 2. Assam   |  |                              |
|            | 3. Delhi<br>4. Harvana   |  |                              |
|            | 4. Haryana<br>5. Jammu & Kashmir   |  |                              |
|            | 6 Maharashtra  |  |                              |
|            | 7 Manipur  |  |                              |
|            | 8. Rajasthan   |  |                              |
|            | 9. Uttarkhand  |  |                              |
|            | 10. Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (U  | nion Territories)                                |                              |
|            | The States/Union Territories, which are willing to pe  |  | et of metail audice          |
|            | Misservine poster, welle convey their concurrence to   | the Government                                   | of India theoret             |
|            | I we proper the of industrial Policy & Promotion   | and additions                                    | umuld be made                |
|            | acceptantily   Inc. establishment of the retail sales  | outlets will be i                                | n compliance of              |
|            | angle-control laws/ recities   | ions, such as                                    | the Shops and                |
|            | Establishments Act etc.  | ,          | are arrept arre              |
|            | (bas Bas and a   |  |                              |
|            | (ix) Retail trading, in any form, by means of e-comme  | erce, would not be                               | permissible, for             |
|            | companies with FDI, engaged in the activity of multi b   | rand retail trading                              | <b>.</b>                     |
|            | (X) Availabians would be proceed in the D  |  |                              |
|            | (x) Applications would be processed in the Department to determine whether the processed invocations and the design of the processed in the Department of the determine whether the processed in the Department of the determine whether the processed in the Department of the determine whether the processed in the Department of the determine whether the processed in the Department of the Depa | nt of Industrial Pol                             | licy & Promotion,            |
|            | to determine whether the proposed investment satisf being considered by the FIPB for Government approv   | ies the notified g                               | uidelines, before            |
|            | and a serial solution by the firm billion Government approv  | al.  |                              |
| •          |  |  | -                            |
|            | FINANCIAL SERVICES   | <del></del>                                      | <del></del>                  |
|            |  |  |                              |
|            | Foreign investment in other financial services, other t  | han those indicat                                | ad balaw would               |
|            | require prior approval of the Government   | Transfer tribute in landar                       | GENERAL MORIO                |
| 7          | Asset Reconstruction Companies   |  |                              |
| 7.1        | 'Asset Reconstruction Company' (ARC) means a   | 49% of paid-                                     | Government                   |
|            | company registered with the Reserve Bank of  | up capital of                                    |                              |
|            | India under Section 3 of the Securitisation and  | ARC  |                              |
|            | Reconstruction of Financial Assets and   | •  |                              |
|            | Enforcement of Security Interest Act, 2002   |  |                              |
| 7.2        | (SARFAESI Act).  |  | ,                            |
| /·.Z       | Other conditions:  |  |                              |
|            | (i) Persons resident outside India, other than Foreign   | Institutional Inve                               | stors (FIIs), can            |
|            | The Capital of Asset Reconstruction Com-   | nanies (ARCs) ,                                  | paietarad with               |
|            | Reserve Bank only under the Government Route.  | Such invest                                      | ments have to                |
| * .        | be strictly in the nature of FDI. Investments by FIIs capital of ARCs.   | are not permitte                                 | ed in the equity             |
|            | - ab.(a) 01 VI / O2  |  |                              |

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | % of<br>Cap/Equity   | Entry Route  |
|------------|--|--|--|
|            | (ii) However, FIIs registered with SEBI can invest in the party of the party of the condition of the conditi | invest up to 49 p<br>that investment the issue.                                    | by a single FII in to provisions of                          |
| 18         | Banking –Private sector  |  |  |
| 18.1       | Banking Private sector   | 74% including investment by FIIs   | Automatic upto 49%  Government route beyond 49% and upto 74% |
| 18.2       | Other conditions:  |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |
| -          | <ul> <li>(1) This 74% limit will include investment under the Portfolio Investment Scheme (PIS) by FIIs, NRIs and shares acquired prior to September 16, 2003 by erstwhile OCBs, and continue to include IPOs, Private placements, GDR/ADRs and acquisition of shares from existing shareholders.</li> <li>(2) The aggregate foreign investment in a private bank from all sources will be allowed up to a maximum of 74 per cent of the paid up capital of the Bank. At all times, at least 26 per cent of the paid up capital will have to be held by residents, except in regard to a wholly-owned subsidiary of a foreign bank.</li> <li>(3) The stipulations as above will be applicable to all investments in existing private sector banks also.</li> <li>(4) The permissible limits under portfolio investment schemes through stock exchanges for FIIs and NRIs will be as follows:</li> </ul>  |  |  |
|            | (i) In the case of FIIs, as hitherto, individual FII holding is restricted to 10 per cent of the total paid-up capital, aggregate limit for all FIIs cannot exceed 24 per cent of the total paid-up capital, which can be raised to 49 per cent of the total paid-up capital by the bank concerned through a resolution by its Board of Directors followed by a special resolution to that effect by its General Body.   |  |  |
|            | (a) Thus, the FII investment limit will continue paid-up capital.  | to be within 49 pe   | r cent of the total  |
|            | (b) In the case of NRIs, as hitherto, individual the total paid-up capital both on repatriation aggregate limit cannot exceed 10 per cent of repatriation and non-repatriation basis. Howe to 24 per cent of the total paid-up capital repatriation basis provided the banking computation that effect in the General Body.  | n and non- repai<br>of the total paid-u<br>ver, NRI holding o<br>I both on repatri | p capital both on<br>can be allowed up<br>lation and non-    |

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | )               |
|------------|--|-----------------|
|            | (c) Applications for foreign direct investment in private banks having journal venture/subsidiary in insurance sector may be addressed to the Reserve Bank India (RBI) for consideration in consultation with the Insurance Regulatory a Development Authority (IRDA) in order to ensure that the 26 per cent limit foreign shareholding applicable for the insurance sector is not being breached.  | of<br>and<br>of |
|            | (d) Transfer of shares under FDI from residents to non-residents will continue require approval of RBI and Government as per para 3.6.2 of DIPP's Circular 1 2012 as applicable.   | to<br>of        |
|            | (e) The policies and procedures prescribed from time to time by RBI and oth institutions such as SEBI, D/o Company Affairs and IRDA on these matters continue to apply.  | ner<br>will     |
|            | (f) RBI guidelines relating to acquisition by purchase or otherwise of shares of private bank, if such acquisition results in any person owning or controlling 5 cent or more of the paid up capital of the private bank will apply to non-resident investors as well.   | per             |
|            | (ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks   |                 |
|            | (a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiar but not both.   | ies             |
|            | (b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the hor country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 1 per cent paid up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary India.   | 00              |
|            | (c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channoviz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary waggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank  | /ith            |
|            | (d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidial either through conversion of existing branches into a subsidiary or through fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidial through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least per cent of the paid capital of the private sector bank is held by residents at times consistent with para (i) (b) above. | ary<br>ast      |
|            | (e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirement and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.   | nts             |
|            | (f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will lissued separately by RBI   | be              |
|            | (g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.  | on              |
|            | (iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of bankir companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceilir  | ng<br>ng        |

| SI.  | Sector / Activity  | % of Cap/Equity                            | Entry Route        |
|------|--|--|--------------------|
| No.  | oan he brought about only after final policy decision  | ons and appropriat                         | te Parliamentary   |
| ì    | can be brought about only after final policy decisions and appropriate Parliamentary approvals.  |  |                    |
| 19   | Banking- Public Sector   |  |                    |
| 19.1 | Banking- Public Sector subject to Banking  | 20% (FDI and                               | 'Government        |
| • •  | Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings)   | Portfolio                                  |                    |
|      | Acts 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable  | Investment)                                |                    |
| -    | to the State Bank of India and its associate Banks.  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | <u> </u>           |
| 20   | Commodity Exchanges  | عطد عملات المامين                          | word Contracts     |
| 20.1 | 1. Futures trading in commodities are regulated  | under the For                              | waru Contracts     |
|      | (Regulation) Act, 1952. Commodity Exchanges infrastructure companies in the commodity futures  | n, line Stuck E<br>market With a           | a view to infuse   |
|      | globally acceptable best practices, modern managem   | ent skills and late                        | st technology. it  |
|      | was decided to allow foreign investment in Comm  | nodity Exchanges                           |                    |
|      | That gooded to dilott to organization with the   |  | •                  |
|      | 2. For the purposes of this chapter,   |  |                    |
|      |  |  | Juniter - fr       |
|      | (i) ""Commodity Exchange" is a recognized associated as | ciation under the i                        | provisions of the  |
|      | Forward Contracts (Regulation) Act, 1952, as   | s amended from                             | ume to time, to    |
|      | provide exchange platform for trading in forward co  | mitacia in commo                           | uitics.            |
|      | (ii) "recognized association" means an associatio  | n to which recogn                          | ition for the time |
| 1    | being has been granted by the Central Governme   | nt under Section (                         | 6 of the Forward   |
| · .  | Contracts (Regulation) Act, 1952   |  |                    |
|      |  |  |                    |
| 1    | (iii) "Association" means any body of individua  | is, whether incor                          | porated or not,    |
|      | constituted for the purposes of regulating and   | controlling the l                          | pusiness of the    |
|      | sale or purchase of any goods and commodity  | ucilyaliye.                                |                    |
|      | (iv)""Forward contract" means a contract for the delivery of goods and which is not a  |  |                    |
|      | ready delivery contract.   |  |                    |
|      |  |  |                    |
|      | (v) "Commodity derivative" means-  |  |                    |
|      | The second secon | ot a ready dollyse                         | contract: or       |
|      | <ul> <li>□ a contract for delivery of goods, which is n</li> <li>□ a contract for differences which derives in</li> </ul>  | ut a ready deliver)<br>its value from prid | ces or indices of  |
|      | a contract for differences which derives in prices of such underlying goods or ac  | tivities, services                         | rights, interests  |
|      | and events, as may be notified in consu  | iltation with the                          | Forward Markets    |
|      | Commission by the Central Government, b  | out does not includ                        | de securities.     |
|      |  |  |                    |
| 20.2 | Policy for FDI in Commodity Exchange   | 49% (FDI & FII)                            | Government         |
|      |  | [Investment by Registered FII              | (For FDI)          |
|      |  | under Portfolio                            |                    |
|      |  | Investment                                 |                    |
|      |  | Scheme (PIS)                               | ,                  |
|      |  | will be limited                            | · .                |
|      |  | to 23% and                                 |                    |
|      |  | Investment                                 | ·                  |
|      |  | under FDI                                  |                    |
|      |  | Scheme limited to 26% ]                    |                    |
|      |  | [10 20 /6]                                 | <u> </u>           |

| SI.<br>No. | Sector / Activity  | % of Cap/Equity                                      | Entry Route                         |
|------------|--|--|-------------------------------------|
|            |  |  |                                     |
| 20.3       | Other conditions:  | _ <del></del>  | <u></u>                             |
|            | (i) FII purchases shall be restricted to secondary ma  | rket only and  |                                     |
|            | (ii) No non-resident investor / entity, including person than 5% of the equity in these companies.   | ns acting in conce                                   | rt, will hold more                  |
| 21         | Credit Information Companies (CIC)   |  |                                     |
| 21.1       | Credit Information Companies   | 49% (FDI & FII)                                      | Government                          |
| 21.2       | Other Conditions:  |  |                                     |
|            | (1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credi Information Companies (Regulation) Act, 2005.                         |  |                                     |
| <br>       | (2) Foreign investment is permitted under the Gover clearance from RBI.  | nment route, subj                                    | ect to regulatory                   |
|            | (3) Investment by a registered FII under the Portfo permitted up to 24% only in the CICs listed at the Si limit of 49% for foreign investment.       | olio Investment Sc<br>tock Exchanges, w              | heme would be<br>vithin the overall |
|            | (4) Such FII investment would be permitted subject to  | the conditions tha                                   | t:                                  |
|            | (a) No single entity should directly or indirectly hol   | d more than 10% e                                    | equity.                             |
|            | (b) Any acquisition in excess of 1% will have to b requirement; and  | e reported to RBI                                    | as a mandatory                      |
|            | (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation based upon their shareholding.  | entation on the Bo                                   | ard of Directors                    |
| 22         | Infrastructure Company in the Securities Market  |  | -                                   |
| 22.1       | Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations | 49% (FDI & FII) [FDI limit of 26 per cent and an FII | Government<br>(For FDI)             |
|            |  | limit of 23 per<br>cent of the<br>paid-up            |                                     |
|            |  | capital]   |                                     |
| 22.2       | Other Conditions:  |  | · · · · · · · ·                     |
| 22.2.1     | FII can invest only through purchases in the secondar  | y market   |                                     |
| 23         | Insurance  |  |                                     |
| 23.1       | Insurance  | 26%  | Automatic                           |
| 23.2       | Other Conditions:  |  |                                     |
|            | (1) FDI in the Insurance sector, as prescribed in the<br>under the automatic route.  | Insurance Act, 1                                     | 938, is allowed                     |
|            | (2) This will be subject to the condition that Compa<br>necessary license from the Insurance Regulatory<br>undertaking insurance activities.         | nies bringing in F<br>& Developmer                   | DI shall obtain<br>t Authority for  |

| SI.  | Sector / Activity  | % of  | Entry Route                               |
|------|--|---|---|
| No.  |  | Cap/Equity  |   |
| 24   | Non-Banking Finance Companies (NBFC)   | ·   | ·   |
| 24.1 | Foreign investment in NBFC is allowed under the  | 100%  | Automatic                                 |
| 27.1 | automatic route in only the following activities:  |   |   |
|      | automatio route in only the remaining areas.   |   |   |
| ĺ    | (i) Merchant Banking   |   |   |
|      | (ii) Under Writing   |   |   |
| 1 1  |  |   |   |
|      | (iii) Portfolio Management Services  |   |   |
| *    | (iv) Investment Advisory Services  | · .   |   |
|      | (v) Financial Consultancy  |   |   |
|      | (vi)Stock Broking  |   |   |
|      | (vii) Asset Management   |   |   |
|      | (viii) Venture Capital   |   |   |
| ļ    | (ix) Custodian Services  |   |   |
|      | (x) Factoring  |   |   |
| 1    | (xi) Credit Rating Agencies  |   |   |
|      | (xii) Leasing & Finance  |   |   |
|      | (xiii) Housing Finance   | ·   |   |
|      | (xiv) Forex Broking  |   |   |
| i    | (xv) Credit Card Business  |   |   |
|      | (xvi) Money Changing Business  | ·   |   |
|      | (xvii) Micro Credit  |   |   |
|      | (xviii) Rural Credit   |   | J   |
| 24.2 | Other Conditions:  (1) Investment would be subject to the following m  |   |   |
|      | (i) US \$0.5 million for foreign capital up to 51% to  (ii) US \$ 5 million for foreign capital more than upfront  | 1   | •   |
|      | (iii)US \$ 50 million for foreign capital more than be brought upfront and the balance in 24 months  | 75% out of which t                                  | JS\$ 7.5 million to                       |
| ,    | (iv) <sup>5</sup> NBFCs (i) having foreign investment more than 75% and up to 100%, and (ii) with a minimum capitalisation of US\$ 50 million, can set up step down subsidiaries for specific NBFC activities, without any restriction on the number of operating subsidiaries and without bringing in additional capital. The minimum capitalization condition as mandated by para 3.10.4.1 of DIPP Circular 1 of 2012 dated April 10, 2012, on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstream subsidiaries. |   |   |
|      | (v) Joint Venture operating NBFCs that have investment can also set up subsidiaries for the subject to the subsidiaries also complying capitalisation norm mentioned in (i), (ii) and (iii) and (vi) Non- Fund based activities: US\$ 0.5 miles  | undertaking other  with the app  bove and (vi) belo | licable minimum  bw.  tht upfront for all |
|      | permitted non-fund based NBFCs irrespective subject to the following condition:  | of the level of fo                                  | oreign investment                         |

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> With effect from 3rd day of October 2012

| SI.<br>No.      | Sector / Activity  | % of Cap/Equity                |  |
|-----------------|--|--------------------------------|--|
|                 | It would not be permissible for such a compan<br>other activity, nor it can participate in any equ<br>company.   | v to set up anv si             | ubsidiary for any<br>nolding/operating |
|                 | Note: The following activities would be classified as Non-Fund Based activities:  (a) Investment Advisory Services   |                                |  |
|                 |  |                                |  |
|                 | (b) Financial Consultancy  | \$ ×                           |  |
|                 | (c) Forex Broking  |                                |  |
|                 | (d) Money Changing Business  | ·                              |  |
|                 | (e) Credit Rating Agencies   |                                |  |
|                 | (vii) This will be subject to compliance with the gu   | idelines of RBI.               |  |
|                 | Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, marketing & design of various payment products such as credit cards, charge cards, debit cards stored value cards, smart card, value added cards etc. |                                |  |
|                 | (ii) Leasing & Finance covers only financial leases  | s and not operating            | leases.                                |
|                 | (2) The NBFC will have to comply with the guidel as applicable   | ines of the relev              | ant-regulator/ s,                      |
| 25              | Pharmaceuticals  |                                | <del></del>                            |
| 25.1            | Greenfield   | 100%                           | Automatic                              |
| 25.2            | Existing Companies   | 100%                           | Government                             |
| 26 <sup>8</sup> | Power Exchanges  |                                |  |
| 26.1            | Power Exchanges under the Central Electricity<br>Regulatory Commission (Power Market)<br>Regulations, 2010   | 49% (FDI &<br>FII)             | Government<br>(for FDI)                |
| 26.2            | Other conditions:  |                                |  |
|                 | (i) Such foreign investment would be subject to an F limit of 23 per cent of the paid-up capital;  |                                |  |
|                 | (ii) FII investments would be permitted under the au permitted under the government approval route;  | itomatic route and             | FDI would be                           |
|                 | (iii) FII purchases shall be restricted to secondary man   | ket only;                      |  |
|                 | (iv) No non-resident investor/ entity, including persons than 5% of the equity in these companies; and   |                                |  |
| · .             | (v) The foreign investment would be in compliance applicable laws/ regulations; security and other conditions  | e with SEBI Regi<br>onalities. | ulations; other                        |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> With effect from 20th day of September 2012

## Annex C

# Report by the Indian company receiving amount of consideration for issue of shares / Convertible debentures/others as per Foreign Direct Investment Scheme

( To be filed by the company through its Authorised Dealer Category – I bank, with the Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration, as specified in para 9 (I) (A) of Schedule I to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000 )

| Permanent Account      |   |
|------------------------|---|
| Number (PAN) of the    |   |
| investee company given | · |
| by the IT Department   |   |

| No. | Particulars   | (In Block                                       | ( Letters)       |
|-----|---|---|------------------|
| 1.  | Name of the Indian company                                      |   |                  |
|     | All su su su su su su su su su su su su su                      |   |                  |
|     | Address of the Registered Office                                |   |                  |
|     |   |   |                  |
|     |   |   |                  |
|     | ·   |   |                  |
| ·   | Fax   | <del></del>                                     | ·                |
|     | Telephone   | <del>,,,</del>                                  | <del> </del>     |
|     | e-mail  |   | <del></del>      |
| 2   | Details of the foreign investor/ coll                           | aborator  |                  |
|     | Name  |   |                  |
|     |   |   |                  |
|     | Address   |   |                  |
|     |   | ,   |                  |
|     | ·   |   |                  |
|     | Country   |   |                  |
| 3.  | Date of receipt of funds  |   | <u> </u>         |
| 4.  | Amount  | In foreign currency                             | In Indian Rupees |
|     |   |   |                  |
|     |   |   |                  |
| 5.  | Whether investment is under                                     | Automatic Route / Ap                            | proval Route     |
|     | Automatic Route or Approval Route                               |   |                  |
|     | If Approval Dauta ways details (vot                             | 4   | <i>₹</i>         |
|     | If Approval Route, give details (ref. no. of approval and date) |   |                  |
| 6.  | Name of the AD through whom the                                 |   | ·                |
| ٠.  | remittance is received  |   |                  |
|     |   | - <u>-</u>                                      |                  |
| 7.  | Address of the AD   |   |                  |
|     |   |   |                  |
|     |   | ,   |                  |
|     |   | · <u>.                                     </u> |                  |

A Copy of the FIRC evidencing the receipt of consideration for issue of shares/ convertible debentures /others as above is enclosed.

| Authorised signatory of  | (Authorised signatory of the AD)                  |
|--|---|
| he investee company)   | the AD)   |
| (Stamp)  | (Stamp)   |
|  |   |
| FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY:  | -   |
| Jnique Identification Number for the re<br>received:                                 | emittance   |
| Know Your Customer (KYC) Form in   | n respect of the non-resident Investor            |
| Registered Name of the Remitter / Investo  | or  |
| (Name, if the investor is an Individual)   |   |
| Registration Number (Unique Identification   | n   |
| Number* in case remitter is an Individual)   |   |
| Registered Address (Permanent Address  | if  |
| remitter Individual)   |   |
| Name of the Remitter's Bank  |   |
| Remitter's Bank Account No.  |   |
| Period of banking relationship with th   | ne  |
| remitter   |   |
| * Passport No., Social Security No, or any Un as prevalent in the remitter's country | ique No. certifying the bonafides of the remitter |
|  | urnished above is true and accurate as            |
| provided by the overseas remitting bar   | nk of the non-resident investor.                  |
| Signature of the Authorised Official   |   |
| of the AD bank receiving the remittance)   |   |
| Date :   | Place:  |
| Stamp:   |   |

# Annex D

# **FC-GPR**

(To be filed by the company through its Authorised Dealer Category – I bank with the Regional Office of the RBI under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated as and when shares/convertible debentures / others are issued to the foreign investor, along with the documents mentioned in item No. 4 of the undertaking enclosed to this form)

| Permanent Account Number (PAN) of the investee company given by the Income Tax  Department | , |   | <u></u>  |       |   |   | L |    | <u> </u> | <u> </u> |  | ] . |
|--|---|---|----------|-------|---|---|---|----|----------|----------|--|-----|
| Date of issue of shares / convertible debentures/others                                    |   | L | <u> </u> | /<br> | L | L | İ | 1. |          |          |  |     |

|     | Particulars  | (In Block Letters)             |
|-----|--|--------------------------------|
| No. |  |                                |
| 1.  | Name   |                                |
| -   |  |                                |
|     | Address of the Registered Office   |                                |
|     |  |                                |
|     |  |                                |
|     |  |                                |
| •   | State  |                                |
|     | Registration No. given by Registrar of Companies                                 |                                |
|     | Whether existing company or new company (strike off whichever is not applicable) | Existing company / New company |
|     | If existing company, give registration number allotted by RBI for FDI, if any    |                                |
|     | Telephone  |                                |
|     | Fax  |                                |
|     | e-mail   |                                |

| ſ        | 2.  | Description of the main business           |                                  |
|----------|-----|--|----------------------------------|
|          |     | activity                                   |                                  |
| - 1      |     |  |                                  |
|          |     |  |                                  |
| - 1      |     |  |                                  |
| - 1      |     | NIC Cod-                                   |                                  |
| ⊢        |     | NIC Code                                   |                                  |
| - 1      |     | Location of the project and NIC            |                                  |
|          | •   | code for the district where the            |                                  |
| ⊢        |     | project is located                         |                                  |
|          |     | Percentage of FDI allowed as per           |                                  |
| -        |     | FDI policy                                 |                                  |
| -        | •   | State whether FDI is allowed under         | Automatic Route / Approval Route |
| - }      | i   | Automatic Route or Approval Route          | Approval Route                   |
|          |     | (strike out whichever is not               |                                  |
| <u> </u> |     | applicable)                                |                                  |
| Ŀ        | 3   | Details of the foreign investor / col      | lahorator <sup>1</sup> *         |
|          |     | Name                                       | apol atol                        |
| -        | -   |  | ,                                |
| -        | -   | Address                                    |                                  |
|          | -   |  |                                  |
|          | - 1 |  |                                  |
| İ        | 1   |  |                                  |
| İ        | - 1 | Country                                    |                                  |
|          |     | Country                                    |                                  |
| 1        | -   | ·  |                                  |
| ĺ        | 1   | ·  |                                  |
| 1        | 1   | ÷.   | ·                                |
|          | ı   | Constitution / Nature of the               |                                  |
| ł        | 1.  | investing Entity                           | ·                                |
|          | 1   | Specify whether                            | ·                                |
| 1        | 1   | 1. Individual                              |                                  |
| 1        |     | 2. Company                                 |                                  |
| 1        | 1   | 3. FII                                     | •                                |
| 1        |     | 4. FVCI                                    |                                  |
|          |     | 5. Foreign Trust                           |                                  |
| 1        |     | 6. Private Equity Fund                     | · ,                              |
| 1        | 1   | 7 Pension / Provident Fund                 |                                  |
| 1        |     | 8 Sovereign Wealth Fund (SWF) <sup>4</sup> |                                  |
|          | 1   | 9. Partnership / Proprietorship            |                                  |
| ĺ        |     | Firm                                       |                                  |
| ĺ        |     | 10. Financial Institution 11. NRIs / PIO   |                                  |
| 1        | J   |  | ·                                |
|          |     | 12. Others (please specify)]               |                                  |
|          | -   | ate of incompany                           | <u>,</u> ]                       |
|          | ഥ   | Date of incorporation                      |                                  |

<sup>\*</sup> If there is more than one foreign investor/collaborator, separate Annex may be included for items 3 and 4 of the Form.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>SWF means a Government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets, and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities.

| F   | <u>arti</u> | culars of Sh  | ares / Cor  | vertible [    | Debentu       | res /oth                              | ers Issued                                 |  |
|-----|-------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|--|--|
| ) 1 | Vatu        | re and date   | of issue    |               |               | ,                                     |  |  |
|     | <u></u>     | Nature of   | issue       |               | Date of       | fissue                                | Number of s<br>convertible<br>debentures/o | •                                      |
|     | 01          | IPO / FPC   | )           | <u> </u>      | <del> </del>  |                                       | dependines/                                | ouriers                                |
|     | 02          | Preferenti<br>private pla                           | al allotmer | nt /          |               |                                       |  | <del></del>                            |
|     | 03          | Rights  |             |               | ·             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  | <del></del>                            |
| 16  | 04          | Bonus   |             | <del></del>   |               | <u> </u>                              | <del></del>                                | <del></del>                            |
|     | 05          | Conversio   | n of ECB    |               |               |                                       | ·  | ······································ |
|     | 06          | Conversion (including payments)                     | lump sum    | 1             |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
|     | 07          | Conversion of capital SEZ                           | n against   |               | · ·           |                                       |  |  |
|     | 08          | ESOPs   |             |               | <del></del>   |                                       | <del></del>                                | <del></del>                            |
|     | 9           | Share Swa   | р           | <del>  </del> |               |                                       |  |  |
| 17  | 0           | Others (ple   |             | <u>v)</u>     |               |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |  |
|     |             | Total   |             |               | <del></del> - | <del>  </del>                         | <del> </del>                               |  |
| 7   | уре         | of security   | ssued       |               |               |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |  |
|     | lo.         | Nature of security                                  | Number      | Maturity      | Face<br>value | Premiu                                | M Issue<br>Price per<br>share              | Amount of inflow*                      |
| 0   |             | Equity  |             |               |               | -                                     | - Criaro                                   | <del> </del>                           |
| Ō   | 2           | Compulsorily<br>Convertible<br>Debentures           |             |               |               |                                       |  |  |
| 0:  | 3           | Compulsorily<br>Convertible<br>Preference<br>shares |             |               |               |                                       |  |  |
| 04  | .           | Others<br>(please<br>specify)                       |             |               |               |                                       |  |  |
|     |             | Total   |             |               | <del>  </del> |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |  |

i) In case the issue price is greater than the face value please give break up of the premium received.
li) \* In case the issue is against conversion of ECB or royalty or against import of capital goods by units in SEZ, a Chartered Accountant's Certificate certifying the amount outstanding on the date of conversion

| (c) Break up        | of premium  | Amount |             |
|---------------------|-------------|--------|-------------|
| Control Pr          | emium       |        |             |
| Non comp            | etition fee |        | <u> </u>    |
| Others <sup>®</sup> |             |        | <del></del> |
| Total               |             |        | <del></del> |

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> please specify the nature

| (d) | Total inflow (in Rupees) on account of |
|-----|--|
|     | issue of shares / convertible          |
|     | debentures/others to non-residents     |

|      | (including premium, if any) vide  |          |
|------|---|----------|
|      | (i) Remittance through AD:  | ·        |
| 1    | (ii) Debit to NRE/FCNR/Escrow A/c with  |          |
|      | Bank<br>(iii) Others (please specify)   |          |
|      | Date of reporting of (i) and (ii) above to RBI  | •        |
| 1    | under Para 9 (1) A of Schedule I to   |          |
|      | Notification No. FEMA 20 /2000-RB dated   | ·        |
| -    | May 3, 2000, as amended from time to time.  Disclosure of fair value of shares issued** |          |
| (e)_ |   |          |
|      | We are a listed company and the market  | ·        |
| 1    | value of a share as on date of the issue is*  | <u> </u> |
|      | We are an un-listed company and the fair  |          |
| 1    | value of a share is*  |          |

<sup>\*\*</sup> before issue of shares

\*(Please indicate as applicable)

| <u>J. F</u> | USL 13  | sue pattern of shareholding          | E                  | quity                         |          |  | pulsori                                     |              |
|-------------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------|--|---|--------------|
|             |         |                                      |                    |                               |          | Pre<br>S   | nvertible<br>eference<br>hares/<br>ntures/o | 9            |
| Inve        | estor o | category                             |                    |                               |          |  | ,   |              |
|             |         |                                      | No<br>of<br>shares | Amount<br>(Face<br>Value) Rs. | . %      | No.<br>of<br>shares                              | Amount<br>(Face<br>Value) Rs.               | %            |
| a)          | Non     | -Resident                            |                    |                               |          |  |   |              |
|             | 01      | Individuals                          |                    |                               |          |  |   |              |
|             | 02      | Companies                            |                    |                               |          |  |   | -            |
|             | 03      | Fils                                 |                    |                               |          | <del>  -</del>                                   | <u> </u>                                    | -            |
|             | 04      | FVCIs                                | _                  |                               |          | ļ <u> </u>                                       |   |              |
|             | 05      | Foreign Trusts                       |                    |                               |          | <u> </u>   |   | <u> </u>     |
|             | 06      | Private Equity Funds                 |                    |                               |          |  |   | <del> </del> |
|             | 07      | Pension/ Provident Funds             |                    |                               | <u> </u> | <del>                                     </del> |   |              |
|             | 08      | Sovereign Wealth Funds               |                    |                               |          | ļ <del></del>                                    |   |              |
|             | 09      | Partnership/ Proprietorship<br>Firms |                    |                               |          |  |   |              |
|             | 10      | Financial Institutions               |                    |                               |          | <u> </u>   |   | <u> </u>     |
|             | 11      | NRIs/PIO                             |                    |                               |          | ļ. <u>.</u>                                      |   | ļ            |
|             | 12      | Others (please specify)              |                    | -                             | <b></b>  | <del></del>                                      |   | ļ            |
|             |         | Sub Total                            |                    | ļ                             | ļ        | ļ <u>-</u>                                       |   | <del> </del> |
| b)          | Res     | ident                                | ·                  |                               | -        | <del> </del> -                                   | · ·   | 1            |
| To          | tal     |                                      | <u> </u>           | L.,                           | <u> </u> | L  |   | Ц.,          |

# DECLARATION TO BE FILED BY THE AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE INDIAN COMPANY: (Delete whichever is not applicable and authenticate)

We hereby declare that:

- 1. We comply with the procedure for issue of shares / convertible debentures as laid down under the FDI scheme as indicated in Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000, as amended from time to time.
- 2. The investment is within the sectoral cap / statutory ceiling permissible under the Automatic Route of RBI and we fulfill all the conditions laid down for investments under the Automatic Route namely (strike off whichever is not applicable).
  - a) Shares issued on rights basis to non-residents are in conformity with Regulation 6 of the RBI Notification No FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000, as amended from time to time.

**OR** 

b) Shares issued are bonus.

OR

c Shares have been issued under a scheme of merger and amalgamation of two or more Indian companies or reconstruction by way of de-merger or otherwise of an Indian company, duly approved by a court in India.

OR

- d)Shares are issued under ESOP and the conditions regarding this issue have been satisfied
- 3. Shares have been issued in terms of SIA /FIPB approval No.\_\_\_\_\_\_
- 4 The foreign investment received and reported now will be utilized in compliance with the provision of a Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) and Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA). We confirm that the investment complies with the provisions of all applicable Rules and Regulations
- 5. We enclose the following documents in compliance with Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:
  - (i) A certificate from our Company Secretary certifying that
    - (a) all the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with:
    - (b) terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with;
    - (c) the company is eligible to issue shares under these Regulations; and

- (d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.
- (ii) A certificate from SEBI registered Merchant Banker / Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India.
- 6. Unique Identification Numbers given for all the remittances received as consideration—for issue of shares/ convertible debentures/others (details as above), by Reserve Bank.

|                                   | · |   | <del></del> | · ·         |          |   | <del></del> -  | γ     |   |
|-----------------------------------|---|---|-------------|-------------|----------|---|----------------|-------|---|
|                                   |   | R |             | <u> </u>    |          |   |                |       |   |
|                                   |   |   |             |             |          |   |                |       |   |
|                                   |   | R |             | 1           | 1 1      | - | $\overline{T}$ | ·<br> | T |
|                                   |   |   |             | <del></del> | <u>l</u> | J | <del></del> .  | 1     |   |
| (Signature of the Applicant)* :_  |   |   |             |             |          |   |                |       |   |
| (Name in Block Letters) :_        |   |   |             | -           |          | _ |                |       |   |
| (Designation of the signatory) :_ |   |   |             |             |          | - |                |       |   |
| Place:                            |   |   |             |             |          |   |                |       |   |
| Date:                             |   | - |             |             |          |   |                |       |   |

(\* To be signed by Managing Director/Director/Secretary of the Company)

# CERTIFICATE TO BE FILED BY THE COMPANY SECRETARY <sup>5</sup> OF THE INDIAN COMPANY ACCEPTING THE INVESTMENT:

(As per Para 9 (1) (B) (i) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000)

In respect of the abovementioned details, we certify the following:

- 1. All the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with.
- 2. Terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with.
- 3. The company is eligible to issue shares / convertible debentures/others under these Regulations.
- 4. The company has all original certificates issued by AD Category I banks in India, evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.

(Name & Signature of the Company Secretary) (Seal)

| FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY:  |    |   |   |  |   |                |  |          |   |   |       |          |
|--|----|---|---|--|---|----------------|--|----------|---|---|-------|----------|
| Registration Number for the FC-GPR:  |    |   |   |  |   |                |  |          | • |   |       |          |
| Unique Identification Number allotted to the Company at the time of reporting receipt remittance | of | R | T |  | ì | _ <sub>T</sub> |  | <u>.</u> | T | - | <br>Т | <i>,</i> |

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> If the company doesn't have full time Company Secretary, a certificate from practising CS may be submitted



ANNEX-E

# RESERVE BANK OF INDIA

Annual Return on Foreign Liabilities and Assets as on 31 March, 20 \_ \_ (Return to be filled under A.P. (DIR Series) Circular No. dated and submitted to the Department of Statistics and Information Management, RBI, Mumbai)

Please read the guidelines/definitions carefully before filling-in the Return

(Respondents are encouraged to submit the e-form of this return, which can be downloaded from the FEMA Forms section under the 'Forms' category on the RBI website www.rbi.org.in The e-form is easy-to-fill with user guidance and consistency checks. The duly filled-in e-form should be emailed to fla@rbi.org.in.

| Cit   | <del></del>  | State:   |                                 |
|---|--|--|---------------------------------|
| City:   | <del></del>  | State.   |                                 |
| 1   |  |  |                                 |
| . PAN Number of Compa   | ny given by Income Tax Departm   | ent (10 digit)   | <del>┊╸</del><br><del>┊╸╸</del> |
| . CIN Number allotted by M  | inistry of Corp. Affairs, Govt. of Indi  | a (21 digit)   |                                 |
| 4. Contact Details  |  |  |                                 |
| Contact Person  | <u> </u>   | <del>i.                                     </del>                 | <u> </u>                        |
| Name:   |  | Designation:   |                                 |
| Telephone No:   |  | Fax:   |                                 |
| :- <b>- જાાં</b>  |  | &RP 51Q 's Web- Site (if a   | my):                            |
| 5. Account closing date (D  | D/MM/YYYY)   |  |                                 |
| 6. Nature of Business:  | •  |  |                                 |
|   |  |  |                                 |
| •   | al Classification (NIC) 2008 Code<br>Name has changed during the las   |  | rch) (Y/N)?                     |
| •   | Name has changed during the last ompany's old Name   |  | rch) (Y/N)?                     |
| I. Whether your Company If yes, please specify the Company's old Name: Effective Date (DD/MM) | Name has changed during the last company's old Name  | t financial year (April - Ma                                       | rch) ( <b>Y/N)</b> ?            |
| Whether your Company If yes, please specify the Company's old Name: Effective Date (DD/MM)    | Name has changed during the last company's old Name  | t financial year (April - Ma                                       | ;<br>;                          |
| Whether your Company If yes, please specify the Company's old Name: Effective Date (DD/MM)    | Name has changed during the last company's old Name  (/YYYY)   | t financial year (April - Ma  (Y/N)? ice on closing date of refer  | ;<br>;                          |
| Whether your Company If yes, please specify the Company's old Name: Effective Date (DD/MM)    | Name has changed during the last company's old Name  (/YYYY) Listed If yes, please furnish the share pr  | t financial year (April - Ma  (Y/N)? ice on closing date of refer  | rence period                    |
| Whether your Company If yes, please specify the Company's old Name:                           | Name has changed during the last company's old Name  (/YYYY)  Listed If yes, please furnish the share property for the property of the share property of t | t financial year (April - Ma  (Y/N)?  ice on closing date of refer | rence period e (Per Share)      |

## Section II

# (Financial Details)

# Block 1: Financial Detail of Reporting Company

CARE: Information should be reported for all the reference period, i.e. Previous March and Latest March. If reporting period is different from Account Closing Period, then information should be given on internal assessment

# Block 1A: Total Paid- up Capital of Indian Company:

|   | End-of Prev                   | rious March          | End-of Latest March           |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| Item  | Number of<br>Shares in actual | Amount in Rs<br>lakh | Number of<br>Shares in actual | Amount in Rs<br>lakh |
| 1.0 Total Paid-up Capital<br>(= 1.1 + 1.2)                                    |                               |                      |                               |                      |
| 1.1 Total Equity & Participating Preference Share capital (= 1.1(a) + 1.1(b)) |                               |                      |                               |                      |
| (a) Ordinary/Equity Share*  |                               |                      |                               |                      |
| (b) Participating Preference Share  |                               |                      |                               |                      |
| 1.2 Non-participating Preference<br>Share#                                    |                               |                      |                               |                      |
| 2.0 Non-resident Holdings (at face  | e value in Rs lak             | h)                   |                               |                      |
| 21 Equity & Participating Preference share capital (Sum of item-1 to item-12) |                               |                      | ,                             |                      |
| 1 Individuals   |                               |                      |                               |                      |
| 2 Companies   | ·                             |                      | <b>1</b>                      |                      |
| 3 Foreign Institutional Investors (FIIs)                                      |                               |                      |                               |                      |
| 4 Foreign Venture Capital Investors (FVCIs)                                   |                               |                      |                               |                      |
| 5 Foreign Trusts  |                               |                      |                               |                      |
| 6 Private Equity Funds  |                               |                      |                               |                      |
| 7 Pension Provident Funds   |                               |                      |                               |                      |
| 8 Sovereign Wealth Fund (SWF)   |                               |                      | ·                             |                      |
| 9 Partnership/ Proprietorship firms   |                               |                      |                               |                      |
| 10 Financial Institutions   |                               |                      | T                             | ·                    |
| 11 NRIs/PIO   |                               |                      |                               |                      |
| 12 Others non-resident holdings   |                               |                      |                               |                      |
| 2.2 Non-Participating Preference share  |                               |                      |                               |                      |

### Note

- \*In case of different class of Equity Share (class A, class B etc.), consolidated figure should be reported. #Non-participating Preference Share do not have following rights.
- (a) to receive dividend, out of surplus profit after paying the dividend to equity shareholders.
- (b) to have share in surplus assets remaining after the entire capital is paid in case of winding up of the company.

Block 1B: Profit and Loss Account (from P/L Account)

|   | Amount in Rs lakh                |                                |  |
|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1tem  | Previous Year<br>(April - March) | Latest Year<br>(April - March) |  |
| 3.1 Profit (+) /Loss (-) before tax (During the Year) |                                  |                                |  |
| 3.2 Profit (+) / Loss (-) after tax (During the Year) | - ",                             |                                |  |
| 3.3 Dividend (Interim & Final Dividend)               |                                  |                                |  |
| 3.4 Tax on Dividend (if any)                          |                                  |                                |  |
| 3.5 Retained Profit (= 3.2 - 3.3 - 3.4)               | V                                |                                |  |

Block 1C: Reserves & Surplus (from Balance Sheet)

| 14  | Amount in Rs lakh as at the end of |                                       |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Item  | Previous March                     | Latest March                          |  |
| 4.1 Reserves                                |                                    | ·                                     |  |
| (Excluding Profit and Loss account balance) |                                    |                                       |  |
| 4.2 Profit (+) and Loss (-) account balance |                                    |                                       |  |
| 4.3 Reserve and Surplus (= 4.1 + 4.2)       |                                    |                                       |  |
| 4.4 Net worth of Company (= 1.1 + 4.3)      |                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |

# Block 1D: Sales and Purchase made during the Financial Year

*Note:* To be filled in by company where single foreign direct investor holding is more than 50% in total equity (i.e. If reporting Indian company is subsidiary of Foreign company).

| Item                              | Amount in Rs lakh (During the year) |                                       |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|                                   | Previous March                      | Latest March                          |  |  |  |
| 5.1 Domestic Sales                |                                     |                                       |  |  |  |
| 5.2 Exports                       |                                     |                                       |  |  |  |
| 5.3 Total Sales ( = 5.1+ 5.2)     |                                     |                                       |  |  |  |
| 5.4 Domestic purchase             |                                     |                                       |  |  |  |
| 5.5 Imports                       |                                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |  |
| 5.6 Total Purchase ( = 5.4 + 5.5) |                                     | <del></del>                           |  |  |  |

## Section III

# (FOREIGN LIABILITIES)

CARE: Information should be reported for all the reference period, i.e. Previous March and Latest March. If reporting period is different from Account Closing Period, then information should be given on internal assessment.

### 2. Investments made in India:

- (i) In case of listed companies, equity should be valued using share price on closing date of reference period.
- (ii) In case of unlisted companies, Own Fund of Book Value (OFBV) Method should be used.

#### Block-2A:

Investment in India under Foreign Direct Investment (FDI) scheme (10% or more Equity Participation).

[Please furnish here the outstanding investments made under the FDI Scheme in India by Non-resident Direct investors, who were individually holding 10 per cent or more ordinary/equity & preference shares of your company on the reporting date]

| Name of<br>the non-<br>resident<br>Company/<br>Individual | Type of Capital                                    | Country of non-resident investor | Equity & Participating Preference share capital holding per cent as at the end of latest | Amount in Rs lak | h as at the end of |
|---|--|----------------------------------|--|------------------|--------------------|
|   | -  |                                  | year (%)   | Previous March   | Latest March       |
|   | 1.0 Equity Capital<br>(= 1.1 - 1.2)                |                                  |  |                  |                    |
|   | t.l Liabilities to Direct Investor                 |                                  |  |                  |                    |
|   | 1.2 Claims on Direct Investor (Reverse investment) |                                  | ,  |                  |                    |
|   | 2.0 Other Capital #<br>(= 2.1 - 2.2)               |                                  |  |                  |                    |
|   | 21 Liabilitieș o Direct                            |                                  |  | -                |                    |
|   | 2.2 Claims on Direct Investor                      |                                  | -  |                  | ,                  |

#### Note

(i) If the information is to be furnished for more than one investor, then add separate Block with same format (ii) #: Other capital, item 2.1 & 2.2 of Block-2A includes all other liabilities and claims at Nominal value, except equity and participating preference shares, (i.e. trade credit, loan, debentures, Non-participating share capital, other accounts receivable and payables etc.) of Indian reporting company with its director investor indicated in Block-2A.

## Block 2B:

Investment in India under Foreign Direct Investment (FDI) scheme (Less than 10% Equity Holding)

[Please furnish here the outstanding investments made under the FDI Scheme in India by Non-resident Direct investors, who were individually holding less 10 than per cent ordinary/equity and participating preference shares of your company on the reporting date].

Country-wise consolidated information should be provided below:

| Type of Capital                                   | Country of Pre | Equity & Participating Preference share capital holding | Amount in Rs lak | h as at the end of |
|---|----------------|---|------------------|--------------------|
|   | investor       | per cent as at the                                      | Previous March   | Latest March       |
| 1.0 Equity Capital ( = 1.1-1.2)                   |                |   |                  |                    |
| 1.1 Liabilities to Direct Investor                |                |   |                  | <u> </u>           |
| 12 Claims on Direct Investor (Reverse investment) |                |   |                  | ·                  |
| 2.0 Other Capital ( = 2.1-2.2) #                  |                |   |                  |                    |
| 2.I Liabilities to Direct Investor                |                |   |                  |                    |
| 2.2 Claims on Direct Investor                     |                | <u> </u>  |                  | <del></del>        |

#### Note:

(i) If the information is to be furnished for more than one country, then add separate Block with same format.

(ii) #: Other capital, item 2.1 & 2.2 of Block-2B includes all other liabilities and claims at Nominal value, except equity and participating preference shares, (i.e. trade credit, loan, debentures, Non-participating share capital, other accounts receivable and payables etc.) of Indian reporting company with non-resident investors holding less than 10 per cent equity and related parties.

# 2C. Portfolio Investment in India

Please furnish here the outstanding investments by non-resident investors, other than those made under Foreign Direct Investment Scheme in India (i.e. other than those reported in Block-2A & Block-2B).

| Portfolio Investment  | Equity & Participating Preference share capital holding per cent | Amount in Rs lakh as at the end of |              |  |
|---|--|------------------------------------|--------------|--|
|   | as at the end of latest<br>year (%)                              | Previous March                     | Latest March |  |
| 1.0 Equity Securities (at Market Value)                             |  |                                    |              |  |
| <b>2.0 Debt Securities ( =2.1+2.2)</b>                              |  |                                    |              |  |
| 2.1 Money Market Instruments<br>(original maturity upto I year)     |  |                                    | <u> </u>     |  |
| 22 Bonds and Other instruments (original maturity more than 1 year) |  |                                    | <u>.</u>     |  |

Please ensure that Non-resident Equity & Participating Preference share capital mentioned at item 2.1 of block 1(A) should be reported in either Block-2A or Block-2B or Block-2C at Market Value i.e. sum of equity % in Block-2A, Block-2B & Block-2C must be equal to the item 3.0 of Block-1A for the latest march.

# **Section IV**

# (FOREIGN ASSETS)

- 1. Please use the exchange rate as at end-March Previous FY and end-March Latest FY (as applicable) of reporting year while reporting the foreign Assets in Rs lakh.
- 2. If overseas company is listed; equity should be valued using share price on closing date of reference period.
- 3. If overseas company is unlisted, Own Fund of Book Value (OFBV) Method should be used for valuation of equity investment.

# Block-3: Equity Capital, Reserves & Surplus of Direct Investment Enterprise (DIE) Abroad (10% or more equity holding by Indian Reporting company)

[Please report here the total equity of DIE, equity held by your company, reserves (excluding P&L Account) and P&L Account of those DIEs in each of which your company hold 10% or more equity shares on the reference date.]

| Name of the DIE | Item   | Currency | Amount in Foreign Currency as at the end of (in actual) |              |  |
|-----------------|--|----------|---|--------------|--|
|                 |  |          | Previous March  | Latest March |  |
|                 | 3.1 Total Equity of DIE                            |          |   |              |  |
|                 | 3.2 Equity of DIE held by you                      |          |   |              |  |
| ,               | 3.3 Reserves (Excluding P&L Account)               | _        | -   |              |  |
|                 | 3.4 Profit and Loss Account balance                |          |   |              |  |
| ·               | 3.5 Reserve and Surplus (=3.3+3.4)                 |          |   |              |  |
| ·               | 3,6 Net Worth of DIE (=3.1+3.5)                    |          | * <del></del>   |              |  |
|                 | 3.7 Exchange rate in Rs per unit foreign currency* |          |   | <del></del>  |  |

<sup>\*:</sup> Exchange rate of reporting foreign currency against Indian Rs should be given as on closing date of reference period. FEDAI website (<a href="http://www.fedai.org.in">http://www.fedai.org.in</a>) may be used for Exchange rates.

# Block-4: Direct Investment Abroad under Overseas Direct Investment (ODI) Scheme

# Block-4A: Direct Investment Abroad (10% or more equity holding)

Please furnish here the market value of outstanding investments in DIE, made by your company under the ODI Scheme, in each of which your company hold 10% or more equity shares on the reference date.

| Name of the<br>non-resident<br>DIE |  | Country of          | Equity<br>holding per                       | Amount in Rs lakh as at the end of |              |  |
|------------------------------------|--|---------------------|---|------------------------------------|--------------|--|
|                                    | Type of Capital  | non-resident<br>DIE | cent as at the<br>end of latest<br>year (%) | Previous March                     | Latest March |  |
|                                    | 1.0 Equity Capit<br>(=1.1-1.2)   | al                  |   |                                    |              |  |
| -                                  | I. IClaims on Direct<br>Investment Enterprise                            | · .                 |   |                                    |              |  |
|                                    | 12 Liabilities b Direct<br>Investment Enterprise<br>(Reverse investment) |                     |   |                                    |              |  |
|                                    | 2.0 Other Capital<br>(=2.1-2.2)#   |                     |   |                                    |              |  |
|                                    | 21 Claims on Direct<br>Investment Enterprise                             |                     |   |                                    |              |  |
|                                    | 22 Liabilities to Direct<br>Investment Enterprise                        |                     |   |                                    |              |  |

#### Note:

- (i) If the information is to be furnished for more than one overseas company, then ADD separate Block 3 and Block 4A with the same format.
- (ii) #: Other capital, item 2.1 & 2.2 of Block-4A includes all other liabilities and claims at Nominal value, except equity shares, (i.e. trade credit, loan, debentures, Non-participating share capital, other accounts receivable and payables etc.) of Indian reporting company with its DIE reported in Block-4A.

### Block-4B: Direct Investment Abroad (Less than 10% equity holding).

Please furnish here the market value of outstanding investments in DIE, made by your company under the ODI Scheme, in each of which your company hold less than 10 % equity shares on the reference date.

|  | Country of          | Equity holding per cent as at the end of latest year (%) | Amount in Rs lakh as at the end of |                                       |  |
|--|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Type of Capital  | non-resident<br>DIE |  | Previous March                     | Latest March                          |  |
| 1.0 Equity Capital (=1.1-1.2)  |                     |  |                                    |                                       |  |
| 1. 1Claims on Direct Investment Enterprise                           |                     |  |                                    |                                       |  |
| 1.2 Liabilities to Direct Investment Enterprise (Reverse investment) |                     |  |                                    |                                       |  |
| 2.0 Other Capital (=2.1-2.2)#  |                     |  |                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |
| 2.1 Claims on Direct Investment Enterprise                           | ~                   |  |                                    |                                       |  |
| 2.2 Liabilities to Direct Investment Enterprise                      |                     |  |                                    |                                       |  |

#### Note:

- (i) If the information is to be furnish for more than one country, then use the ADD Block 4B with the same format.
- (ii) #: Other capital, item 2.1 & 2.2 of Block-4B includes all other liabilities and claims at Nominal value, except equity, (i.e. trade credit, loan, debentures, Non-participating share capital, other accounts receivable and payables etc.) of Indian reporting company with non-resident companies where Indian company holds less than 10 per cent equity and also with related parties.

## Block-5: Portfolio Investment Abroad

Please furnish here the market value of outstanding investments in non-resident enterprises, other than those made under ODI scheme reported in Block-4.

|  | Country of                 | Amount in Rs lakh as at the end of |              |  |
|--|----------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| Portfolio Investment   | non-resident<br>enterprise | Previous March                     | Latest March |  |
| 1.0 Equity Securities (at Market Value)                              |                            |                                    |              |  |
| 2.0 Debt Securities (=2.1+2.2)                                       |                            |                                    |              |  |
| 2.1 Money Market Instruments (original maturity uptol year)          |                            | · · · · · ·                        | ·            |  |
| 2.2 Bonds and Other instruments (original maturity more than 1 year) |                            | -                                  |              |  |

#### Note:

- (i) Country wise consolidated information pertaining to each type of investment should be reported separately.
- (ii) If the information is to be furnish for more than one country, then use the ADD Block 5 with the same format...

# Section V

## (Other Assets and Liabilities)

## Block 6: Other Investment ((i.e., position with unrelated parties)

This is a residual category that includes all financial outstanding liability and claims not considered as direct investment or portfolio investment.

| •  | Outstanding Liabilities            | s with unrelated party | Outstanding claims on unrelated parts |                                       |  |  |
|--|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Other Investment                           | Amount in Rs lakh as at the end of |                        |                                       |                                       |  |  |
| *.   | Previous March                     | Latest March           | Previous March                        | Latest March                          |  |  |
| 6.1 Trade Credit                           |                                    |                        |                                       |                                       |  |  |
| 6.2 Loans                                  |                                    |                        |                                       |                                       |  |  |
| 6. 3 Currency & Deposits                   |                                    |                        |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |  |
| 6. 4 Other receivable and payable accounts |                                    |                        |                                       |                                       |  |  |

[e-Form version of this Return is available on the FEMA Forms section under the 'Forms' category on the RBI website (www.rbi.org.in). System Requirement: MS- Excel 2003 and above, with macro enabled]

## Declaration

The foreign investment received and reported have been utilized in compliance with the provision of a Prevention of Money Laundering Act 2002 (PMLA) and Unlawful Activities(Prevention) Act, 1967 (UAPA). We confirm that the investment complies with the provisions of all applicable Rules and Regulations

Place:

Signature and Name of the Authorized person

Date:

Seal/Stamp of the Company

## Annex F

### Form FC-TRS

Declaration regarding transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares (CMCPS) / debentures /others by way of sale from resident to non resident / non-resident to resident

(to be submitted to the designated AD branch in quadruplicate within 60 days from the date of receipt of funds)

## The following documents are enclosed

For sale of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures / others by a person resident in India

- Consent Letter duly signed by the seller and buyer or their duly appointed agent and in the latter case the Power of Attorney Document.
- li. The shareholding pattern of the investee company after the acquisition of shares by a person resident outside India.
- Certificate indicating fair value of shares from a Chartered Accountant. iii.
- Copy of Broker's note if sale is made on Stock Exchange. V.
- Declaration from the buyer to the effect that he is eligible to acquire shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures/others under FDI policy and the existing sectoral limits and Pricing Guidelines have been complied with.
- νi. Declaration from the FII/sub account to the effect that the individual FII / Sub account ceiling as prescribed has not been breached.

Additional documents in respect of sale of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures / others by a person resident outside India

- VII. If the sellers are NRIs/OCBs, the copies of RBI approvals, if applicable, evidencing the shares held by them on repatriation/non-repatriation basis.
- VIII.

|            | Account.                   |   |                 | • |  |
|------------|----------------------------|---|-----------------|---|--|
| 1          | Name of the company        |   |                 |   |  |
| i<br> <br> | Address (including e-mail, |   | <br><del></del> |   |  |
|            | telephone Number, Fax no)  |   |                 |   |  |
| <br>       |                            |   |                 |   |  |
|            |                            | • |                 |   |  |
|            |                            |   |                 |   |  |
|            |                            |   |                 |   |  |

|   | Activity   |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   | NIC Code No.   |  |
|   |  |  |
| 2 | Whether FDI is allowed under   |  |
|   | Automatic route  |  |
|   | Sectoral Cap under FDI Policy  |  |
| 3 | Nature of transaction  | Transfer from resident to non resident / |
|   | (Strike out whichever is not   | Transfer from non resident to resident   |
|   | applicable)  | Trains of the Miller to South            |
| 4 | Name of the buyer  |  |
|   |  |  |
|   | Constitution / Nature of the   |  |
|   | investing Entity   |  |
|   | -  |  |
|   | Specify whether  |  |
|   | 1. Individual  |  |
|   | 2 Company  |  |
|   | 3 FII<br>  4 FVCI  |  |
|   | 5. Foreign Trust   |  |
|   | <ol> <li>6. Private Equity Fund</li> <li>7. Pension/ Provident Fund</li> </ol> |  |
|   | 8. Sovereign Wealth Fund   |  |
| - | (SWF <sup>o</sup> )  |  |
|   | Partnership /     Proprietorship firm  |  |
|   | 10. Financial Institution  |  |
|   | 11. NRIs / PIOs<br>12. others  |  |
|   | TE. Others   |  |
|   | Date and Place of Incorporation  |  |
|   | Address of the buyer (including  |  |
|   | e-mail. telephone number. Fax no.)   |  |
| 5 | Name of the seller   |  |
|   |  |  |
|   | i<br>i   |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   | Constitution / Nature of the   |  |
|   |  | .i                                       |

<sub>II</sub>SWF means a Government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets, and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities.

|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |                              |   |                                |
|--------------|--|---|------------------------------|---|--------------------------------|
|              | disinvesting entity  |   |                              |   | -                              |
|              | Specify whether  |   |                              |   |                                |
|              | 1. Individual  |   |                              |   |                                |
|              | 2. Company   |   |                              |   |                                |
|              | 3. FII   |   |                              |   | •                              |
| ļ            | 4 FVCI   |   |                              |   |                                |
| ł            | 5. Foreign Trust   | İ   |                              |   |                                |
|              | <ol> <li>6. Private Equity Fund</li> <li>7. Pension/ Provident Fund</li> </ol>   |   | •                            |   | •                              |
| }            | 8. Sovereign Wealth Fund   |   |                              | •   |                                |
|              | (SWF <sup>(1)</sup> )  |   |                              |   |                                |
|              | 9. Partnership/  |   |                              |   |                                |
|              | Proprietorship firm  |   |                              |   |                                |
|              | 10. Financial Institution  |   |                              |   |                                |
| <u> </u><br> | 11. NRIs/PIOs  |   |                              |   |                                |
|              | 12. others   |   |                              |   |                                |
|              | Date and Place of Incorporation  |   |                              |   | ··· ··-                        |
|              | Address of the seller (including   | <u> </u>  |                              | <del></del>   |                                |
|              | e-mail, telephone Number Fax   |   |                              |   |                                |
|              | no)  |   |                              | •   |                                |
|              |  | !   |                              |   |                                |
|              |  | :   |                              |   |                                |
|              | <del></del>  | ·   |                              |   |                                |
| 6            | Particulars of earlier Reserve   | į   |                              |   |                                |
| 6            | Particulars of earlier Reserve Bank / FIPB approvals   | i<br> <br>  |                              |   |                                |
|              | Bank / FIPB approvals  |   |                              |   |                                |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co   |   |                              |   |                                |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture   | s/ others (su   | ich as FC                    | Ol compliant in   |                                |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>oil fields, etc.)  | ich as FI<br>to be tran      | Ol compliant in<br>sferred  | nstruments like                |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture   | s/ others (su<br>oil fields, etc.)<br>Number of   | to be tran                   | Ol compliant in<br>sferred<br>Negotiated  | Amount of                      |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares   | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in<br>sferred<br>Negotiated<br>Price for the                         | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /                                  | to be tran                   | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of                      |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in<br>sferred<br>Negotiated<br>Price for the                         | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /                                  | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / co shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in o   | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran<br>Face<br>value  | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures                    | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
|              | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the  | s/ others (su<br>bil fields, etc.)<br>Number of<br>shares<br>CMCPS /<br>debentures<br>/others         | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in sferred  Negotiated Price for the transfer**in                    | Amount of consideration        |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  | s/ others (subil fields, etc.)  Number of shares  CMCPS / debentures / others                         | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the  | be others (sub) oil fields, etc.)  Number of shares  CMCPS / debentures / others  Before the transfer | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the  | Before the transfer After the   | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 8            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign investments in the company  | be others (sub) oil fields, etc.)  Number of shares  CMCPS / debentures / others  Before the transfer | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 7            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / constant shares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a share of the transaction  Foreign investments in the company  | Before the transfer After the   | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 8            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the company  Where the shares / CMCPS / debentures / other sare                          | Before the transfer After the   | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 8            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the company  Where the shares / CMCPS / debentures / other sare listed on Stock Exchange | Before the transfer After the   | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |
| 8            | Bank / FIPB approvals  Details regarding shares / coshares (CMCPS) / debenture participating interest rights in a Date of the transaction  Foreign Investments in the company  Where the shares / CMCPS / debentures / other sare                          | Before the transfer After the   | to be tran Face value in Rs. | Of compliant in<br>esferred<br>Negotiated<br>Price for the<br>transfer**in<br>Rs. | Amount of consideration in Rs. |

| exchange |      |   |             | <br> |   | <del></del> |   |
|----------|------|---|-------------|------|---|-------------|---|
|          | · ", |   |             |      |   |             |   |
|          |      |   |             |      | • |             |   |
|          |      | - | <del></del> | <br> |   | <del></del> | - |
| ·        |      |   | •           |      |   |             |   |
|          |      |   |             |      |   |             |   |
|          |      |   |             |      |   |             |   |
|          |      |   |             |      |   |             |   |

# Where the shares / CMCPS / debentures /others are

### Unlisted

Price as per Valuation quidelines\*

Price as per Chartered Accountants

\*/\*\* Valuation report (CA Certificate to be attached)

# Declaration by the transferor / transferee

## I / We hereby declare that :

- i. The particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.
- ii. If We, was/were holding the shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures/ other as per FDI Policy under FERA/ FEMA Regulations on repatriation/non repatriation basis.
- iii. I/ We, am/are eligible to acquire the shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures /other of the company in terms of the FDI Policy. It is not a transfer relating to shares compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures /others of a company engaged in financial services sector or a sector where general permission is not available.
- iv. The Sectoral limit under the FDI Policy and the pricing guidelines have been adhered to.

Signature of the Declarant or his duly authorised agent

Date:

Note:

In respect of the transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / compulsorily and mandatorily convertible debentures/ others from resident to non resident the declaration has to be signed by the non resident buyer, and in respect of the transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / compulsorily and mandatorily convertible debentures/ other from non-resident to resident the declaration has to be signed by the non-resident seller.

It is certified that the application is complete in all respects.

The receipt /payment for the transaction are in accordance with FEMA Regulations / Reserve Bank guidelines.

Signature

Name and Designation of the Officer

Date: Name of the AD Branch

AD Branch Code

Know Your Customer (KYC) Form in respect of the non-resident investor

| Registered Name of the Remitter / Investor       |   |
|--|---|
| (Name, if the investor is an Individual)         |   |
| Registration Number (Unique Identification       | , |
| Number* in case remitter is an Individual)       |   |
| Registered Address (Permanent Address if         |   |
| remitter Individual)                             |   |
| Name of the Remitter's Bank                      |   |
| Remitter's Bank Account No.                      |   |
| Period of banking relationship with the Remitter |   |

We confirm that all the information furnished above is true and accurate as provided by the overseas remitting bank of the non-resident investor.

(Signature of the Authorised Official of the AD bank receiving the remittance)

Date:

Place:

Stamp:

<sup>\*</sup>Passport No., Social Security No. or any Unique No. certifying the bonafides of the remitter as prevalent in the remitter's country.

## Proforma

Statement of inflows/outflows on account of remittance received/made in connection with transfer of shares / compulsorily and mandatorily convertible preference shares / debentures/others/other, by way of sale

# Category-wise

Part A - NRI/erstwhile OCB

Part B - Foreign National/non-resident incorporated entity

Part C - Foreign Institutional Investors

Inflow -Transfer from resident to non-resident

# [Amount in Rs.]

| Date  | Name   | Activit | NIC  | Name   | Consti  | Name   | Consti  | No. of | Face     | Sale     | Total |
|-------|--------|---------|------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|-------|
| of    | of the | y       | Code | of the | tution/ | of the | tution/ | Share  | Value    | price    | Inflo |
| Trans | Comp   |         |      | Buyer  | Natur   | Seller | Natur   | S      |          | per      | 'W    |
| actio | any    |         |      |        | e of    |        | e of    | transf |          | share    |       |
| n     |        |         |      |        | Busin   |        | Busin   | erred  |          |          |       |
|       | !      |         |      | ļ      | ess of  |        | ess of  | j.     |          |          |       |
|       |        | ľ       |      |        | the     |        | the     |        |          |          |       |
|       |        |         |      |        | Buyer   |        | Seller  |        |          |          | L     |
| (1)   | (2)    | (3)     | (4)  | (5)    | (6)     | (7)    | (8)     | (9)    | (10)     | (11)     | (12)  |
|       |        |         |      |        |         | İ      |         | L      | <u> </u> | <u> </u> |       |

# Outflow - Transfer from non-resident to resident

## [Amount in Rs.]

| Date   | Name     | Activity | NIC  | Name   | Consti          | Name   | Consti  | No. of   | Face     | Sale  | Total    |
|--------|----------|----------|------|--------|-----------------|--------|---------|----------|----------|-------|----------|
| of     | of the   | ,        | Code | of the | tution/         | of the | tution/ | Share    | Value    | price | Inflow   |
| Trans  | Comp     |          |      | Seller | Natur           | Buyer  | Natur   | S        |          | per   |          |
| action | any      |          |      | ,      | e of            | -      | e of    | transf   |          | share |          |
|        |          | ļ.       |      |        | Busin           |        | Busin   | erred    | <br>     |       |          |
|        | -        |          |      |        | ess of          |        | ess of  |          |          |       |          |
|        | <b>.</b> |          |      |        | the             |        | the     |          | <u>.</u> |       |          |
|        |          |          |      |        | S <b>e</b> ller |        | Buyer   | <u> </u> | i<br>İ   |       |          |
| (1)    | (2)      | (3)      | (4)  | (5)    | (6)             | (7)    | (8)     | (9)      | (10)     | (11)  | (12)     |
|        |          |          |      |        |                 |        | <u></u> | <u> </u> | L        | :<br> | <u> </u> |